33वा
वार्षिक प्रतिवेदन
2016 - 2017

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

(आई.एस.ओ. 9001:2015 संस्थान)

मनोविकास नगर, सिकन्दराबाद - 500 009, तेलंगाना, भारत

फोन: 040 - 27751741 - 745, फैक्स: 040 - 27750198

ई-मेल:nimh.director@gmail.com

वेबसाइट: www.niepid.nic.in

nqa. ISO 9001 Registered

माननीय मंत्री श्री थावरचंद गेहलोत द्वारा 18 अक्तूबर, 2016 को नगदा
में बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों को टी.एल.एम. किटों का वितरण

33वा
वार्षिक प्रतिवेदन
2016 - 2017

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

(आई.एस.ओ. 9001:2015 संस्थान)

मनोविकास नगर, सिकन्दराबाद - 500 009, तेलंगाना, भारत

फोन: 040 - 27751741 - 745, फैक्स: 040 - 27750198

ई-मेल:nimh.director@gmail.com

वेबसाइट:www.niepid.nic.in

माननीय मंत्रीगण

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

श्री थावरचंद गेहलोत
माननीय कैबिनेट मंत्री

श्री कृष्ण पाल गुर्जर
माननीय राज्य मंत्री

श्री विजय सांपला
माननीय राज्य मंत्री

श्री रामदास आठवले
माननीय राज्य मंत्री

विषय - सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ सं.
	सारांश	5
1.	संस्थान के बारे में	10
2.	अनुसंधान एवं विकास	16
3.	सामान्य सेवाएँ	23
4.	पुनर्वास मनोविज्ञान विभाग	36
5.	विशेष शिक्षा विभाग	38
6.	आयुर्विज्ञान विभाग	42
7.	प्रौढ़ स्वजीवन यापन विभाग	45
8.	क्षेत्रीय केन्द्र, नोएडा एवं नई दिल्ली	49
9.	क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता	51
10.	क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई	54
11.	मॉडल विशेष शिक्षा केन्द्र, नोएडा एवं नई दिल्ली	56
12.	विस्तार एवं बाहरी सेवाएँ	61
13.	पुस्तकालय एवं सूचना सेवा विभाग	66
14.	विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायता (एडिप), योजना	68
15.	प्रशासन	71
16	लेखा एवं वित्त	77
17.	मानव संसाधन विकास	79
18.	राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं अन्य क्रियाकलाप	83
19.	समग्र क्षेत्रीय केन्द्र, (सी.आर.सी.), नेल्लूर	90
20.	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016	92
परिशिष्ट		
ए	महा परिषद् के सदस्यों की सूची	97
बी	कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों की सूची	99
सी	आर्गनाईजेशन चार्ट	100
डी	वार्षिक लेखा एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	101
ई	अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम	118
एफ	पूर्वोत्तर क्रियाकलाप	121
जी	समुदाय आधारित कार्यक्रम	125
एच	अकादमिक समिति के सदस्य	129
आई	कर्मचारी सदस्यों की सूची	130
जे	सफल कहानी	134

एन.आई.ई.पी.आई.डी. वार्षिक प्रतिवेदन - *2016-17*

सारांश

सन् 1984 में स्थापित राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने (पूर्व में राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान), बौद्धिक दिव्यांगजन के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विविध गतिविधियों का प्रस्ताव रखा। इस संस्थान के क्रियात्मक उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

- बौद्धिक दिव्यांगजन को सेवाएँ प्रदान करने के लिए जनशक्ति को तैयार करना तथा मानव संसाधनों का विकास करना।
- देश में बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य की पहचान, संचालन एवं समन्वयन करना।
- बौद्धिक दिव्यांगजन के लिए भारतीय संस्कृति के अनुरूप देखभाल तथा योगीकरण के लिए समुचित आदर्शों का विकास करना
- बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों को परामर्शी सेवाएँ प्रदान करना
- बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में प्रलेखीकरण तथा सूचना केन्द्र के रूप में सेवाएँ प्रदान करना
- आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा कम आय वर्ग के लोगों को समुदाय आधारित पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करना
- बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में विस्तार तथा पहुँच के बाहर के लोगों तक पहुँचने के कार्यक्रमों का संचालन करना

बौद्धिक दिव्यांगता

- बौद्धिक अक्षमता विश्व के अत्यंत जटिल और चुनौती देने वाली समस्या के क्रम मे है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों की संख्या 2.68 करोड है और बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या 15,05,624 है।

संस्थान के बारे में

- संस्थान के मुख्यालय सिकंदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। संस्थान के पाँच विभाग हैं, अर्थात्, प्रौढ़ स्वजीवन यापन विभाग, पुस्तकालय एवं सूचना सेवा विभाग, आयुर्विज्ञान विभाग, पुनर्वास मनोविज्ञान विभाग एवं विशेष शिक्षा विभाग।
- संस्थान के चार क्षेत्रीय केन्द्र नई दिल्ली, नोएडा, कोलकाता एवं नवी मुम्बई में स्थित हैं। एन.आई.ई.पी.आई.डी. का माडल विशेष शिक्षा केन्द्र नई दिल्ली एवं नोएडा में स्थित है तथा गैंगटॉक,सिक्किम में संसाधन केन्द्र स्थित हैं।
  एन.आई.ई.पी.आई.डी. ने जनवरी 2016 को नेल्लूर में समग्र क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना की और कर्नाटक राज्य के देवनगिरि में एक और सी.आर.सी. की स्थापना हेतु मार्च 2016 में प्रक्रिया आरंभ की गई।

अनुसंधान एवं विकास

- वर्ष 2016 - 17 के दौरान चार परियोजनाएँ चल रही थी जबकि, दो परियोजनाएँ पूरी कर ली गई हैं।
- वर्ष के दौरान एन.आई.ई.पी.आई.डी. के स्टाफ व फैकल्टी के छः अनुसंधान लेख विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में प्रकाशित हुए।
- वर्ष 2016-17 के दौरान एन.आई.ई.पी.आई.डी. स्टाफने 10 वैज्ञानिक सम्मेलनों / संगोष्ठियों / कार्यशालाओं में भाग लिया।

सामान्य सेवाएँ

- वर्ष 2016-17 के दौरान, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय केन्द्रों में कुल 10,741 नए क्लाईंटों का पंजीकरण किया गया एवं विस्तृत मूल्यांकन, प्रबंधन एवं अंतराक्षेपण कार्यक्रम प्रदान किये गये। इसके अतिरिक्त, आउटरीच शिविरों में 2,822 नए केसों का मूल्यांकन किया गया।
- राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय केन्द्रों में कुल ५०,१९७ क्लाईंटों को फालोअप सेवाएँ प्रदान की गई। और आउटरीच शिविरों के दौरान 6,196 क्लाईंटों को फालो अप सेवाएँ प्रदान की गईं।
- राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के मुख्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र एवं मॉडल स्पेशल एजुकेशन सेन्टर में कुल 2,19,701 समर्थन (विशेष) सेवाएँ प्रदान की गई।

- राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में दूरदराज से आने वाले परिवारों के लिए परिवार कुटीर सेवाओं की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ रहते हुए वे आवश्यकता के निर्धारणानुसार पेशेवर प्रशिक्षण सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। वर्ष के दौरान, 231 क्लाईंटों ने उनके अभिभावकों के साथ परिवार कुटीर सेवाओं से लाभ उठाया।

- राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के मुख्यालय में प्रौढ़ स्वजीवन यापन विभाग के द्वारा 298 वयस्क बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों ने विभिन्न सेवाएँ प्राप्त की।

- वर्ष 2016-17 के दौरान राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने 100 वयस्क बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया।

- राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, मुख्यालय के विशेष शिक्षा केन्द्र में 3 से 18 वर्ष के बीच के आयु वाले 115 बच्चों को दाखिला दिया गया जिनमें अल्प से लेकर अति गंभीर स्तर के बौद्धिक दिव्यांग बच्चे शामिल है।

- इस वर्ष 170 अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा 3305 अभिभावक लाभान्वित हुए।

- बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के परिवार को अपनी दिनचर्या से राहत दिलाने के लिए स्थापित अल्पावधि देखभाल सुविधा - राहत देखभाल केन्द्र - में 46 बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों व उनके परिवारों को सेवाएँ उपलब्ध करायी गयी।

- राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के विभिन्न सेवाओं के बारे में क्लाईंटों से प्राप्त पुनर्निवेश यह दर्शाता है कि, 86% क्लाईंट / अभिभावक संस्थान द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से संतुष्ट हैं।

पुनर्वास मनोविज्ञान विभाग (डी.आर.पी.)

- इस विभाग द्वारा आर.सी.आई. द्वारा अनुमोदित एवं उस्मानिया विश्वविद्यालय से संबंधित एम.फिल. पुनर्वास मनोविज्ञान कार्यक्रम चलाया जाता है।

- इस विभाग द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ जैसे, विकासात्मक मूल्यांकन, बौद्धिक मूल्यांकन, व्यवहारात्मक मूल्यांकन, अभिभावक / परिवार परामर्श, व्यवहार परिवर्तन तथा संज्ञानात्मक प्रशिक्षण से 26,747 क्लाईंटों ने लाभ उठाया।
- इस विभाग द्वारा वर्ष के दौरान कुल पाँच अल्पकालीन पाठ्यक्रमों व प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसके द्वारा 144 पेशेवरों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

विशेष शिक्षा विभाग (डी.एस.ई.)

- यह विभाग विशेष शिक्षा क्षेत्र में चार दीर्घावधि पाठ्यक्रम चलाता है।
- विशेष शिक्षा सेवाओं से कुल 14,464 क्लाईंट लाभान्वित हुए।
- डी.एस.ई. द्वारा आठ अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिससे 282 व्यक्ति लाभान्वित हुए।
- विशेष शिक्षा केन्द्र में 3 से 18 वर्ष के बीच की आयु वाले कुल 115 बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को इस वर्ष दाखिल किया गया जिनमें अल्प से लेकर अति गंभीर स्तर के बौद्धिक दिव्यांग बच्चे शामिल है।

आयुर्विज्ञान विभाग (डी.एम.एस.)

- इस विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं जैसे क्लाईंट का मूल्यांकन व निर्धारण सेवाएँ - भौतिक, मेडिकल परीक्षण, चिकित्सापरक आवश्यकताओं का मूल्यांकन, प्रारंभिक अंतराक्षेपण सेवाएँ तथा मूल बायोकेमिकल जाँच परीक्षण एवं मुफ्त दवाइयाँ, आदि से 61,984 क्लाईंट लाभान्वित हुए।

- विभाग द्वारा आयोजित छः अल्पकालीन पाठ्यक्रमों द्वारा 158 पुनर्वास सेक्टर के व्यावसायिकों को लाभ हुआ है।

प्रौढ़ स्व-जीवन यापन विभाग

- यह विभाग एक वर्षीय डिप्लोमा इन वोकेशनल ट्रेनिंग (मेंटल रिटार्डेशन) पाठ्यक्रम का संचालन करता है। बौद्धिक दिव्यांगजन व्यक्तियों के व्यावसायिक पुनर्वास के क्षेत्र में 10 अल्पावधि पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया जिससे 470 व्यावसायिक लाभान्वित हुए।
- इस विभाग द्वारा एन.आई.ई.पी.आई.डी. मुख्यालय में 22-23 मार्च 2017 को आयोजित XXII वी विशेष कर्मचारियों की राष्ट्रीय बैठक में 147 विशेष कर्मचारियों ने अपने संरक्षकों सहित भाग लिया।

क्षेत्रीय केन्द्र, नोएडा एवं नई दिल्ली

- वर्ष के दौरान इस केन्द्र में दो वर्षीय डी.एड. स्पेशल एजुकेशन (एम.आर.) कार्यक्रम का संचालन किया गया। इसके अतिरिक्त, 12 अल्पकालीन पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया जिससे 416 व्यावसायिक लाभान्वित हुए। क्षेत्रीय केन्द्र, नोएडा एवं नई दिल्ली द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से 26,976 क्लाईंट लाभान्वित हुए।

क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता

- वर्ष 2016-17 में एन.आई.ई.पी.आई.डी. क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता ने दो दीर्घावधि पाठ्यक्रमों का संचालन किया, अर्थात्, बी.एड. व डी.एड., विशेष शिक्षा - एम.आर. कुल 13 अल्पावधि पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया जिससे 378 व्यावसायिक लाभान्वित हुए। इस क्षेत्रीय केन्द्र में 80,234 क्लाईंटों को समग्र मूल्यांकन, प्रबंधन व अंतराक्षेपण सेवाएँ प्रदान की गई।

क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई

- यह केन्द्र तीन दीर्घावधि पाठ्यक्रमों का संचालन करता है, वे हैं, बी.एड., स्पेशल एजुकेशन (एम.आर.), डिप्लोमा इन अर्ली चाईल्डहुड स्पेशल एजुकेशन एवं डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन। केन्द्र द्वारा 9 अल्पकालीन पाठ्यक्रमों का आयोजन इस वर्ष के दौरान किया गया जिससे 300 व्यावसायिक लाभान्वित हुए। वर्ष 2016-17 के दौरान 17,126 क्लाईंटों को क्षेत्रीय केन्द्र नवी मुम्बई में समग्र मूल्यांकन, प्रबंधन व अंतराक्षेपण सेवाएँ प्रदान की गई।

एन.आई.ई.पी.आई.डी. मॉडल विशेष शिक्षा केन्द्र, नोएडा व नई दिल्ली

- वर्ष के दौरान, मॉडल विशेष शिक्षा केन्द्र में विशेष शिक्षा व अन्य संबंधित सेवाओं के लिए 148 विद्यार्थियों को एनरोल किया गया जिनमें से 30 विद्यार्थी आवासीय देखभाल की सुविधा का लाभ उठाते हैं। दस दिवस के एक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिससे 380 व्यक्ति लाभान्वित हुए।
- पाँच अल्पकालीन / सी.आर.ई. कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिससे 173 व्यावसायिक लाभान्वित हुए।

विस्तार तथा आउटरीच सेवाएँ

- पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कुल 100 प्रशिक्षण / अभिमुखीकरण / संवेदीकरण / जागरूक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिससे 7080 व्यक्ति लाभान्वित हुए।
- वर्ष 2016-17 के दौरान 225 समुदाय आधारित कार्यक्रमों (पूर्वोत्तर राज्य के अलावा) से 12,364 व्यक्ति लाभान्वित हुए।
- जागरूकता रैलियाँ, संस्थान की भेंट करने वाली टीमों, मूल्यांकन शिविरों, राष्ट्रीय अभिभावक / क्षेत्रीय अभिभावक बैठकों व विकलांगता पर जागरूकता प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया गया।
- उज्जैन, मध्य प्रदेश में 8-22 मई, 2016 को बौद्धिक अक्षमता पर जागरूकता सृजन करने के लिए एन.आई.ई.पी.आई.डी. ने एक स्टाल लगाकर प्रदर्शनी में भाग लिया। इससे 1481 लोग लाभान्वित हुए।
- एन.आई.ई.पी.आई.डी. स्टाफ ने 9 आर.सी.आई. तथा जी.आई.ए. के निरीक्षण किया और गैर सरकारी संगठनों को तकनीकी समर्थन प्रदान किया।

पुस्तकालय एवं सूचना सेवा विभाग

- एन.आई.ई.पी.ई.डी. द्वारा अब तक 98 प्रकाशन प्रकाशित हुए। इस वर्ष के दौरान इन प्रकाशनों की 6,873 प्रतियाँ बेची गई। इसके अतिरिक्त 316 वीडियो फिल्मे तथा 348 साफ्टवेयर बेचे गये। वर्ष के दौरान 15,000 से अधिक व्यावसायिकों /विद्यार्थियों/ अभिभावकों ने पुस्तकालय की सुविधाओं का लाभ उठाया।

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायता योजना

- इस वर्ष के दौरान, एडिप योजना के अंतर्गत 5,270 यंत्र व उपकरणों का वितरण किया गया। पुनर्निवेश से पता चला कि, 94 प्रतिशत अभिभावकों ने यह पाया कि, टी.एल.एम.किट का उपयोग करने के बाद अपने बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के विभिन्न कौशलों में सुधार दिखाई दिया।
- वर्ष 2016-17 के दौरान, एन.आई.ई.पी.आई.डी. ने अलिम्के के समन्वयन में गुजरात में आयोजित दो मेगा एडिप वितरण शिविरों में भाग लिया, एक नवसारी (17-19 सितम्बर 2016) तथा दूसरा वडोदरा (22-24 अक्तूबर, 2016) में । बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों को नवसारी में 2579 टी.एल.एम.किट तथा वडोदरा में 1561 टी.एल.एम.किट वितरित किये गये।

प्रशासन

- 31 मार्च, 2017 तक मंजूर की गई 140 स्टाफ में से 107 पदों की भर्ती की गई।
- दिनांक 14 से 28 सितम्बर, 2016 तक हिन्दी पखवाडा का आयोजन किया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन 31 अक्तूबर, 2016 से 5 नवम्बर, 2016 तक किया गया। एन.आई.ई.पी.आई.डी. के कार्यकारिणी परिषद् की तीन बैठकें और महापरिषद् की 37 वी वार्षिक बैठक संपन्न हुई।

लेखें एवं वित्त

- वर्ष के दौरान, संस्थान को आदि शेष सहित रु.4,292.06 लाख की धनराशि प्राप्त हई। संस्थान के उद्देश्यों के अनुरूप योजनाबद्ध कार्यक्रमों के लिए रु.3,208.16 लाख राशि खर्च की गई और रु.1,083.90 लाख राशि शेष रही।

मानव संसाधन विकास

- वर्ष के दौरान, संस्थान के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा संचालित पाँच दीर्घावधि शैक्षणिक कार्यक्रमों के द्वारा 166 व्यावसायिकों / कर्मचारियों को दाखिला / प्रशिक्षण दिया गया।
- संस्थान द्वारा आयोजित 68 अल्पकालीन पाठ्यक्रमों / प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों के द्वारा देश के विभिन्न भागों से आये 2321 विभिन्न विषयों के व्यावसायिक जैसे, विशेष शिक्षक, मनोवैज्ञानिक, वाणी चिकित्सक, व्यावसायिक चिकित्सक, व्यावसायिक अनुदेशक, आदि लाभान्वित हुए।

राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा अन्य क्रियाकलाप

- एन.आई.ई.पी.ई.डी. ने परिवार-नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ पेरेन्ट्स् ऑर्गनाईजेशन्स् के सहयोग से 12-13 नवम्बर 2016 को 24वीं राष्ट्रीय अभिभावक बैठक (एन.पी.एम.) का जालंधर, पंजाब में आयोजित किया।
- देश भर के विभिन्न स्थानों पर पाँच क्षेत्रीय अभिभावक बैठकों का आयोजन किया गया जिससे 1124 अभिभावक लाभान्वित हुए।
- साक्षामत आदिगुरु शिशु पुनर्वास केन्द्र, जबलपुर के सहयोग से जबलपुर में 4-5 फरवरी, 2017 को आयोजित बौद्धिक तथा विकासात्मक विकलांगताओं पर राष्ट्रीय कार्यशाला में कुल 500 सहभागियों ने (अभिभावक एवं व्यावसायिक) भाग लिया।
- एन.आई.ई.पी.आई.डी. सिकंदराबाद में 18 नवम्बर 2016 को डाउन्स् सिन्ड्रोम से ग्रस्त वयस्कों में डीमेन्शिया का निर्धारण पर कार्यशाला का आयोजन किया। डॉ.डी.के.मेनन, नैदानिक मनोविज्ञान में सलाहकार एवं एन.आई.ई.पी.आई.डी. के संस्थापक निदेशक इस कार्यक्रम के संसाधन व्यक्ति रहे। कार्यक्रम में एन.आई.ई.पी.आई.डी. में दीर्घावधि पाठ्यक्रम के 53 विद्यार्थियों ने भाग लिया।

- एन.आई.ई.पी.आई.डी. सिकंदराबाद में 23-24 मार्च, 2017 को बौद्धिक दिव्यांगजन के स्वतंत्र जीवन यापन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 53 व्यावसायिक व अभिभावको ने भाग लिया।
- बौद्धिक अक्षमता पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 29 मार्च, 2017 को आर.एम.एल. अस्पताल, नई दिल्ली में आयोजन किया गया जिसका शीर्षक " बौद्धिक अक्षमता : चुनौतियाँ एवं अवरोध " था। इस कार्यक्रम में 210 पुनर्वास क्षेत्र के व्यावसायिक एवं विद्यार्थियों ने भाग लिया और विभिन्न विषयों पर पेपर प्रस्तुत किये।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निधि योजना के अंतर्गत वर्ष के दौरान 74 लैपटॉप वितरित किये गये। इसी योजना के दौरान रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान दीर्घावधि पाठ्यक्रम के 39 विद्यार्थियों को भी लैपटॉप वितरित किये गये।
- एन.आई.ई.पी.आई.डी. सिकंदराबाद एवं क्षेत्रीय केन्द्रों में 3 दिसम्बर, 2016 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया।
- बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रारंभिक अंतराक्षेपण सेवाओं में अति उत्तम कार्य के लिए डॉ.माधवी लता को एन.आई.ई.पी.आई.डी. सिकंदराबाद में 19 नवम्बर, 2016 को रीता पेशावरिया ओरेशन अवार्ड-2016 प्रदान किया गया।
- इनटर्नशिप कार्यक्रम के भाग के रूप में, विभिन्न संस्थानों के 528 विद्यार्थियों को एन.आई.ई.पी.आई.डी. के विभिन्न विभागों व क्षेत्रीय केन्द्रों में इनटर्नशिप के लिए रखा गया।

समग्र क्षेत्रीय केन्द्र (सीआरसी), नेल्लूर

- नेल्लूर में स्थित समग्र क्षेत्रीय केन्द्र में 4300 क्लाईटों को वर्ष के दौरान सेवाएँ प्रदान की गई। 22-24 मार्च, 2017 को समग्र क्षेत्रीय केन्द्र, नेल्लूर द्वारा प्रारंभिक अंतराक्षेपण- विशेष कर भोजन काल प्रबंधन कौशलों पर कार्यशाला का आयोजन किया। वर्ष के दौरान छः अल्पावधि पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया जिससे 179 व्यावसायिक लाभान्वित हुए। विकलांगता पर विद्यार्थियों के लिए नौ जागरूक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिससे 302 विद्यार्थी लाभान्वित हुए। सात मूल्यांकन शिविरों का आयोजन किया गया और इन शिविरों में 135 विकलांग व्यक्तियो को पहचाना गया।

समग्र क्षेत्रीय केन्द्र, देवनगिरि

- मार्च 2017 में एन.आई.ई.पी.आई.डी. ने देवनगिरि में समग्र क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना के लिए प्रक्रिया आरंभ की।

अध्याय-1
संस्थान के बारे में

1.1 परिचय

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में 1984 में पंजीकृत सोसाईटी है। एक शिखर संस्थान के रूप में स्थापित इस संस्थान की क्रियाएँ त्रिभागीय हैं, अर्थात् देश भर में बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं सेवाएँ। पिछले 33 वर्षो से बौद्धिक दिव्यांगजन को सशक्त बनाने हेतु संस्थान क्षमता के निर्माण में लगातार प्रगति करता आ रहा है।

बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में नवीन विकास एवं विगत कुछ वर्षो की प्रवृत्तियों के आधार पर नवोन्मेषण एवं नये कार्यक्रमों का संचालन अपने अनुसंधान व विकास कार्यक्रमों के जरिये आयोजन के लिए संस्थान प्रयासरत है। अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विभिन्न क्रियाकलाप, संस्थान के विश्वस्तरीय योगदान को प्रतिबिंबित करते हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के क्रियाकलाप युनाइटेड नेशनस् कनवेंशन ऑन दी राइट्स् ऑफ पर्सन्स् वीद डिसेबिलिटीज् (यू.एन.सी.आर.पी.डी) के अधिदेश तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रचलित संवैधानिक अधिनियम एवं राष्ट्रीय नीतियों के अनुसार कार्यान्वित किये जाते हैं।

एक उत्कृष्ट संस्थान के रूप में, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों की जिन्दगी में समानता और गरिमा लाने के लिए अपने कार्य के प्रत्येक पहलू में गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित करता है और इसका समर्थन आई.एस.ओ.9001:2015 के प्रमाणिकता द्वारा सिध्द हो जाता है।

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने मानव संसाधन विकास, अनुसंधान एवं विकास और प्रत्यक्ष चिकित्सीय सेवाओं में प्रतिपादित प्रगति की है तथा बौद्धिक दिव्यांगजन के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने का संपूर्ण प्रयास किया है।

1.2 बौद्धिक दिव्यांगता

बौद्धिक दिव्यांगता, विश्व के अत्यंत जटिल व चुनौती पूर्ण समस्या के क्रम में है। यह एक बहु आयामी तथ्य है जिसमें जीव- मनोवैज्ञानिक सामाजिक अभिकर्ताएँ सम्मिलित हैं।

यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें दिमाग का विकास रुक गया हो या अपूर्ण हो, जिसके विशिष्ट लक्षण हैं- विकास के दौरान कौशलों में क्षति जो कि, व्यक्ति के समग्र बुध्दि अर्थात्, संज्ञानात्मक, भाषा कौशल, गति कौशल और सामाजिक कौशल के विकास में योगदान करते हैं।

1.3 बौद्धिक दिव्यांगता की व्यापकता

भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों की संख्या 2.68 करोड है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि, बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या 1,505,624 है। इसका यह अर्थ है कि प्रति एक लाख व्यक्तियों में से 124 व्यक्ति मानसिक मंदन से ग्रस्त है। भारत की जनगणना 2011 द्वारा अनुमानित विकलांग व्यक्तियों एवं बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों की संख्या तालिका-1 एवं तालिका 1.1 में दर्शाया गया है।

तालिका-1 : भारत की जनगणना 2011 : विकलांगता पर आंकडें

भारत में विकलांगता के प्रकार के आधार पर विकलांग व्यक्तियों की संख्या - 2011			
विकलांगता के प्रकार	व्यक्तियों की संख्या	पुरुष	महिलाएँ
विकलांग व्यक्ति	26,810,557	14,986,202	11,824,355
बौद्धिक दिव्यांग व्यक्ति	1,505,624	870,708	634,916

तालिका 1.1: भारत में बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों की संख्या - जनगणना- 2011

राज्य कोड	राज्य का नाम	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएँ
00	**भारत**	***15,05,624***	***8,70,708***	***6,34,916***
01	राज्य - जम्मू व कश्मीर	16724	9798	6926
02	राज्य -हिमाचल प्रदेश	8986	5310	3676
03	राज्य - पंजाब	45070	27332	17738
04	राज्य - चंडीगढ़	1090	683	407
05	राज्य -उत्तराखण्ड	11450	6952	4498
06	राज्य - हरियाणा	30070	19268	10802
07	राज्य - एनसीटी ऑफ दिल्ली	16338	10385	5953
08	राज्य -राजस्थान	81389	52533	28856
09	राज्य -उत्तर प्रदेश	181342	113841	67501
10	राज्य -बिहार	89251	55335	33916
11	राज्य- सिक्किम	516	274	242
12	राज्य-अरुणाचल प्रदेश	1264	635	629
13	राज्य-नागालैंड	1250	666	584
14	राज्य-मणिपुर	4506	2436	2070
15	राज्य-मिजोरम	1585	843	742
16	राज्य-त्रिपुरा	4307	2358	1949
17	राज्य-मेघालय	2332	1235	1097
18	राज्य-असम	26374	14864	11510
19	राज्य-प.बंगाल	136523	76270	60253
20	राज्य-झारखंड	37458	21601	15857
21	राज्य-ओडिशा	72399	40320	32079
22	राज्य-छत्तीसगढ़	33171	17562	15609
23	राज्य-मध्यप्रदेश	77803	46571	31232
24	राज्य-गुजरात	66393	39309	27084
25	राज्य-दमन व दियु	176	98	78
26	राज्य-दादर एवं नगर हवेली	180	95	85
27	राज्य-महाराष्ट्र	160209	90408	69801
28	राज्य-आँध्रप्रदेश	132380	70272	62108
29	राज्य-कर्नाटक	93974	49501	44473
30	राज्य-गोवा	1817	965	852
31	राज्य-लक्षद्वीप	112	75	37
32	राज्य-केरल	65709	35614	30095
33	राज्य-तमिलनाडु	100847	55854	44993
34	राज्य-पुदुच्चरी	2335	1285	1050
35	राज्य- अंदमान व निकोबार द्वीप समूह	294	160	134

1.4 उद्देश्य

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने आरंभ से ही, बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विविध गतिविधियों का प्रस्ताव रखा। तदनुसार, निम्नलिखित लक्ष्य एवं उद्देश्यों को तैयार किया-

1. बौद्धक दिव्यांग के शिक्षा व पुनर्वास के सभी पहलुओं में अनुसंधान कार्य संचालित करना, समर्थन देना, समन्वयन करना या आर्थिक सहायता करना,
2. साधनों का प्रभावी मूल्यांकन/ उपयुक्त शल्य या चिकित्सीय प्रक्रियाओं या नए साधनों के विकास का नेतृत्व करने वाले जीव-आयुर्विज्ञान अभियांत्रिकी में अनुसंधान का संचालन, समर्थन, समन्वयन या आर्थिक सहायता करना,
3. बौद्धक दिव्यांग व्यक्तियों के शिक्षा, प्रशिक्षण या पुनर्वास को प्रोन्नति देने के लिए प्रशिक्षकों व शिक्षकों को, अधिकारियों की नियुक्ति, व्यावसायिक परामर्शदाता या अन्य कोई कार्मिक जो संस्थान आवश्यक समझता हो, को प्रशिक्षण देना,
4. बौद्धक दिव्यांग व्यक्तियों को शिक्षा, पुनर्वास चिकित्सा पहलुओं को प्रोन्नति देने के लिए बनाए गये कोई भी या सभी तरह के साधनों के प्रोटोटाईप की तैयारी व वितरण कार्य करना, प्रोन्नत देना या आर्थिक सहायता करना।

उपर्युक्त लक्ष्य व उद्देश्यों से, निम्नलिखित क्रियात्मक उद्देश्य विकसित हुए:

1.4.1 राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के उद्देश्य

- बौद्धक दिव्यांग व्यक्तियों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए जनशक्ति को तैयार करना तथा मानव संसाधनों का विकास करना।
- देश में बौद्धिक अक्षमता के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य की पहचान, संचालन एवं समन्वयन करना।
- बौद्धक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भारतीय संस्कृति के अनुरूप देखभाल तथा योगीकरण के लिए समुचित आदर्शों का विकास करना
- बौद्धिक अक्षमता के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों को परामर्शी सेवाएँ प्रदान करना
- बौद्धिक अक्षमता के क्षेत्र में प्रलेखीकरण तथा सूचना केन्द्र के रूप में सेवाएँ प्रदान करना
- आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा कम आय वर्ग के लोगों को समुदाय आधारित पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करना
- बौद्धिक अक्षमता के क्षेत्र में विस्तार तथा पहुँच के बाहर के लोगों तक पहुँचने के कार्यक्रमों का संचालन करना

1.4.2 संगठनात्मक व्यवस्था

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान का मुख्यालय सिकंदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। संस्थान में पाँच विभाग अर्थात्, प्रौढ स्वतंत्र जीवन यापन विभाग, पुस्तकालय एवं सूचना सेवाएँ, आयुर्विज्ञान / डॉक्टरी सेवाएँ, पुनर्वास मनोविज्ञान तथा विशेष शिक्षा विभाग हैं।

संस्थान के चार क्षेत्रीय केन्द्र नई दिल्ली, नोएडा, कोलकाता तथा नवी मुम्बई में स्थित हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान का आदर्श विशेष शिक्षा केन्द्र नई दिल्ली एवं नोएडा में स्थित है और गैंगटॉक, सिक्किम में संसाधन केन्द्र है। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने जनवरी 2016 में समग्र क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना नेल्लूर, आँध्रप्रदेश में स्थापित किया और राज्य सरकार द्वारा दिये गये में यह केन्द्र संप्रति कार्य कर रहा है। समग्र क्षेत्रीय केन्द्र, नेल्लूर के स्थायी भवन दस एकड भूमि में अभी निर्माण किया जा रहा है। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने कर्नाटक राज्य के देवनगिरि में एक और समग्र क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना के लिए प्रक्रिया आरंभ की।

संस्थान की मूल गतिविधियों को प्रशासन अनुभाग समर्थन देता है। संस्थान के समग्र क्रियात्मकता को दर्शाता हुआ संगठनात्मक चित्र **परिशिष्ट- सी** पर दिया गया है **(पृष्ठ सं. *100*)**।

1.4.3 क्षेत्रीय केन्द्रों के क्रियाकलाप

1.4.3.1 क्षेत्रीय केन्द्र, नोएडा एवं नई दिल्ली

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली की स्थापना फरवरी 1986 में कस्तूरबा निकेतन, लाजपतनगर, नई दिल्ली - 110 024 में हुई। अच्छे से अच्छा शैक्षणिक वातावरण प्रदान करने के लिए, यह केन्द्र भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है जहाँ हर एक व्यावसायिक मानसिक मंदन के क्षेत्र में अपनी क्षमता का विकास कर सकता है।

- दो वर्षीय डी.एड. स्पेशल एजुकेशन (मेंटल रिटार्डेशन)

इस केन्द्र द्वारा हर वर्ष बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र के व्यावसायिकों के लिए अल्पकालीन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र द्वारा विकासात्मक विलम्बता/बौद्धिक विकलांगता से ग्रस्त क्लाइंटों को सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। इस केन्द्र द्वारा जागरूकता शिविर तथा जाँच पडताल शिविर भी अपने विस्तार तथा आउटरीच क्रियाकलापों के अंतर्गत आयोजित किये जाते हैं। बौद्धिक विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत् स्थानीय गैर सरकारी संगठनों को तकनीकी सहायता भी केन्द्र द्वारा प्रदान की जाती है । केन्द्र द्वारा 'अंकुर' नामक प्रारंभिक अंतराक्षेपण केन्द्र की स्थापना 1990 में की गई जहाँ पाँच वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। विभिन्न व्यावसायिक कालेजों से अपने इन्टर्नशिप हेतु आये हुए विद्यार्थियों को क्षेत्रीय केंद्र, नई दिल्ली द्वारा सहायता भी प्रदान की जाती है।

क्षेत्रीय केन्द्र ने नई दिल्ली में अपनी गतिविधियों को फरवरी 2015 से नोएडा के अपने स्थायी भवन में स्थानांतरित किया है। यद्यपि, लाजपतनगर, नई दिल्ली में आंशिक सेवाएँ चल रहीं हैं।

1.4.3.2 क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकता मार्च 1986 में राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान के परिसर, बॉन हुग्ली, बी.टी.रोड, कोलकता 700 090 पर स्थापित हुआ। इस केन्द्र में भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित दो दीर्घकालीन पाठयक्रम चलाये जाते हैं:

- दो वर्षीय बी.एड. स्पेशल एजुकेशन (एम.आर.)
- दो वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन (स्पेशल एजुकेशन)

प्रति वर्ष केन्द्र द्वारा व्यावसायिकों एवं अभिभावकों के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। बौद्धिक दिव्यांगता के जोखिम वाले बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए प्रारंभिक पहचान तथा अंतराक्षेपण के लिए विशेष क्लिनिक है। इस केन्द्र में विशेष शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा प्रारंभिक अंतराक्षेपण के क्षेत्रों में सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। मानसिक मंदन तथा संबंधित क्षेत्र में स्नातक तथा स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए प्लेसमेंट भी दिया जाता है। इस केन्द्र द्वारा विस्तारण तथा आउटरीच क्रियाकलापों के एक भाग के रूप में, जागरूकता शिविर एवं जाँच शिविरों का आयोजन भी किया जाता है। यह केन्द्र मानसिक मंदन के क्षेत्र में कार्यरत् गैर सरकारी संगठनों को भी तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

1.4.3.3 क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र, मुम्बई की स्थापना 1987 में ए.वाई.जे.एन.आई.एच.एच. कैम्पस में हुई थी । पश्चिम क्षेत्र अर्थात्, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गोवा, लक्षद्वीप तथा दमन व दिउ की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह केन्द्र प्रारंभ किया गया है। क्रियाकलापों का विस्तार करने के उद्देश्य से इस केन्द्र को नवी, मुम्बई को 2004 में स्थानान्तरित किया गया। अब यह केन्द्र किराये पर लिये गये दो स्थानों पर, अर्थात् बेलापुर तथा खारघर में चलाया जाता है। प्रशासनिक कार्यालय, पुस्तकालय तथा दीर्घकालीन व अल्पकालीन पाठयक्रम बेलापुर कार्यालय में तथा सामान्य व विशेष सेवाएँ खारघर कार्यालय में चलाये जाते हैं यह केन्द्र

दो दीर्घ कालीन कार्यक्रम चलाता है,

- बी.एड. विशेष शिक्षा (मानसिक मंदन)
- डिप्लोमा इन अर्लीचाइल्ड हुड स्पेशल एजुकेशन

केन्द्र द्वारा, बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों को विशेष शिक्षा, मनोविज्ञान व व्यवहार प्रबंधन, वाणी व भाषा एवं व्यावसायिक चिकित्सा में गुणवत्ता मूल्यांकन तथा अंतराक्षेपण सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। यहाँ अल्पकालीन कार्यक्रम जैसे पुनश्चर्या पाठयक्रम, सी.आर.ई, अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम तथा शिविरों का आयोजन भी किया जाता है। क्षेत्रीय केन्द्र अपने ही प्रेमिसेस नवी मुम्बई में निर्माण कर रहा है जहाँ मानव संसाधन विकास के लिए एवं दिव्यांगजन के लिए अत्युत्तम सुविधाएँ दी जा सकती हैं ।

1.4.3.4 राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान - मॉडल विशेष शिक्षा केन्द्र, नोएडा एवं नई दिल्ली

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, मॉडल विशेष शिक्षा केन्द्र, भारत सरकार द्वारा 1964 में कस्तूरबा निकेतन, लाजपत नगर-॥, नई दिल्ली 110 024 में स्थापित किया गया था। बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष तथा विस्तृत सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से इस केन्द्र का आरंभ किया गया है। यह केन्द्र 1986 से संस्थान के अधीन कार्य कर रहा है। इस केन्द्र में बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों को गुणवत्ता सेवाएँ प्रदान करने के लिए योग्यता प्राप्त व्यावसायिक हैं। बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों को अपने भीतर के सामर्थ्य का अत्यधिक मात्रा में विकास करने के लिए शिक्षा व प्रशिक्षण दिया जाता है। इस स्कूल के छात्रों की संख्या 148 है (118 अनावासीय और 30 आवासीय)। सेवा क्रियाकलापों में मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, अभिभावक परामर्श, घरेलू प्रशिक्षण। इस केन्द्र द्वारा व्यावसायिकों के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अभिभावकों एवं सहोदरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। अन्य संगठनों व संस्थानों से आने वाले विद्यार्थियों को केन्द्र में प्रशिक्षण दिया जाता है। केन्द्र में दाखिल किये गये विद्यार्थियों के लिए नियमित पाठचर्या व सहपाठचर्या क्रियाकलाप आयोजित किये जाते हैं।

एन.आई.एम.एच. एम.एस.ई.सी. ने नोएडा केन्द्र में फरवरी, 2015 से अपने क्रियाकलाप भी आरंभ किये।

1.4.3.5 राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान संसाधन केन्द्र, गैंगटोक, सिक्किम

एन.आई.एम.एच. ने 26 मार्च. 2014 को गैंगटॉक, सिक्किम के सामाजिक न्याय, साधिकारिता एवं कल्याण विभाग के कार्यालय परिसर में विकासात्मक विलम्ब तथा विकलांगजन के लिए सेवाएँ प्रदान करने हेतु एन.आई.ई.पी.आई.डी. संसाधन केन्द्र की स्थापना की। इसके साथ साथ, सामाजिक न्याय, साधिकारिता एवं कल्याण विभाग, सिक्किम सरकार के पूर्ण सहयोग एवं सहायता से यह केन्द्र समाज में, स्कूल एवं कालेज के विद्यार्थियों में विकलांगता पुनर्वास पर जागरूकता निर्माण करता है तथा विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में व्यावसायिकों, ग्रासरूट कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी देता है। आरंभ से ही, सिक्किम राज्य में विकसात्मक विलम्ब/ विकलांग को पहचानने के लिए ग्रासरुट कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने, प्रारंभिक पहचान एवं प्रारंभिक अंतराक्षेपण क्षेत्र में पुनर्वास एवं रेफरल सेवाओं में तीव्रता लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2016-17 के दौरान सिक्किम राज्य में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों से 1115 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

1.4.3.6 समग्र क्षेत्रीय केन्द्र, नेल्लूर

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने नेल्लूर, आँध्रप्रदेश में समग्र क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना आरंभ की। संप्रति यह केन्द्र जुबली अस्पताल, नेल्लूर, आँध्रप्रदेश सरकार के परिसर में चलाया जा रहा है। इस केन्द्र में दिव्यांग व्यक्तियों को सभी तरह के चिकित्सापरक एवं पुनर्वास सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। वर्ष के दौरान 127 नए केसेस् एवं 5023 फालोअप केसेस् देखे गये तथा 5751 समर्थन सेवाएँ प्रदान की गई। वेंकटाचलम, नेल्लूर, आँध्रप्रदेश में 10 एकड भूमि में सी.आर.सी. नेल्लूर का स्थायी भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

1.4.3.7 समग्र क्षेत्रीय केन्द्र, देवनगिरी

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने अपने पत्र सं.6-2/2014-एन.आई. दिनांक 5.5.2016 के द्वारा देवनगिरी, कर्नाटक में समग्र क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना के लिए अनुमोदन दिया। तदनुसार, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने कर्नाटक राज्य के देवनगरि में समग्र क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना की प्रक्रिया आरंभ की। इस केन्द्र के लिए विभिन्न स्तरों पर कुल १९ पदों की मंजूरी मंत्रालय ने दिया है। फैकल्टी व अन्य कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया की जा रही है। संप्रति यह केन्द्र कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों के कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए निर्मित स्थान पर स्थित है। इसी अस्थायी केन्द्र में ही केन्द्र के नैदानिक सेवाएँ एवं शैक्षणिक क्रियाकलापों का आयोजन किया जा रहा है।

अध्याय-2

अनुसंधान और विकास

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में अनुसंधान एवं विकास एक है। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने पिछले 32 वर्षों के अनुसंधान परियोजना के विश्लेषण से यह पता चलता है कि, अनुसंधान एवं विकास का मुख्य केन्द्रबिंदु अनुप्रयुक्त अनुसंधान है। मूल अनुसंधान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, संस्थान के शैक्षणिक परिषद् एवं एथिक्स समिति जैसे पदधारित समितियों द्वारा परियोजनाओं के प्रस्तावों को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। परियोजना शैक्षणिक समिति को प्रस्तुत करने से पहले, प्राथमिक तौर पर विभागीय स्तर तथा संकाय बैठक के स्तर पर चर्चा की जाती है। इसके बाद, सभी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को एथिक्स समिति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अभी तक, संस्थान ने स्वयं अपनी निधियों के परियोजनाओं के साथ साथ यु.एस.भार रूपी फंड, यूनिसेफ, यु.एन.डी.पी.,आई.सी.एस.एस.आर. और एस.एण्ड टी. मिशन मोड के सहयोग से 66 अनुसंधान परियोजनाओं पर कार्य पूर्ण किया। पूरी की गई परियोजनाओं के परिणाम निम्नलिखित है।

क्र.	परिणाम	नंबर
1.	प्रकाशित पुस्तकें	48
2.	पैम्प्लेट / बुकलेट	24
3.	पोस्टर्स्	16
4.	साफ्टवेयर सीडी	12
5.	स्क्रीनिंग टूल्स्	11
6.	रेडियो स्पॉट्स्	11
7.	सेवा नमूने	5
8.	वीडियो फिल्म	3

पूर्ण की गई अनुसंधान परियोजनाएँ
(1984-2017)

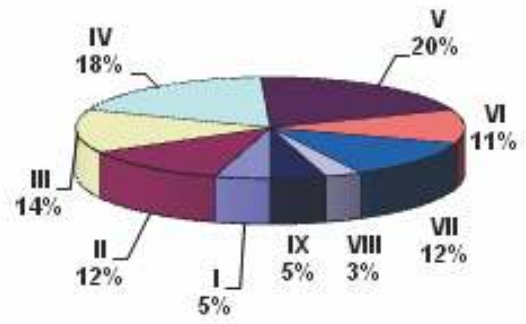

I – जागरूकता (3)	VI – व्यावसायिक एवं स्वतंत्र जीवनयापन (7)
II – प्रारंभिक अंतराक्षेपण (8)	VII – समुदाय आधारित पुनर्वास (8)
III – मनोविज्ञान (9)	VIII – सूचना एवं संप्रेषण तकनीक (3)
IV – विशेष शिक्षा (14)	IX – प्रबंधन(3)
V – थेराप्युटिक्स् (13)	**कुल परियोजनाएँ = *68***

2.1 अनुसंधान परियोजनाएँ (2016-17)

वर्ष 2016-17 के दौरान, चार परियोजनाएँ चल रहीं हैं और दो परियोजनाएँ पूरी कर ली गई है। अनुसंधान परियोजनाओं की स्थिति **तालिका - 2** पर दर्शायी गई है।

2.1.1 चल रही परियोजनाओं का विवरण

1. क्लस्टर पर आधारित विस्थापन सेवा

क्लस्टर पर आधारित विस्थापन सेवा बौद्धिक दिव्यांग व्यक्ति व उनके अभिभावक / परिवार को समुदाय संसाधनों से संपर्क के योग्य बनाता है जो उनके पुनर्वास के लिए पहचाना गया और तैयार किया गया हो। अक्सर, बडे शहरों में सेवाएँ दी जाती हैं। इस एक तरफीय अभिगम का सामना करने के लिए, एक समुदाय अभिमुखीकरण की आवश्यकता है, ताकि अपने अपने जगहों पर समाज के कई लोगों को सेवाएँ उपलब्ध हो सकें। इस उद्देश्य के मद्देनजर क्लस्टर आधारित विस्थापन सेवा का प्रस्ताव रखा गया है। प्रारंभिक फेस के दौरान पाँच क्लस्टर बनाये गये। परन्तु अनुसंधान कर्मचारियों के अभाव के कारण परियोजना आगे नहीं बढ़ा। परियोजना को कार्यकारिणी परिषद् के द्वारा 13 महीनों की अधिक अवधि के लिए बढ़ाया गया। मंत्रालय ने भी इस परियोजना को प्रधान मंत्री के कौशल विकास कार्यक्रम से जुडने का सलाह दी।

2. भारतीय बौद्धिक परीक्षण का विकास

बौद्धिक मूल्यांकन के लिए भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त कई परीक्षण व साधन उपलब्ध हैं। इनमें से कई परीक्षण जटिल, अधिक समय लेने वाले हैं और इसके लिए उच्चतर प्रशिक्षण प्राप्त विशेषज्ञों की आवश्यकता है। ऐसे विशेषज्ञों की हमारे देश में बहुत कमी है। अत: बौद्धिक दिव्यांग व्यक्ति सरकार द्वारा दी जाने वाली रियायतों या सामाजिक सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अत: इस अध्ययन का उद्देश्य भारतीय बौद्धिक परीक्षण का विकास करना है। ऐसे विकसित परीक्षण बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों के बौद्धात्मक स्तर के मूल्यांकन के लिये प्रयुक्त कर सकते हैं ताकि वे सरकारी रियायतें व सुविधाओं का लाभ उठा सकें। इस परीक्षण के द्वारा एक व्यक्ति की ताकत और कमजोरी के आधार पर अंतराक्षेपण कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। संप्रति, आइटम पूल का कार्य पूरा हुआ है और पायलट अध्ययन का कार्य प्रगति पर है।

3. बौद्धात्मक अक्षमता वाले व्यक्तियों को लैंगिक शिक्षा - अभिभावक, देखभालकर्ता एवं आई.डी. व्यक्तियों के लिए अनुदेशात्मक पुस्तिका

बौद्धिक अक्षम व्यक्ति भी यौन प्राणी हैं जिन्हें प्राकृतिक लिंग एवं लैंगिक विकास में सही ज्ञान और कुशलताओं में सहायता द्वारा उन्हें साधीकृत बनाना आवश्यक है ताकि वे लैंगिक पीडा एवं शोषण से बचकर रह सकें। बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों के अभिभावकों, देखरेखकर्ताओं, शिक्षकों एवं बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को इस विषय पर शिक्षा देने के लिए सरल सूचना का अभाव है। बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए लैंगिक शिक्षा पर अनुदेशात्मक पुस्तिका तैयार करना इस परियोजना का उद्देश्य है। संप्रति, मूल्यांकन चेकलिस्ट विकसित करने के लिए आइटम पूल की तैयारी की जा रही है।

4. पडोसी सहायक पद्धति पर सेवा प्राप्तकर्ताओं द्वारा सामाजिक पूँजी प्रयुक्त पद्धति - सेवा प्राप्तकर्ताओं का उत्तर

व्यक्तियों एवं परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुदाय एक मूल इकाई है जो जटिल पद्धति है और सामाजिक संबंध एवं आर्थिक क्रियाकलापों से परस्पर जुडी हुई होती है। बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों को साधारण समवर्ग वाले व्यक्तियों की तुलना में सामाजिक कौशलों को प्राप्त करने में कम अवसर मिलते हैं। इस परिस्थिति में सामाजिक कौशलों की कमी के साथ साथ बौद्धिक अक्षमता की स्थिति भी जुड जाती है। इन विषयों की सीमाओं के मद्देनजर, सामाजिक पूँजी को सर्वोत्तम रूप से प्रयुक्त करने के लिए सेवा प्राप्तकर्ताओं की आवश्यकताओं को निपटाने के लिए सेवाकर्ताओं को तैयार करने के लिए यह अध्ययन किया जा रहा है। सेवा प्राप्तकर्ताओं के पडोसी सहायक पद्धति के संबंध में सामाजिक पूँजी के लाभ के बारे में अध्ययन करना वर्तमान अनुसंधान का उद्देश्य है। मार्च 2017 में अनुसंधान स्टाफ की नियुक्ति होने पर परियोजना पर कार्य आरंभ किया गया। पूरी हो चुकी परियोजनाएँ

2.1.2 पूर्ण की गई अनुसंधान परियोजनाएँ

5. पोस्ट सेकेन्डरी व प्री वोकेशनल विद्यार्थियों में कार्य क्षमताओं के मूल्यांकन के लिए टूल किट विकसित करना।

मानसिक मंद बच्चों में कार्य क्षमताओं का मूल्यांकन एक व्यवस्थित ढंग से करने के लिए व्यापक टूल किट विकसित करना इस अध्ययन का उद्देश्य है। मूल्यांकन की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा उसे और समुचित बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्षेत्र में कार्यरत् शिक्षक टूल किट को आसानी से प्रयुक्त कर सकेंगे। प्रशिक्षणार्थियों को यह अपने मूल्यांकन किट तैयार करने में एक संदर्भ के रूप में काम आयेगा तथा टी.एल.एम. तैयारी में दिशा निर्देशक होगा। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य, (क) मानसिक मंदन से ग्रस्त सेकेन्डरी व प्री वोकेशनल विद्यार्थियों के लिए कार्य क्षमता चेकलिस्ट विकसित करना, (ख) कार्य मूल्यांकन के लिए टूल किट विकसित करना। इस परियोजना का परिणाम (1) कार्य क्षमता मूल्यांकन के लिए चेकलिस्ट, (2) एक व्यापक टूल किट, होगा। मार्च 2017 में परियोजना पूरी की गई। परियोजना से अपेक्षित निष्कर्ष है कि - 1) कार्य क्षमताओं के लिए चेकलिस्ट, तथा 2) मूल्यांकन व प्रशिक्षण के लिए समग्र टूलकिट। मंत्रालय को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

6. प्रारंभिक बाल्यावस्था सम्मिलित शिक्षा के लिए पाठशाला तत्परता पैकेज

"आरंभ" प्रारंभिक बाल्यावस्था सम्मिलित शिक्षा के लिए एक पाठशाला तत्पर पैकेज है जो राष्ट्रीय राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद के सहयोग से युनिसेफ, हैदराबाद (आँध्रप्रदेश, तेलंगाना तथा कर्नाटक के कार्यालय) द्वारा वित्तपोषित है। आरंभ -I पैकेज (प्रथम संस्करण - 2000) के प्रयोगकर्ताओं से पुनर्निवेश प्राप्त करके मौजूदा आरंभ-I (प्री-स्कूल) पैकेज की समीक्षा करना तथा अद्यतन करना तथा हिन्दी, तेलुगु, कन्नड एवं उर्दू भाषाओं में अनुवाद करना इस परियोजना का उद्देश्य है। प्रीस्कूल से पहली कक्षा को निर्बाध आंतरण पर यह पैकेज जोर देता है। अत: यु.के.जी. से पहली कक्षा को आंतरण करने के लिए आरंभ-I के विस्तारण के रूप में अंग्रेजी, गणित विषयों पर अनुकूल पुस्तिकाओं को तैयार करके शैक्षणिक तत्परता पैकेज विकसित करना इस परियोजना का उद्देश्य है। हस्तपुस्तिकाओं का उद्देश्य प्रारंभिक साक्षरता एवं गणित कुशलताओं की पद्धत्तियों का सरलीकरण करना है। प्री प्राईमरी तथा कक्षा एक पाठचर्या विषय सूची के बीच की खाई को पाटने के लिए, विभिन्न विकलांगताएँ जैसे दृष्टि, श्रवण तथा लोको मोटर व विकासात्मक विलम्ब वाले बच्चों की आवश्यकताओं के अनुकूल योग्य बनाने में मदद करते हैं जो आरंभ में शामिल कर चुके हैं। परियोजना के अंतर्गत अंग्रेजी में स्कूल तत्परता का पैकेज पूरा कर लिया। ऐसे विकसित पैकेज को युनसेफ को अंतिम रूप देने एवं मुद्रण करने के लिए भेजा गया।

तालिका 2: अनुसंधान परियोजनाओं की स्थिति (2016-17)

क्र.	परियोजना	मुख्य अन्वेषक / सह-अन्वेषक	आरंभ करने का वर्ष	पूरा होने का अनुमानित वर्ष	बजट लागत (रु.)	व्यय (रु.)	अधिक व्यय (यदि कोई हो तो)	अधिक समय (यदि कोई हो तो)	टिप्पणी
1	क्लस्टर पर आधारित विस्थापन सेवा	श्री बी.अशोक एवं श्री के.रवीन्दर	अक्तूबर 2010 वर्ष 2015 में पुन: आरंभ	अगस्त 2017	रु..23,19,200	रु..3,03,210	शून्य	हाँ	· परियोजना पूरा करने के लिए कार्यकारिणी परिषद् से और 13 महीनों की अवधि के लिए अनुमोदन लिया गया।. · परियोजना अभी आरंभ करना है।
2	भारतीय बौद्धिक परीक्षण का विकास	डॉ.जी.श्रीकृष्णा एवं डॉ.बीनापानी महापात्र	दिसम्बर 2011 वर्ष 2016 में पुन: आरंभ	नवम्बर 2017 (संशोधित)	रु..40,00,000 मंत्रालय के अनुसंधान एवं विकास योजना के अंतर्गत मार्च 2016 में अनुमोदन प्राप्त किया	रु.5,26, 884	शून्य	हाँ	· आईटम पूल पूरा कर लिया गया। · पायलेट अध्ययन प्रगति पर है
3	बौद्धात्मक अक्षमता वाले व्यक्तियों को लैंगिक शिक्षा - अभिभावक, देखभालकर्ता एवं आई.डी. व्यक्तियों के लिए अनुदेशात्मक पुस्तिका-	श्रीमति वी.आर.पी.शैलजा राव एवं डॉ.आर.शिल्पा मनोज्ञा	मार्च 2016फरवरी 2014	फरवरी 2019 (36 महीने की अवधि) .	रु.. 20,00,000 मंत्रालय के अनुसंधान एवं विकास योजना के अंतर्गत रु.20.00 लाख के लिए मार्च 2016 में अनुमोदन प्राप्त किया	रु..16,800	शून्य	हाँ	· फरवरी 2017 में अनुसंधान कर्मचारियों की नियुक्ति हुई। · अनुसंधान कर्मचारियों की नियुक्ति के पश्चात परियोजना के क्रियाकलापों पर कार्य आरंभ किया गया। · मौजूदा टूल्स् का पुनरीक्षण एवं आईटम पूल तैयरी प्रगति पर है
4	पडोसी सहायक पद्धति पर सेवा प्राप्तकर्ताओं द्वारा सामाजिक पूँजी प्रयुक्त पद्धति - सेवा प्राप्तकर्ताओं का उत्तर	श्री बी.अशोक एवं श्री के.रवीन्दर		फरवरी 2016 (24 महीने की अवधि)	रु..42,64,000	रु..6000/-	शून्य	हाँ	· परियोजना अभी आरंभ करना है। · मार्च 2017 में अनुसंधान स्टाफ की नियुक्ति हुई

तालिका 2: अनुसंधान परियोजनाओं की स्थिति (2016-17) जारी

क्र.	परियोजना	मुख्य अन्वेषक / सह-अन्वेषक	आरंभ करने का वर्ष	पूरा होने का अनुमानित वर्ष	बजट लागत (रु.)	व्यय (रु.)	अधिक व्यय (यदि कोई हो तो)	अधिक समय (यदि कोई हो तो)	टिप्पणी
5	पोस्ट सेकेन्डरी व प्री वोकेशनल विद्यार्थियों में कार्य क्षमताओं के मूल्यांकन के लिए टूल किट विकसित करना।	डॉ.निबेदिता पट्नायक एवं श्री बी.अशोक	दिसम्बर 2011 वर्ष 2016 में पुन: आरंभ	फरवरी 2017 (संशोधित) अक्तूबर 2015	रु..1,57,000 मंत्रालय के अनुसंधान एवं विकास योजना के अंतर्गत मार्च 2016 में अनुमोदन प्राप्त किया	रु..1, 15,000	शून्य	नहीं	· परियोजना मार्च 2017 में पूरी कर ली गई है। . · मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया
6	प्रारंभिक बाल्यावस्था सम्मिलित शिक्षा के लिए पाठशाला तत्परता पैकेज	श्रीमति वी.आर.पी.शैलजाराव	जुलाई 2014		रु..35,08,060	रु..27,52,302/-	शून्य	हाँ	· परियोजना पूरी हुई. · अंग्रेजी पैकेज विकसित किया गया और युनिसेफ को मुद्रण हेतु भेज दिया गया।

2.2 शोध प्रकाशन

एन.आई.ई.पी.आई.डी. के संकाय सदस्यों द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान प्रकाशित अनुसंधान पेपर्स का विवरण **तालिका 3** में प्रस्तुत है।

तालिका 3: एन.आई.ई.पी.आई.डी.संकाय सदस्यों द्वारा प्रकाशित किये गये लेख

क्र.	पेपर का शीर्षक	जर्नल / प्रकाशक	प्रकाशन वर्ष	लेखक का नाम
1.	रेसिलियेंस ऑफ पेरेन्ट्स् हैविंग चिल्ड्रन विथ इन्टलेक्चुवल डिसेबिलिटि : इन्फ्लुयेंसर ऑफ पेरेंट एण्ड चाईल्ड रिलेटेड डेमोग्रैफिक फैक्टर्स्	इंडियन जर्नल ऑफ हेल्थ एण्ड वेलबीयिंग	जुलाई, 2016 7(7), 707-710	अनुग्रहा मेरिन राजन एवं जे.रोमाटे एवं डॉ.जी.श्रीकृष्णा
2.	कोपिंग स्ट्रैटजीस् एमॉग एडल्ट्स् विथ माईल्ड इन्टलेक्चुवल डिसेबिलिटी	इंटरनेशनल जर्नल आफ सायंस एण्ड रीसर्च आनलाईन वाल.5, इश्यु 12	दिसम्बर, 2016	डॉ.बीनापानी महापात्र
3.	एफिकसी ऑफ काग्निटिव बिहेवियर थिरेपी (सीबीटी) इन डिप्रेशन फार पेरेन्ट्स् ऑफ चिल्ड्रन विथ मेंटल रिटार्डेशन	इंडियन जर्नल आफ क्लिनिकल साइकोलोजी का.43, नं.1 मार्च 2016	मार्च, 2016	डॉ.जी.श्रीकृष्णा, बी.सूर्यप्रकाशम, एवं एस.आर.जोशी
4.	एफेक्ट आफ सोशल स्कील ट्रेनिंग ऑन इमोशनल इंटलिजेन्स ऑफ अडॉलसेन्ट्स् विथ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी	इंटरनेशनल जर्नल आफ सायंस एण्ड रीसर्च आनलाईन, www.ijsr.net	वाल.6, इश्यु 3, मार्च 2017	डॉ.बीनापानी महापात्र
5.	टेम्परमेंट एण्ड कैरेक्टर ऑफ स्किजोफ्रेनिक्स् : ए स्टडी ऑफ इंडियन पापुलेशन	इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ ह्युमानिटीज एण्ड सोशल सायंस इन्वेन्शन	फरवरी, 2017	डॉ.अमृता सहाय
6.	पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स् विथ इन्टलेक्चुवल डिसेबिलि टीजड इन रिक्रियेशनल एण्ड लीजर एक्टिविजीज़	इन्टरनेशनल मल्टीडिसिप्लिनरी रीसर्च जर्नल वाल.IV (2) पी.पी. 184458	2016	डॉ.पद्मावती कोल्लि एवं महेश कुमार चौधरी

2.3 संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशालाएँ

वर्ष के दौरान संस्थान के संकाय सदस्यों ने विभिन्न वैज्ञानिक अधिवेशन/ कार्यशालाओं/ संगोष्ठियों का संचालन किया / में भाग या। विवरण **तालिका 4** में दर्शाया गया है।

तालिका 4 : एन.आई.ई.पी.आई.डी. के संकाय सदस्यों द्वारा संगोष्ठियों/सम्मेलनों/ कार्यशालाओं मे सहभागिता

क्र.	संकाय सदस्य का नाम	कार्यक्रम का शीर्षक	आयोजक	दिनांक	स्थान
1.	डॉ.मौसमी भौमिक	राउन्ड टेबल स्कूल रिफार्म्स् फार इन्क्लूजिव एजुकेशन	अब्जर्वेशन रीसर्च फाउन्डेशन, नारिमन पाइंट, मुम्बई	28.जुलाई,2016	मुम्बई
2.	डॉ.जी. श्रीकृष्णा	वैल्यु लाईव्स् : एन इन्विटेशनल कोर्स ऑन सोशल रोल वेलोरैजेश	ननेशनल ट्रस्ट, नई दिल्ली	23-24 अगस्त, 2016	नई दिल्ली
3.	डॉ.के.पद्मावती	उपस्थिति एवं पेपर प्रस्तुती - चाइल्ड फ्रेन्ड्ली एन्विरानमेंट इन दि इन्क्लूजिव स्कूल्स्	एन.आई.आर.डी. राजेन्द्रनगर, हैदराबाद	21 व 22 दिसम्बर, 2016	हैदराबाद
4.	श्री रवि प्रकाश सिंह	नेशनल कान्फरेंस ऑन पैराडिग्म शिफ्ट इन टीचर	एजुकेशनपी.वी.डी.टी. कालेज आफ एजुकेशन, एस.एन.डी.टी. युनिवर्सिटी, मुम्बई	27 व 28 जनवरी, 2017	मुम्बई
5.	श्री बी.वी.रामकुमार	नेशनल वर्कशाप ऑन इन्टलेक्चुवल डिसेबिलिटीज़	एन.आ.ई.पी.आई.डी.	4-5 फरवरी, 2017	जबलपुर
6.	डॉ. मौसमी भौमिक	नेशनल वर्कशाप ऑन इन्टलेक्चुवल डिसेबिलिटीज़	एन.आ.ई.पी.आई.डी.	4-5 फरवरी, 2017	जबलपुर
7.	डॉ.बीनापानी महापात्र	नेशनल वर्कशाप ऑन इन्टलेक्चुवल डिसेबिलिटीज़	एन.आ.ई.पी.आई.डी.	4-5 फरवरी, 2017	जबलपुर
8.	डॉ. मौसमी भौमिक	न्यू चैलेन्जेस् एण्ड न्यू पेडागागीस फार 21स्ट सेन्चरी एजुकेशन पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी	केजे सौमैया काम्प्रेहेन्सिव कालेज आफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एण्ड रीसर्च	17 व 18 फरवरी, 2017	मुम्बई
9.	डॉ. हेमन्त सिंह केशवाल	इन्टरनेशनल सेमिनार ऑन एनेब्लिंग एण्ड एम्पावरिंग पी.डबल्यू.डी.	आदिकवि नन्नया युनिवर्सिटी (एएनएनआर)	2-3 मार्च, 2017	बी.आर.ए., नई दिल्ली
10.	डॉ.अमृता सहाय	नेशनल कॉफरेंस ऑन इंटलेक्चुवल डिसेबिलिटी	एन.आई.ई.पी.आई.डी.	29 मार्च, 2017	आर.एम.एल. अस्पताल, नई दिल्ली

अध्याय-3

सामान्य सेवाएँ

3.1 सेवा नमूने

बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों को कई तरह की सेवाओं की आवश्यकता होती है जिससे कि, वे कार्यात्मक रूप से स्वतंत्र हों और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएँ प्रदान करता है । बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के समुचित सेवा नमूनों का समावेश करते हुए वैयक्तिक अभिगम का प्रयोग कराना सामान्य बात है।

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने नवजात शिशु, बच्चों, युवकों एवं प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए जीवन चक्र के दृष्टिकोण के आधार पर अपनी विस्तृत सेवाओं को विकसित किया।

- आरंभ में ही बौद्धिक दिव्यांगता की पहचान, प्रारंभिक अंतराक्षेपण तथा बौद्धिक दिव्यांगता की रोकथाम
- विकासात्मक विलम्बों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने तथा बच्चे के विकास में तेज़ी लाना
- विद्यालय पूर्व शिक्षा
- विशेष शिक्षा कार्यक्रम
- पेशेवर प्रशिक्षण तथा नौकरी पर लगाना
- स्वतंत्र जीवनयापन के कौशल

"मनोरंजनम" में गंभीर तथा अति गंभीर बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों की सेवाओं के लिए केन्द्रित हैं एवं बहु विकलांग बच्चों के लिए बहु संवेदी इकाई है जहाँ बहु विकलांग बच्चों को गहन संवेदी उत्तेजना प्रदान की जाती है।

3.2 सामान्य सेवाएँ

केस वृत्तांत लेने, शारीरिक तथा चिकित्सीय परीक्षण, बौध्दिक तथा विकासात्मक मूल्यांकन, विशेष शिक्षा मूल्यांकन, चिकित्सापरक आवश्यकताओं का मूल्यांकन, व्यावसायिक मूल्यांकन तथा मूल बायोकेमिकल जाँच पडताल तथा परीक्षण जैसी सेवाएँ संस्थान प्रदान करता है। विस्तृत मूल्यांकन के उपरांत, प्रबंधन योजना तथा हस्तक्षेप पैकेजों का विकास किया जाता है। बच्चे की प्राकृतिक स्थिति तथा उसके कार्यात्मक स्तर के बारे में भावनात्मक समर्थन देते हुए अभिभावकों को परामर्श दिया जाता है। अपने बच्चे के प्रबंधन व पुनर्वास हेतु अभिभावकों को गृह आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा प्रदर्शन दिया जाता है। वर्ष 2016-17 के दौरान 10,741 क्लाइंटों को राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के मुख्यालय,सिकंदराबाद तथा क्षेत्रीय केंद्र नई दिल्ली/ नोएडा, कोलकाता तथा नवी मुम्बई में देखा गया। इसके अतिरिक्त आउटरीच शिविरों में 2,822 नए मामलों का मूल्यांकन किया गया। वर्ष 2016-17 के दौरान परीक्षण किये गये क्लाइंटों का विवरण **तालिका *5* एवं रेखाचित्र *1* दर्शाया** गया है।

रेखाचित्र 1 : नए क्लाईंटों का पंजीकरण

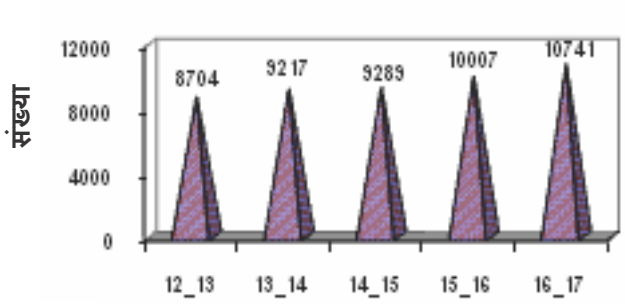

नए क्लाइंटों का पंजीकरण		
वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2015-16	9476	10007
2016-17	12688	13563

नए क्लाईंटों का पंजीकरण -2016-17		
ओपीडी द्वारा	शिविरों द्वारा	कुल
10741	2822	13563

तालिका 5: वर्ष 2016-17 के दौरान नए क्लाईंटों को ओ.पी.डी. में प्रदान की गई सेवाएँ

क्र.	क्रियाकलाप	2015-16 (एन=10007)		2016-17 (एन=10741)	
		संख्या	%	संख्या	%
1	चिकित्सा/मनश्चिकत्सा	5220	52.2	3524	32.8
2	ईआईएस/पेडियाट्रीक्स्	1380	13.8	1188	11.1
3	फिजियोथेरपी	3405	34.0	3232	30.1
4	बायोकेमिस्ट्री	2166	21.6	2476	23.1
5	स्पीच थिरेपी	997	10.0	31102	9.0
6	ईईजी	--	--	219	2.0
7	बहुविधि अक्षमता	904	9.0	334	3.1
8	पोषण	262	2.6	768	7.2
9	हाईड्रोथिरेपी	36	0.4	0	0.0
10	विशेष शिक्षा	7419	74.1	8170	76.1
11	विशेष शिक्षा केन्द्र	--	--	137	1.3
12	पीएमआर	27	0.3	48	0.4
13	आटिजम्/एल.डी	320	3.2	230	2.1
14	मल्टी सेन्सरी / बहुसंवेदी	242	2.4	176	1.6
15	कम्प्यूटर सहायक अनुदेशक	80	0.8	61	0.6
16	समूह क्रियाकलाप	81	0.8	633	5.9
17	मोबाईल/एचबीटी	274	2.7	444	4.1
18	मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन	9044	90.4	9536	88.8
19	व्यवहार परिवर्तन	2831	28.3	3122	29.1
20	अभिभावक परामर्श	9500	94.9	9999	93.1
21	व्यावसायिक मूल्यांकन, मार्गदर्शन व परामर्श	734	7.3	1529	14.2
22	व्यावसायिक मार्गदर्शन व सूचना	401	4.0	617	5.7
23	कार्यस्थल (वी.टी.)	180	1.8	164	1.5
24	कौशल प्रशिक्षण	--	--	100	0.9
25	आक्युपेशनल थिरेपी	2681	26.8	2778	25.9
26	संसाधन कक्ष	225	2.2	191	1.8
27	परिवार कुटीर	115	1.1	125	1.2
28	होमियोपथी	1635	16.3	912	8.5
29	राहतदेखभाल	209	2.1	46	0.4
30	अन्य	898	9.0	890	8.3
	कुल	**51,266**	--	**54,761**	--

3.3 फालोअप सेवाएँ

घर पर प्रबंध योजना विकसित करने के द्वारा गृह आधारित प्रशिक्षण के कार्यक्रम की ओर फालो अप सेवाएँ लक्षित हैं। बाहर के स्थानों से आने वाले लोगों के लिए परिवार कुटीर की सुविधा उपलब्ध है। जहाँ कहीं आवश्यक हो, वहाँ सेवाएँ प्राप्त करने के लिए क्लाईंटों को स्थानीय संस्थानों में परीक्षण कराने समुचित संदर्भ पत्र जारी किये जाते हैं जबकि, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में आवधिक परामर्श जारी रहता है। सीधे प्रशिक्षण, संस्थान द्वारा प्रकाशन फोल्डर व पोस्टरों की आपूर्ति तथा नाममात्र की कीमत पर पुस्तकों की आपूर्ति के द्वारा अभिभावकों तथा परिवार के अन्य सदस्यों को समर्थन दिया जाता है। इस वर्ष के दौरान 56,393 फालो अप क्लाईंटों को देखा गया और समर्थन (विशेष) सेवाएँ प्रदान की गईं (तालिका 6)। कुल मिलाकर 2,19,701 समर्थन सेवाएँ नए एवं फालो-अप क्लाईंटों को प्रदान किया गया।

देखे गये फालो अप क्लाईंट		
वर्ष	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**
2015-16	35000	41942
2016-17	40170	56393

2016-17 में देखे गये फालो-अप क्लाईंट		
ओपीडी के द्वारा	**शिविरों**	**मेंकुल**
50197	6196	56393

तालिका 6*:* वर्ष 2016-17 के दौरान ओ.पी.डी. में फालोअप क्लाईंटों को प्रदान की गई समर्थन सेवाएँ

क्र.	सेवा क्रियाकलाप	*2015-16 (एन=41942)*		*2016-17 (एन=50197)*	
		संख्या	**%**	**संख्या**	**%**
1	मेडिकल / साइकियाट्री	17190	41.0	19611	39.1
2	प्रारंभिक अंतराक्षेपण सेवाएँ/बाल चिकित्सा	10428	24.9	2929	5.8
3	शारीरिक चिकित्सा	5227	12.5	6980	13.9
4	बायोकेमिस्ट्री	--	--	15	0.0
5	वाणी चिकित्सा	1785	4.3	4055	8.1
6	बहुविधि अक्षमता	1558	3.7	1615	3.2
7	हाईड्रोथिरेपी	76	0.2	--	--
8	विशेष शिक्षा	8715	20.8	16969	33.8
9	विशेष शिक्षा केन्द्र	--	--	15098	30.1
10	पी.एम.आर.	860	2.1	4032	8.0
11	आटीजम/एल.डी.	2331	5.6	259	15.2
12	बहु संवेदी	881	2.1	1586	3.2
13	कम्प्यूटर सहायक अनुदेशक	2490	5.9	2982	5.9
14	समूह क्रियाकलाप	4382	10.4	10807	21.5
15	मोबाईल/एच.बी.टी.	2598	6.2	2922	5.8
16	योग	470	1.1	4088	8.1

17	मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन	4107	9.8	5850	11.7
18	व्यवहार परिवर्तन	4823	11.5	7711	15.4
19	अभिभावक परामर्श	8414	20.1	7373	14.7
20	व्यावसायिक मूल्यांकन एवं परामर्श	296	0.7	563	1.1
21	व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं सूचना	226	0.5	541	1.1
22	वर्कस्टेशन (वीटी)	14891	35.5	27972	55.7
23	कौशल प्रशिक्षण	--	--	931	1.9
24	आक्युपेशनल थिरेपी	4349	10.4	8195	16.3
25	संसाधन कक्ष	1076	2.6	1608	3.2
26	परिवार कुटीर	466	1.1	304	0.6
27	होमियोपथी	2009	4.8	1243	2.5
28	अन्य	671	1.6	6569	13.1
	कुल	***1,00,319***	**--**	**1,65,140**	**--**

नए एवं अनुवर्ती क्लाईंटों को प्रदान की गई समर्थन सेवाओं की संख्या		
वर्ष	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**
2016-17	120383	219701

3.3.1 आयुर्विज्ञान / डॉक्टरी सेवाएँ

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में पंजीकृत क्लाईंटों के मामले सामान्य स्वास्थ्य मूल्यांकन और रोग विषयक निदान के उद्देश्य के लिए चिकित्सालयीन परीक्षण के साथ क्लाईंट का व्यक्तिवृत्तांत लिया जाता हैं। डाक्टरी प्रबंधन व्यक्तिगत और आवश्यकता आधारित होता है तथा इसमें मिरगी, अति-गत्यात्मक बर्ताव, पौष्टिकता की कमियाँ, संक्रमण, हार्मोन संबंधी कमियाँ, मानसिक रोग जैसी सहसंबध्द स्थितियों के बारे में सूचना देना और इलाज करना शामिल है। मिरगी, अति गत्यात्मक बर्ताव और मानसिक रोग की औषधियाँ कम-आयवाले परिवारों के मरीजों को मुफ्त दी जाती हैं। न्यूरोलॉजी, आर्थोपेडिक, एन्डोक्रैनॉलोजी तथा पीडियाट्रिक संबंधी सेवाओं के लिए अन्य स्रोतों का प्रबंध किया गया है। आवश्यकतानुसार समुचित संदर्भ दिये जाते हैं।

3.3.2 प्रारंभिक अंतराक्षेपण सेवाएँ

प्रारंभिक अंतराक्षेपण सेवाएँ 0-3 वर्ष की आयु के ऐसे बच्चों को दी जाती हैं, जो जोखिम भरे और विकासात्मक विलंब की समस्या से जूझते रहते हैं। ये सेवाएँ रोकथाम, रेमिडियेशन और इन बच्चों के इलाज और सर्वतोमुखी विकास पर ध्यान देती हैं। ये सेवाएँ बाल-केंद्रित और परिवार-उन्मुख होती हैं तथा बहुक्षेत्रीय रोग विशेषज्ञों के दल द्वारा प्रदान की जाती हैं। फिजियोथिरेपी, व्यावसायिक चिकित्सा, वाणी और भाषा चिकित्सा, बाल-विकास, बाल-विशेषज्ञ और मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और परिवार मध्यस्थता जैसी विशिष्टताओं से भरे इलाज इन बच्चों को मिलते है। प्रारंभिक अंतराक्षेपण सेवाओ में, अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामूहिक चिकित्सा,खेल-चिकित्सा, वैयक्तिक मार्गदर्शन और परामर्श जैसी सेवाएँ भी प्रदान की जाती हैं ।

3.3.3 भौतिक चिकित्सा सेवाएँ

यह एकक बौद्धिक दिव्यांगन के साथ-साथ प्रेरक मोटर समस्याओं जैसे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, असामान्य प्रेरक प्रवृत्तियाँ, चलने-फिरने में असमर्थताएँ, संचलन की सामान्यताएँ, जन्मजात असामान्यताओं आदि से पीडित लोगों को आवश्यक सेवाएँ प्रदान करता है। चिकित्सीय मध्यस्थताएँ सारग्राही की प्रवृत्ति के होते हैं जिनमें व्यायाम, जल-चिकित्सा, भंगिमाओं और संचालन असमर्थताओं को सुधारने, चाल प्रशिक्षण और समग्र विकास में वृध्दि, सम्मिलित हैं ।

3.3.4 बायोकेमिस्ट्री सेवाएँ

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में डाक्टरी सेवाओं का समर्थन करने के लिए बायोकेमिस्ट्री प्रयोगशाला है जो बायोकेमिकल अन्वेषण(काया रूपांतरण-स्क्रीनिंग), असामान्यताएँ एमिनोएसिडोपैथीस, ग्लायकोजेन स्टोरेज और म्यूको-पोलिसकरिडोसेज आदि जैसी बौद्धिक दिव्यांगन से संबंधित काया-रूपांतरण या बायोकेमिकल संबंधी असामा- न्यताओं की पहचान करती है तथा यहाँ सामान्य स्वास्थ्य या शारीरिक स्थिति की जाँच करने नेमी बायोकेमिकल परीक्षण भी किये जाते हैं। इससे रोग-निदान, इलाज, परामर्श और मानिटरिंग में सहायता मिलती है।

3.3.5 वाणी चिकित्सा और श्रवण चिकित्सा सेवाएँ

वाणी और भाषा का विलंबित विकास बौद्धिक दिव्यांगन के प्रमुख लक्षणों में से एक है। अधिकांश बच्चों में श्रवण संबंधी विभिन्न दोष पाए जाते हैं। ऐसे क्लाईंटों को सेवाओं की आवश्यकता की विस्तृत निर्धारण किया जाता है। बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार वाणी और भाषा मध्यस्थता पैकेज विकसित किया जाता है। अभिभावकों को मार्गदर्शन दिया जाता है कि वे व्यावसायिकों की सलाह के अनुसार घर पर ही अंतराक्षेपण करें।

3.3.6 इलेक्ट्रोमाइलोग्राफी (ईएमजी)

इलेक्ट्रोमाइलोग्राफी तंत्रिका अंत: शक्ति में एलेक्ट्रिकल परिवर्तनों को रिकार्ड करती है। यह बौद्धिक दिव्यांगन से ग्रस्त व्यक्तियों के संवेदी और प्रेरक तंत्रिका की स्थिति के क्रियात्मकता के बारे में सूचना प्रदान करती है। यह परावर्ती तंत्र के बारे में जानकारी हासिल करने में मदद देती है कि क्या तंत्रिकाएँ, रीढ़ की हडडी, मस्तिष्क बाधित हैं जिसके आधार पर आगे के कार्यक्रम की योजना बनायी जा सकती है और जब एक बार तंत्रिका संवेदन, माँसपेशियों की क्रियाशीलता और जोड़ों के हलचल की पहचान हो जाए तो तंत्रिकाओं की क्रियात्मकता की प्रेरणा के द्वारा इलाज किया जा सकता है । यदि तंत्रिकाओं में संवेदनहीनता और संवेदनशीलता की कमी हो तो संवेदन प्रक्रिया को बार-बार दुहराने से संवेदन पुन: प्राप्त हो जाता है। यदि रीढ़ स्तरों पर प्रेरक तंत्रिका को क्षति पहुँची हुई हो, तो परावर्ती प्रक्रिया को दोहराते रहने से माँसपेशी सिकुड़न को बढ़ाया जा सकता है और इस प्रकार बारंबार माँसपेशी सिकुड़न माँसपेशी शक्ति को विकसित करती है, जिससे जोड़ों की स्थिरता विकसित करने में सहायता मिलेगी।

3.3.7 इलेक्ट्रोएन्सीफैलोग्राम (ईईजी)

इलेक्ट्रोएन्सीफैलोग्राम (ईईजी) मौलिक क्रियाविधि है जिसे मस्तिष्क के क्रियाविज्ञान को समझने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह मस्तिष्क के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की संरचना और क्रियात्मकता में दिखायी देने वाले रोगात्मक परिवर्तनों की पहचान करने में सहायता देता है। इस क्रियाविधि का मुख्य लक्ष्य मिरगी के दौरों के प्रकारों और मिरगी के विभिन्न लक्षणों का रोग निरूपण करना है। बौद्धिक दिव्यांगन के लोगों के किसी भी प्रकार के न्यूरोलॉजिकल (तंत्रिका विज्ञान) अभावों के व्यापक रोग-नैदानिक कार्यकलाप की आवश्यक क्रियाविधि ईईजी है । ईईजी का उपयोग इलाज की प्रभावशालिता का मूल्यांकन या मानिटर करने के लिए भी होता है। मिरगी के रोग को मिटाने के लिए दवाइयाँ देने के प्रकार और अवधि का निर्धारण करने में ईईजी मदद देती है। बौद्धिक दिव्यांगन के लोगों में मिरगी का रोग (30%) अधिक होता है जबकि आम जनसंख्या में यह कम (1%) होता है।

3.3.8 बहु-दिव्यांग से ग्रस्त लोगों के लिए सेवाएँ

बौद्धिक दिव्यांग बच्चे जो श्रवण-क्षति, दृष्टि क्षति और शारीरिक क्षति जैसी अतिरिक्त समस्याओं से पीड़ित हों तो इस सेवा में उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बहु-विषयक व्यावसायिकों का दल व्यापक सेवाएँ प्रदान करता है। इन सेवाओं के लिए सप्ताह में एक दिन विशेष क्लिनिक रहती है।

3.3.9 पोषण

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में सभी मामलों का मूल्यांकन उनकी पौष्टिक स्थिति के एन्थ्रोपोमैट्रिक मापनों (ऊँचाई और वज़न) के उपयोग द्वारा किया जाता है। कुपोषण की पहचान किये गये बच्चों को पौष्टिकता संबंधी सलाह दी जाती है।

3.3.10 जल-चिकित्सा (हाइड्रोथिरेपी) सेवाएँ

जल-चिकित्सा, बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों और विशेषकर जोड़ों के दर्दों, सूजन, कडापन, माँसपेशी कमजोरी और मस्तिष्क संस्तंभन से पीड़ित लोगों के लिए लाभदायक इलाज का एकमात्र तरीका है। संस्थान, बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त और विभिन्न शारीरिक समस्याओं से पीड़ित लोगों को जल चिकित्सा की सेवाएँ प्रदान करता है।

3.3.11 विशेष शिक्षा सेवाएँ

बौद्धिक दिव्यांग बच्चों का, विभिन्न कौशलों जैसे स्वयं सेवा कौशल, समग्र और उत्तम प्रेरक कौशल, क्रियात्मक पढ़ने-लिखने के कौशल, समय, धन और तत्संबंधी संज्ञानात्मक कौशलों में, क्रियात्मकता के चालू स्तरों का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन की सभी अवस्थाओं, वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम के आयोजन और आई.ई.पी. के पूरे कार्यान्वयन में अभिभावकों को सम्मिलित किया जाता है। है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में सीखने के लिए विभिन्न समुचित सहायता सामग्रियाँ और उपकरण उपयोग में लाये जाते हैं। कंप्यूटर से सहायता प्राप्त प्रशिक्षण माड्यूलों को भी उपयोग में लाया जाता है। जरूरतमंद विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को दी जाने वाली विशेष शिक्षा सेवाओं की कुशलता को और अधिक गतिशील बनाने के लिए कंप्यूटर से सहायता प्राप्त प्रशिक्षण माड्यूलों का उपयोग किया जाता है।

3.3.12 मनोरंजनम-अति गंभीर बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए संसाधन कक्ष

यद्यपि बौद्धिक दिव्यां व्यक्तियों के लिए इन वर्षों में सेवा कार्यक्रमों में बहुत वृध्दि हुई है, परंतु बहुत ही कम संगठन हैं जो गंभीर बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों को सेवाएँ प्रदान करते हैं। गंभीर रूप से बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों को अधिक विशिष्ट सेवाओं और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए कार्मिकों की जरूरत होती है, क्योंकि गंभीर बौद्धिक बौद्धिक अक्षमता के अधिकांश बच्चे कुछ शारीरिक अक्षमताओं से और कुछ बौद्धिक दिव्यांगता के अलावा मिरगी के रोग से पीडित होते हैं। फिर भी, अति गंभीर बौद्धिक दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर किये गये अनुसंधान अध्ययन यह सूचित करते हैं कि प्रणालीबद्ध प्रशिक्षण दिया जाए तो बौद्धिक दिव्यांग बच्चे भी कुछ हद तक किसी पर आश्रित रहे बिना मौलिक कौशल सीख लेने योग्य होते हैं। इसके मद्देनज़र अति गंभीर बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए संस्थान ने मनोरंजनम नामक एक संसाधन कक्ष आरंभ किया है। यह संस्थान के अनुसंधान परियोजना का एक नतीजा है।

3.3.13 आत्मविमोह और बौद्धिक दिव्यांगता

यह अनुमान लगाया गया है 75% आत्म-विमोह वाले व्यक्तियों में बौद्धिकता का स्तर कम होता है। बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रस्त बच्चों के स्कूलों में बौद्धिक दिव्यांग और आत्म-विमोह से ग्रस्त बच्चे पाये जाते हैं, यह आवश्यक है कि उन्हें समुचित शिक्षण सेवाएँ प्रदान की जाएँ। आत्मविमोह से ग्रस्त बच्चों के प्रबंधन में प्रशिक्षित कर्मचारियों को बौद्धिक दिव्यांगता एवं आत्मविमोह से ग्रस्त बच्चों को व्यक्तिगत तथा समूह अनुदेश प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया है। इसके अलावा वे नियमित स्कूलों और विशेष स्कूलों के टीचरों को परामर्श समर्थन प्रदान करते हैं।

3.3.14 बौद्धिक दिव्यांगता और संवेदी क्षति

बौद्धिक दिव्यांगता के साथ-साथ दृष्टि और/ या श्रवण दोष से ग्रस्त बच्चों को सामूहिक प्रशिक्षण के अलावा विशेष शिक्षा की भी आवश्यकता होती है। जब उनमें दृष्टि और श्रवण दोनों ही संवेदनों की अक्षमता होती है, उनके लिए प्रशिक्षण पध्दतियों और सामग्रियों के रूपांतरों की आवश्यकता होती है। इस बात को नजर में रखते हुए ही ऐसे बच्चों के लिए विशिष्ट सेवाएँ आरंभ की गयीं। ये बच्चे अपनी कक्षा में सीखने के अलावा प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा वैयक्तिक ध्यान पाते हैं। उनकी अनोखी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरणिक परिवर्तन / संशोधन किये जाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए संवेदी क्षति वाले बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए सेवाओं की आवश्यकताओं को देखते हुए राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने वाइस एंड विजन टास्कफोर्स के सहयोग से बधिरांध के लिए एक मैन्युअल विकसित किया है जो कि, शिक्षको / सेवा प्रदानकर्ताओं के लिए मार्गदर्शक के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा।

3.3.15 कम्प्यूटर-सहायक अनुदेश

कम्प्यूटर सहायक अनुदेश का उद्देश्य है बौद्धिक अक्षम बच्चों में सीखने के कौशल को बढ़ावा देना, साथ ही साथ बच्चों को कम्प्यूटर पर काम करने की तकनीक सिखाना जिससे कि, वे अवकाश कालीन क्रियाकलापों में साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर का प्रयोग करने में समर्थ हो सकें।

विशेष शिक्षा विभाग ने बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 6 साफ्टवेयर पैकेज विकसित किये हैं। विशेष शिक्षा केन्द्र के विद्यार्थियों एवं प्रौढ़ स्वजीवन यापन विभाग के वयस्क बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों को नियमित सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं ताकि, वे सीखने के लिए कम्प्युटरों का प्रयोग कर सकें। कम्प्युटर सहायक अनुदेश द्वारा प्राप्त बहुसंवेदी इनपुट बच्चों के ध्यान व प्रेरणा को बनाए रखने में मदद करता है, परिणामस्वरूप उनके सीखने की प्रक्रिया में तेज़ी होती है। बौद्धिक दिव्यांग के साथ-साथ न्यूरोमोटर की समस्या से ग्रस्त होने पर उनके लिए अनुरूपणों सहित कंप्यूटर के साफ्टवेयर और हार्डवेयर पेरिफेरल्स विकसित किये गये, जो उनके लिए सरल हैं।

3.3.16 सामूहिक क्रियाकलाप

सामान्य सेवाओं द्वारा संदर्भित किये गये बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को उनके विशेष शिक्षा केन्द्र में नियमित प्रवेश पाने तक संस्थान सामूहिक सेवाएँ प्रदान करता है। ये सेवाएँ तीन प्रकार की आयु समूहों को दोपहर में प्रदान की जाती हैं।

3.3.17 मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में पंजीकृत सभी मामलों का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाता है जिसमें विकासात्मक मूल्यांकन, बौध्दिक मूल्यांकन तथा अनुकूली व्यवहार का मूल्यांकन शामिल हैं। मंदन के स्तर का निश्चयन करने के लिए विभिन्न परीक्षण किये जाते हैं। मूल्यांकन के आधार पर वैयक्तिक अंतराक्षेपण कार्यक्रम बनाया जाता है। शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए तथा सरकार द्वारा समय समय पर दी जाने वाले सुविधाओं एवं रियायतों का लाभ उठाने के लिए एवं विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट दी जाती है।

3.3.18 व्यवहार परिवर्तन सेवाएँ

बौद्धिक दिव्यांगता के साथ साथ समस्यात्मक व्यवहार जैसे, अवज्ञाकारी, सिर पीट लेना, स्वयं को दाँतों से काट लेना, अपने आप को घायल कर लेना, अत्यधिक रोना, आदि जैसी समस्या वाले बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों को व्यवहार परिवर्तन सेवाएँ दी जाती हैं। व्यवहार समस्याओं की आवृत्ति और गंभीरता के विस्तृत मूल्यांकन के बाद, कार्यात्मक विश्लेषण द्वारा ऐसे व्यवहारों के कारणों का पता लगाया जाता है। तत्पश्चात्, उचित व्यवहारा - त्मक प्रबंधन कार्यक्रम तैयार किया जाता है और ऐसी समस्या पाये जाने पर उपयुक्त मध्यस्थता करने के अनुदेश अभिभावकों को दिये जाते हैं। प्रगति जानने के लिए नियमित अंतरालों में अनुवर्ती सेवाएँ दी जाती है।

3.3.19 अभिभावक परामर्श सेवाएँ

बौद्धिक दिव्यांग बच्चा होने के कारण अभिभावकों के तनाव तथा अपराधी भावना को समझकर उन्हें भावनात्मक सहायता एवं तदनुभूती को समझकर अभिभावकों को परामर्श दिया जाता है। अभिभावकों द्वारा व्यक्त की गयी गलतफहमियों को दूर करने के साथ-साथ बौद्धिक अक्षमता की प्रकृति समझने और जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में बच्चे की जरूरतों को पूरा करने उन्हें मार्गदर्शन दिया जाता है। अभिभावकों की अपेक्षाओं के अनुरूप पारिवारिक व्यवस्था में बच्चे के संतोषजनक विकास को प्रोन्नत किया जाता है।

3.4 व्यावसायिक प्रशिक्षण

बौद्धिक दिव्यांग वयस्कों के लिए प्रौढ़ स्वजीवनयापन विभाग व्यावसायिक पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करता है । विभाग के मुख्य उद्देश्य हैं -

- बौद्धिक दिव्यांग वयस्कों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करना
- जीवन के सभी चरणों पर ट्रैंसीशन अवधि के दौरान समर्थन सेवाएँ प्रदान करना एवं स्वतंत्र जीवन को प्रोन्नत करना
- बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों को समग्र सेवाएँ प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकसित करना
- व्यावसायिक पुनर्वास एवं स्वतंत्र जीवन यापन के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलाप चलाना।

3.4.1 बौद्धिक दिव्यांगजनों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्य स्टेशन

प्रौढ़ स्वजीवन यापन विभाग बौद्धिक दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम आयोजन करने के उद्देश्य से कार्यरत् है और विभिन्न व्यावसायिक सेवाएँ प्रदान करता है ताकि बौद्धिक दिव्यांगजन अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। व्यावसायिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने के लिए विभाग ने बौद्धिक दिव्यांगजनों के लिए चरण-वार प्रशिक्षण देने के लिए कार्यस्टेशनों की शुरुआत की। बौद्धिक दिव्यांगजनों के मूल्यांकन के बाद, एक प्रबंधकीय योजना बनायी जाती है, ताकि संज्ञानात्मक प्रेरक, संचार और सामाजिक क्रियाकलापों को प्रेरित कर उन्हें अलग-अलग वर्कस्टेशनों में रखा जाए। आरंभ में वर्कस्टेशनों में बौद्धिक दिव्यांग व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के सेटिंग में काम करने के लिए दिये जाएँगे ताकि, उनके कौशल और कार्य व्यवहार (जनरिक स्किल ट्रेनिंग) विकसित हों। जातिगत कौशल, विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण और स्वतंत्र कौशल में छ: महीने की सफलतापूर्वक प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षार्थियों को खुला/ समर्थक /स्वयं समर्थक /आश्रित रोजगार में रखा जाता है। प्रशिक्षण के दौरान ही नौकरियों को पहचाना जाता है और अभिभावकों को अनुवर्ती कार्यवाही हेतु सूचित किया जाता है।

संस्थान के प्रौढ स्वजीवन विभाग में कुल 298 प्रौढ बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों ने इन सेवाओं का लाभ उठाया, लिंग-वार विवरण तालिका 7 में दिये गये हैं।

तालिका 7 :डेयल में व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवाओं का लिंग वार-विवरण

लिंग	व्यावसायिक मूल्यांकन, मार्गदर्शन तथा परामर्श	व्यावसायिक प्रशिक्षण (कार्य स्थल)
पुरूष केसों की संख्या	170	59
महिला केसों की संख्या	55	14
कुल	***225***	***73***

प्रशिक्षक क्लाईंटों द्वारा कार्य स्टेशन में तैयार की गई वस्तुएँ जैसे, स्क्रीन प्रिंटिंग, फोटोकापी, स्टेशनरी सामग्री (लिखने की पुस्तकें, फाइल पुस्तकें, आदि) तथा आफसेट प्रिंटिंग संस्थान में दैनिक कार्य में प्रयुक्त किये जा रहे हैं।

अन्य वस्तुएँ, जैसे ग्रीटिंग कार्ड, ग्लास पेन्टिंग, साफ्ट टॉय, दस्तकारी कार्य आदि, का संस्थान में आने वाले व्यक्तियों द्वारा खरीदे जाते हैं या संस्थान में ही वाल डेकोरेशन के लिए या अतिथियों को ज्ञापिका के रूप में प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किये जाते हैं।

3.4.2 लेन-देन प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रौढ़ स्वजीवनयापन विभाग ने 'ट्रैन्सैक्शन ट्रैनिंग' नामक एक नया प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, संस्थान के कैम्पस के पास एक पोर्टबल काउन्टर (डेमो टेन्ट) खोला। व्यावसायिक अनुदेशकों की सहायता से वयस्क बौद्धिक दिव्यांग व्यक्ति व्यावसायिक प्रशिक्षण के विभिन्न उत्पादनों जैसे सॉफ्ट-टायस, चाकलेट, कला और शिल्पकारी वस्तुये, ग्रीटिंग कार्ड, आदि को बढावा देने के लिए इस डेमो टेन्ट में प्रदर्शित करते हैं। इस क्रियाकलाप के द्वारा, मार्केटिंग, सामाजिकीकरण, पैसों का लेनदेन, सामाजिक कौशल, संप्रेषण कौशल, आदि जैसी मूल आवश्यकताओं को समझ सकते हैं।

3.4.3 व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं सूचना सेवाएँ (वीजीआईएस)

बौद्धिक दिव्यांगजन वयस्कों को आवश्यक सूचना प्रदान करने के लिए व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं सूचना सेवा (वीजीआईएस) इकाई एक अनोखा मंच है। कार्यस्टेशनों, वर्तमान वर्ष में प्रौढ़ बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध सेवाएँ, वर्तमान प्रवृत्तियाँ, योजनाएँ एवं लाभ, रोजगार संबंधि विषय, आदि सूचना पर बैठक में चर्चा की गई। वर्ष के दौरान 394 अभिभावकों ने व्यावसायिक मार्गदर्शन का लाभ उठाया।

3.4.4 आक्युपेशनल चिकित्सा

बौद्धिक दिव्यांगता और संबध्द स्थिति और अन्य व्यापक विकासीय अक्षमताओं से पीडित लोगों की जरूरतों को आक्युपेशनल थिरेपी एकक पूरा करता है। यह सेवा मुख्य रूप से निष्पादन घटकों को विकसित करने, विशिष्ट संवेदी अवयवों को सुधारने, प्रेरक, संज्ञानात्मक, बोधात्मक कौशलों को विकसित कर स्वतंत्र रूप से जीना सिखाता है। जिन क्लाईंटों को इस सेवा की जरूरत होती है, उनका विस्तृत मूल्यांकन और विशिष्ट मध्यस्थता कार्यक्रम व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार किया जाता है, जिनको सहायक या अनुरूप उपकरणों की आवश्यकता होती है, उन्हें यथोचित केंद्रों में भेजा जाता है। देखरेखकर्ताओं को उसी वातावरण में मध्यस्थता करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान किया जाता है ।

3.5 कौशल विकास प्रशिक्षण

भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम का राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान क्रियान्वयन कर रहा है, जिसके उद्देश्य निम्नलिखित है-

- बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों में कार्य कौशल सुधारने तथा कार्य की दुनिया में सहभागी हो सके
- बौद्धिक दिव्यांग वयस्क व्यक्तियों को प्रशिक्षित मानव संसाधन के रूप में सामाजिक-आर्थिक क्रियाकलापों की मुख्यधारा में जाने के लिए प्रोन्नत करें

वर्ष 2016-17 के दौरान, एन.आई.ई.पी.आई.डी. मुख्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र-कोलकाता एवं क्षेत्रीय केन्द्र-नोएडा में एस.आई.पी.डी.ए. के अंतर्गत आयोजित कौशल विकास कार्यक्रम में 100 बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों ने प्रवेश लिया।

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	कार्य स्थानन
2016-17	500	100	16

प्रवेश प्राप्त बोद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों को विभिन्न कार्यस्टेशनों जैसे, फोटोकॉपी करना, स्पाईरल बाईंडिंग कार्य करना, लैमिनेशन कार्य, टेलिरिंग, एम्ब्राइडरी, कैंडिल तैयार करना, पेपर बैग तैयार करना, आर्ट व क्राफ्ट क्रियाकलाप, लिफाफा तैयार करना, स्क्रीन प्रिंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग तथा कंप्युटर प्रशिक्षण क्रियाकलापों में प्रशिक्षण दिया गया।

यह प्रशिक्षण प्रत्येक बैच के लिए छः महीने के लिए दिया जा रहा है जिसके दौरान प्रशिक्षु जेनेरिक (कार्य तत्परता) कौशल, विनिर्दिष्ट कार्य कौशल, कार्य क्षमताएँ, कार्य व्यवहार, स्व-समर्थन तथा अन्य रोजगार संबंधी कौशलों में प्रशिक्षण दिया गया है। प्रौढ़ स्वजीवनयापन विभाग ने 16 छात्रों को पारिश्रमिक रोजगार पर प्राईवेट सेक्टर में नौकरी दिलाई।

संरचित तथा समग्र व्यावसायिक पुनर्वास सेवाओं के द्वारा, प्रौढ़ स्वजीवनयापन विभाग बौद्धिक दिव्यांग प्रौढ़ व्यक्तियों के स्वतंत्र जीवन कौशलों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा और कार्य की दुनिया में इन्हें योग्य नागरिकों के रूप में बनाने का प्रयास किया है।

3.6 परिवार कुटीर सेवाएँ

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में दूर-दराज के स्थानों से आने वाले परिवारों के लिए परिवार कुटीर व्यवस्था उपलब्ध है। परिवार कुटीरों में 12 इकाइयाँ उपलब्ध हैं। प्रत्येक इकाई में कम से कम ५ सदस्यों को रहने की सुविधा मिल सकती है। प्रत्येक इकाई में एक रसोई और वाश रूम है। जबकि परिवार कुटीरों में रहने वाले संस्थान में ही एक बौद्धिक दिव्यांग व्यक्ति के अभिभावकों द्वारा चलाई जा रही कैन्टीन की सुविधा से लाभ उठा सकते हैं, वे परिवार कुटीर में रखे गये बर्तन, गैस आदि का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ वे दो सप्ताह तक रहकर व्यावसायिक तथा प्रशिक्षण सेवाएँ तथा कौशल प्रशिक्षण, व्यक्तिगत परिवार परामर्श, समस्या व्यवहार का प्रबंधन, वाणी-भाषा चिकित्सा, डाक्टरी सलाह, फिजियोथेरपी, मनोरंजन क्रियाकलाप और उनकी जरूरत की अन्य सहायताएँ प्राप्त कर सकते हैं। ये कुटीर अभिभावकों को उनके दैनिक जीवन से दूर हटकर अपने बच्चों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करवाते हैं।

वर्ष 2016-17 के दौरान परिवार कुटीरों के उपयोगकर्ताओं की संख्या 231 है। रहने की औसत अवधि प्रत्येक परिवार के लिए पाँच दिन रही। परिवार कुटीरों में प्रदान की गई सेवाओं का विवरण **तालिका *8*** में दर्शाया गया है।

तालिका 8: लिंग और आयु पर आधारित परिवार कुटीर मे निवास किए क्लाईटों की संख्या

आयु वर्ष में	कुल क्लाईट	प्रतिशत	पुरूष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत
0-3	27	11.68	15	9.61	12	16.0
4-6	51	22.07	32	20.61	19	25.33
7-9	52	22.51	42	26.92	10	13.33
10-14	49	21.21	33	21.15	16	21.33
15-18	36	15.58	26	16.60	10	13.33
>18	16	6.93	8	5.11	8	10.68
कुल	231	100	156	100	75	100

एन.आई.ई.पी.आई.डी. मुख्यालय में परिवार कुटीर

3.7 अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का लक्ष्य अपने बच्चों की देखरेख और प्रबंधन और प्रशिक्षण में लगे अभिभावकों के बीच एक-दूसरे को आपसी समर्थन और विचारों और सूचना के आदान-प्रदान के लिए अभिभावकों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित करना है। प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान कुल 170 अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए 3305 अभिभावक लाभान्वित हुए। इसमें मास्टर प्रशिक्षक कार्यक्रम के अभिभावक भी सम्मिलित हैं।

3.8 राहत देखभाल सेवाएँ

राहत देखभाल एक अल्पकालीन देखभाल कार्यक्रम है जहाँ बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के परिवार अपने दैनिक जीवन से और तनाव से कुछ समय के लिए छुटकारा पा सकते हैं। राहत देखभाल से बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को अपने परिवार से अलग रहकर स्वतंत्र जीवनयापन के कौशलों को बढाने का अवसर मिलता है। एन.आई.ई.पी.आई.डी. ने निम्नलिखित उद्देश्यों से राहत देखभाल सेवाएँ आरंभ की हैं।

- अभिभावक / परिवार सदस्यों को अपनी अन्य जिम्मेदारियों को निभाने के लिए राहत समय का एक अवसर प्रदान करना,
- बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के दैनिक देखभाल के तनाव से राहत देने के लिए अभिभावकों को एक अवसर प्रदान करना
- बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों को घर से अल्पावधि के लिए बाहर रहने का मौका प्रदान करना
- एन.आई.ई.पी.आई.डी. में विभिन्न शैक्षणिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए एक प्रदर्शन

केन्द्र के रूप में सेवा प्रदान करना।

राहत देखभाल केन्द्र में शून्य अस्वीकृति का नियम रखकर पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। प्रत्येक सुविधा का समर्थन दिन में एक विशेष शिक्षक द्वारा दिया जाता है तथा चौबीस घंटे एक देखभालकर्ता (आया) रहता है। अवकाशकालीन, भोजन तथा दवाइयाँ जैसी अन्य सुविधाएँ भी दी जाती हैं। बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के अभिभावक और पारिवारिक सदस्य इन सेवाओं से पाँच दिन तक (विशेष परिस्थितियों में इस अवधि को बढाया जाता है) लाभ उठा रहे हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान अप्रैल - जुलाई 2016 तक इस राहत देखभाल केन्द्र की सेवाओं से 46 लाभान्वित हुए। विवरण **तालिका *9*** में दिया गया है। इन सेवाओं को अगस्त 2016 से अस्थाई तौर पर स्थगित किया गया है।

तालिका 9*:* राहत देखभाल केन्द्र में नए क्लांईटों का पंजीकरण

महीना	लाभान्वित
अप्रैल, 2016	11
मई, 2016	6
जून, 2016	10
जुलाई, 2016	19
कुल	**46**

3.9 राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के सामान्य सेवाओं पर क्लाईंटों का पुनर्निवेशन

संस्थान द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणता को परिष्कृत करने के प्रयास में क्लाइंटों से पुनर्निवेशन लिया जाता है। वर्ष के दौरान 586 क्लाइंटों / माता-पिताओं से प्राप्त पुनर्निवेशन के विश्लेषण से यह पता चला कि एन.आई.ई.पी.आई.डी. द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से 85 प्रतिशत संतुष्ट हैं, विवरण **तालिका *10*** में दिया गया है। व्यावसायिकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का संतोषप्रद स्तर (क्र.1 से 19 तक) 85% रहा, जबकि, संकाय सदस्य व अतिथि संकाय सदस्यों के पर्यवेक्षण के अधीन दीर्घावधि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों द्वारा क्लाईंटों को प्रदान की जा रही सेवाओं का संतोषप्रद स्तर 77% (क्र.20-अ-ऊ) रहा। पुनर्निवेशन के अतिरिक्त, सेवा प्रदान किये जाने वाले स्थान पर सुझाव पेटी तथा शिकायत रजिस्टर भी रखा गया है। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान द्वारा सेवाओं से संबंधित क्लाईंटों को आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए उचित कार्यवाही की जा रही है।

तालिका *10*: राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में अभिभावकों व क्लाईंटों से पुनर्निवेशन (एन. = *586*)

क्र.सं.	मद	संतुष्ट (प्रतिशतता)
1	व्यावसायिकों द्वारा केस की स्थिति का विवरण स्पष्ट करना	94.7
2	अपांईटमेंट के लिए दी गई तिथियाँ	95.1
3	प्रबंधन योजना की रेशनेल पर स्पष्टीकरण	91.3
4	घर पर प्रबंधन योजना पर कार्य का मार्गदर्शन व प्रशिक्षण (एचबीटी)	89.1
5	अंतराक्षेपण के बाद व्यक्ति में सुधार	90.8
6	व्यावसायिक स्टाफ या सहायक स्टाफ का अपने काम की ओर रवैया	83.1
7	एन.आई.ई.पी.आई.डी में उपलब्ध सेवाओं के बारे में जानकारी देना	86.5
8	सहायता प्रदान करने मे सहयोग	83.6
9	सेवा प्रदान करने वाले व्यावसायिक द्वारा क्लाईट के साथ बिताया गया समय	87.2
10	सेवा प्रदान करने वाले से मिलने के लिए बिताया गया समय	93.7
11	सेवा प्रदान करने वालों की क्षमता /विशेषज्ञता	86.5
12	मूल्यांकन करने के लिए बताये गए कारण तथा परिणामों के बारे में स्पष्टीकरण	89.6
13	परामर्शी सेवाओं का प्रावधान	89.8
14	रियायतें व सुविधाओं के बारे में सूचना	85.7
15	सुविधाएँ जैसे पीने का पानी, राहत कक्ष, व्हील चैयर, कैन्टीन सेवा आदि	84.0
16	विभिन्न अक्षमताओं के बारे में पठन सामग्री की उपलब्धता	77.5
17	अपाइंटमेंट में सेवा प्रदान करने में समय की पावंदी व उपलब्धता	88.1
18	आवश्यकता पड़ने पर व्यावसायिक स्टाफ का योगदान	80.2
19	सेवाओं में मित्रतापूर्ण वातावरण निर्माण करने में स्टाफ का योगदान	85.8
20	**प्रदान की गई सेवाओं के बारे में**:	
क	मेडिकल	85.8
ख	व्यवहार परिवर्तन	79.0
ग	अभिभावकीय परामर्श	75.3
घ	विशेष शिक्षा	73.2
च	फिजियोथिरेपी	71.7
छ	वाणी व भाषा थिरेपी	74.7
	संपूर्ण	**84.9**

अध्याय-4

पुनर्वास मनोविज्ञान विभाग

मानव संसाधन विकास, अनुसंधान एवं विकास, सेवाएँ तथा विस्तार तथा आउटरीच कार्यक्रमों में पुनर्वास मनोविज्ञान विभाग शामिल है। इस विभाग द्वारा विकासात्मक मूल्यांकन, बौद्धिक मूल्यांकन, व्यावहारिक मूल्यांकन, अभिभावक / परिवार परामर्श, व्यवहार परिवर्तन व संज्ञानात्मक प्रशिक्षण सेवाएँ दी जाती हैं।

मानव संसाधन विकास के भाग के रूप में इस विभाग द्वारा पुनर्वास मनोविज्ञान में एम.फिल. पाठ्यक्रम विकसित किया गया जो उस्मानिया विश्वविद्यालय से संबद्धित है। इस पाठ्यक्रम में विस्तारपूर्व थियोरी संबंधी निविष्टियाँ दी जाती हैं एवं विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से अभ्यास करने के लिए आवश्यक पेशेवर कुशलताएँ पाने के लिए पर्यवेक्षणीय नैदानिक प्रायोगिक अभ्यास दिया जाता है। यह विभाग विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में व्यावसायिकों को नवीन विकासों पर अद्यतन कराने हेतु मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन पर कई अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों व प्रमाण पत्र कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है।

पुनर्वास मनोविज्ञान विभाग -अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम-2016-17

क्र.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	दिन	तिथियाँ	लाभान्वितों की संख्या
1.	आई.एस.ए.ए. प्रशिक्षण कार्यक्रम	2	12.7.2017 से 13.7.2017 तक	24
2.	व्यवहार परिवर्तन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	22.8.2016 से 26.8.2016 तक	40
3.	सेइंट फ्रॉसेस कालेज फार विमेन, हैदराबाद के पी.जी.डिप्लोमा इन काउन्सेलिंग विद्यार्थियों के लिए व्यवहार परिवर्तन पर कार्यशाला	2	28.11.2016 से 29.11.2016 तक	23
4.	पुनर्वास में परामर्श पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	9.1.2017 से 13.1.2017 तक	39
5.	मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	26	6.12.2016 से 30.12.2016 तक	18
	कुल			**144**

एम.फिल. कक्षा

यह विभाग बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यक्रम भी चलाता है। वर्ष 2016-17 के दौरान, इस विभाग में एक अनुसंधान कार्यक्रम पर कार्य चल रहा था, अर्थात्, भारतीय बौद्धिक परीक्षण का विकास, जिसका मंत्रालय ने अनुमोदन दिया। ऐसे विकसित परीक्षण बौद्धिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों का बौद्धात्मक स्तर मूल्यांकन करने में सहायक होता है ताकि वे सरकारी रियायतें व सामाजिक लाभ प्राप्त कर सकें। परियोजना के परिणाम किसी व्यक्ति के शक्तियां और कमजोरियां के आधार पर अंतराक्षेपण कार्यक्रमों की योजना बनाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। संप्रति, आईटम पूल कार्य पूरा किया गया और पायलेट अध्ययन प्रक्रियाधीन है।

मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में पंजीकृत सभी क्लाईंटों का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें, विकासात्मक मूल्यांकन, बौद्धिक मूल्यांकन, तथा अनुकूल व्यवहार का मूल्यांकन शामिल है। शैक्षिक एवं प्रशिक्षण जैसे प्रयोजनों के लिए तथा सरकार द्वारा समय समय पर बौद्धिक दिव्यांगजनों के लिए दिये जाने वाले लाभ व रियायतें प्राप्त करने के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट भी दिया जाता है।

व्यवहार परिवर्तन सेवाएँ

बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियाँ जिनमें व्यवहार संबंधी समस्याएँ, जैसे, सिर मार लेना, स्वयं को काटना, स्वयं को हानी पहुँचने का व्यवहार, अत्यधिक रोना, आदि, इनके लिए व्यवहार परिवर्तन सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

अभिभावक परामर्शी सेवाएँ

बौद्धिक दिव्यांग बच्चा होने के कारण अभिभावकों में संकट या अपराध जैसी भावना से जूझने के लिए उन्हें आवश्यक भावनात्मक सहारा तथा सहयोग के द्वारा अभिभावकीय परामर्श दिया जाता है।

पुनर्वास मनोविज्ञान विभाग - सेवा क्रियाकलाप-2016-17

सेवा क्रियाकलाप	लाभान्वितों की संखअया
नये केसेस्	3399
फालो अप केसेस्	3866
समर्थन सेवाएँ (नए तथा फालोअप क्लाईंटों के लिए)	19482
कुल	**26747**

मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन

अध्याय-5

विशेष शिक्षा विभाग

संस्थान के उद्देश्यों के अनुसरण में, विशेष शिक्षा विभाग (डी.एस.ई.) सेवाएँ, मानव संसाधन विकास, अनुसंधान एवं विकास, प्रलेखीकरण व पचार, विस्तार तथा आउटरीच कार्यक्रमों में शामिल होता है।

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान को आने वाले क्लाईंटों को शिक्षा व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। बौद्धिक दिव्यांगजन की शिक्षा प्रशिक्षण में अभिभावकों की भागीदारी को एक आधार के रूप में माना जाता है। अत: क्लाईंटों का मूल्यांकन के पश्चात्, अभिभावकों को बच्चे की स्थिति, बच्चे का वर्तमान क्रियात्मक स्तर और कार्यक्रम के क्रियान्वयन के कौशलों के बारे गृह आधारित क्रियाकलाप के रूप में समझाया जाता है। अभिभावक के अनरोध पर, शैक्षणिक रिपोर्ट तैयार कर अभिभावकों को दिया जाता है।

मानव संसाधन विकास: विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षित मानवशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, यह विभाग विभिन्न दीर्घावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोना करता है और इस क्षेत्र में कार्यरत् व्यावसायिकों को नवीन विकासों पर अद्यतन कराने के लिए कई अल्पावधि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। संप्रति विभाग द्वारा चार दीर्घावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, वे है-

- एम.एड. विशेष शिक्षा (एम.आर.) - दो वर्षीय
- बी.एड. विशेष शिक्षा (एम.आर.) - दो वर्षीय
- डिप्लोमा इन अर्लीचाईल्डहुड स्पेशल एजुकेशन (एम.आर.) - 1 वर्षीय
- डी.एड. स्पेशल एजुकेशन (एम.आर.) - दो वर्षीय

अनुसंधान एवं विकास: बौद्धिक दिव्यांगजन के शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए एवं वर्तमान आवश्यकता के आधार पर, यह विभाग एप्लाइड रिसर्च का कार्य करता है और इस रिसर्च का परिणाम प्रसार करने हेतु दस्तावेजीकरण करता है। विभाग द्वारा की गई अनुसंधान कार्य के परिणाम स्वरूप में कई पुस्तकें प्रकाशित की गईं एवं शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार की गई। इनमें से उल्लेखनीय कार्य है, कम्प्युटर सहायक अनुदेश पैकेज। इन्हीं अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के परिणाम में विभिन्न सेवा इकाईयाँ (मनोरंजनम, एम.एस.आई. इकाई, सी.ए.आई., आदि) विशेष शिक्षा केन्द्र में स्थापित की गई। विशेष शिक्षा केन्द्र दीर्घावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशिक्षुओं के लिए एक लैब स्कूल की तरह सेवाएँ प्रदान कर रहा है जहाँ प्रशिक्षुओं को बौद्धिक दिव्यांग विद्यार्थियों को संभालना सिखाया जाता है।

वर्ष 2016-17 के दौरान, तीन परियोजनाओं पर कार्य किया गया, जिनमें से दो परियोजना पर कार्य पूरा हो गया है और एक परियोजना चल रहा है।

- बौद्धात्मक अक्षमता वाले व्यक्तियों को लैंगिक शिक्षा – अभिभावक, देखभालकर्ता एवं आई.डी. व्यक्तियों के लिए अनुदेशात्मक पुस्तिका (चल रही परियोजना)
- पोस्ट सेकेन्डरी व प्री वोकेशनल विद्यार्थियों में कार्य क्षमताओं के मूल्यांकन के लिए टूल किट विकसित करना (पूरी हुई परियोजना)
- प्रारंभिक बाल्यावस्था सम्मिलित शिक्षा के लिए पाठशाला तत्परता पैकेज - युनसेफ द्वारा वित्त पोषित (पूरी हुई परियोजना)

इन क्रियाकलापों के अतिरिक्त, विशेष शिक्षा विभाग मंत्रालय के विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों में अपना सहयोग देता है, जैसे एडिप योजना, डीडीआरएस योजना, भारतीय पुनर्वास परिषद् के निरीक्षण कार्यक्रम, पूर्वोत्तरी क्षेत्र के कार्यक्रम।

विशेष शिक्षा विभाग-अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम 2016-17

क्र.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	दिवस	तिथियाँ	लाभान्वितों की संख्या
1.	"पाठशाला तत्परता" विकसित करने के लिए प्रीस्कूल टीचरों की क्षमता बढ़ाना	5	25.4.16 से 29.4.2016 तक	18
2.	बौद्धिक अक्षमता व मस्तिष्क पक्षाघात से ग्रस्त बच्चों के अभिभावकीय आवश्यकताओं को समझना	5	09.5.16 से 13.5.2016 तक	30
3.	सी.डबल्यु.एस.एन. के लिए समावेशी पाठ्यक्रम आधारित प्रोग्रामिंग	5	23.5.2016 से 27.5.2016 तक	42
4.	विशेष शिक्षा में अनुसंधान पद्धतियाँ	5	17.10.16 से 21.10.2016 तक	42
5.	केयर असोसियेट प्रशिक्षण कार्यक्रम पर प्रमाण पत्र कार्यक्रम	90	9.11.16 से 9.2.2017 तक	22
6.	बौद्धिक दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री	5	7.11.16 से 11.11.2016 तक	49
7.	अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम - बौद्धिक दिव्यांगजन विद्यार्थियों के लिए अनुदेशात्मक कार्यनीति	5	6.2.17 से 10.2.2017 तक	39
8.	विशेष शिक्षकों के लिए कंप्युटर प्रशिक्षण	5	5.12.16 से 9.12.2016 तक	40
	कुल			**282**

विशेष शिक्षा विभाग सेवा क्रियाकलाप 2016-17

सेवा क्रियाकलाप	लाभान्वितों की संखअया
नये केसेस्	3100
फालो अप केसेस्	4132
समर्थन सेवाएँ (नए तथा फालोअप क्लाईंटों के लिए)	7232
कुल	**14464**

विशेष शिक्षा में अनुसंधान पद्धतियों पर अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम के सहभागी

5.1 विशेष शिक्षा केन्द्र

विशेष शिक्षा केन्द्र संस्थान के मानव संसाधन विकास के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रयोगशाला की तरह सेवा प्रदान करता है।

केन्द्र में 3 से 18 वर्षों के बीच की आयु के बच्चों सहित विभिन्न स्तरों के 115 बौद्धिक दिव्यांगन से ग्रस्त बच्चों को दाखिल किया गया जिनमें अल्प से लेकर अति गंभीर बौद्धिक दिव्यांगन से ग्रस्त बच्चें भी हैं। यहाँ प्रारंभिक बाल्यवस्था विशेष शिक्षा से लेकर पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण के दस कक्षाएँ हैं। इसके अलावा, अतिरिक्त अक्षमताओं, जैसे -आत्मविमोह, संवेदी क्षतियों से ग्रस्त बच्चों के लिए, अति गंभीर रूप से ग्रस्त बौद्धिक दिव्यांग के लिए तथा खुला मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए चार विशिष्ट एककों की स्थापना की गई है ताकि यह देखा जा सके कि सभी स्तरों के बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया जाए और प्रशिक्षणार्थियों को उन सभी प्रकार के बच्चों की जानकारी हासिल हो सके।

नियमित स्कूल के अलावा, सामान्य सेवाओं से रेफर किये गये नए क्लाईंट जिन्हें विशेष शिक्षा केन्द्र के नियमित सेवाओं के लिए प्रवेश नहीं मिला, उनके लिए समूह क्रियाकलाप सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। ये विद्यार्थी बच्चे की आवश्यकतानुसार तथा अभिभावकों को सुविधानुसार क्लासरूम टीचर द्वारा दिये गये समय के अनुसार सेवाओं में उपस्थित होते हैं। विशेष शिक्षा केन्द्र द्वारा प्रदान किये गये सेवा क्रियाकलाप **तालिका 11** में दिये गये हैं।

तालिका 11 : राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के विशेष शिक्षा केन्द्र के सेवा क्रियाकलाप

क्र.	सेवा	नए केसेस्	फालोअप केसेस्	कुल
1.	विशेष शिक्षा	137	15096	15235
2.	पी.एम.आर.	48	4032	4080
3.	ऑटीज्म एण्ड एम.आर.	2	212	214
4.	सेंसरी	4	83	87
5.	सी.ए.आई.	1	2260	2261
6.	समूह क्रियाकलाप	83	4256	4339
7.	मोबाईल सेवाएँ	302	2452	2754
8.	योगा	--	4049	4049

विशेष शिक्षा केन्द्र के अन्य क्रियाकलाप

- बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के आश्रित समूह अपने अभिभावकों (29 अभिभावकों) के लिए 7-8 मार्च 2017 को काकिनाडा का शैक्षणिक दौरा का आयोजन किया गया।
- प्री-प्राईमरी विद्यार्थियों को 4 नवम्बर, 2016 को एक दिन की आउटिंग के लिए चिडियाघर ले जाया गया।
- सेकन्डरी, प्री वोकेशनल - । तथा एन.आई.ओ.एस.-ओ.बी.ई. विद्यार्थियों के लिए 28 अक्तूबर, 2016 को एक दिन की आउटिंग कराया गया।
- राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के 33 वी वार्षिक दिवस समारोह के अवसर पर एस.ई.सी. के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक खेल-कूद कार्यक्रम आयोजन किया गया।
- सेन्सस् इंडिया फाउन्ड़ेशन द्वारा ओकरिज इंटरनेशनल स्कूल, गच्चीबौली, हैदराबाद में 28 जनवरी, 2017 को आयोजित अंतर विद्यालयी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एस.ई.सी. के विद्यार्थियों ने भाग लिया।
- आँध्र महिला सभा, विद्यानगर द्वारा 30 जनवरी, 2017 को आयोजित अंतर विद्यालयी खेल-कूद कार्यक्रम में एस.ई.सी. के विद्यार्थियों ने भाग लिया। स्कूल के विद्यार्थियों ने स्प्रे पेंटिंग, म्यूजिकल क्लॉक, सोलो व ग्रूप डांस में प्रथम तथा द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किये।
- विशेष शिक्षा केन्द्र में धार्मिक पर्वों जैसे गणेश चतुर्थी, दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, तथा संक्रांती मनाया गया। स्कूल के विद्यार्थियों ने इन त्यौहारों के अवसर पर अपने माता-पिता एवं सहोदरों के साथ विशेष व्यंजन तैयार किये।

5.1.1 एन.आई.ओ.एस .परीक्षा के लिए मुक्त बेसिक शिक्षा के लिए संसाधन कक्ष

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान ने दूरस्थ शिक्षा पद्धति में "मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रम" आरंभ किया और देश भर में कई अक्रेडिटेड़ केन्द्रों की स्थापना की। अल्प बौद्धिक दिव्यांग बच्चे एवं बार्डरलाईन इंटलिजेंस वाले बच्चों को शिक्षा सुविधा से वंचित रह जाते हैं क्योंकि उन्हें विशेष शिक्षा पद्धति में प्रवेश नहीं दिया जाता है और नियमित शिक्षा में शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसे बच्चे एन.आई.ओ.एस. के "मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रम" से लाभ हो सकते हैं क्योंकि इस शिक्षा में सीखने की पद्धति सरल और चरणबद्ध रहता है। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए, संस्थान ने बार्डरलाईन इंटलिजेंस एवं अल्प बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए एन.आई.ओ.एस. के "मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रम" आरंभ किया। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान प्राईमरी स्तर के अधिगम समस्या व बौद्धित दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग देता है। वर्ष 2016-17 के दौरान इस कार्यक्रम के द्वारा 15 बच्चे लाभान्वित हुए।

अध्याय-6

आयुर्विज्ञान विभाग

आयुर्विज्ञान विभाग द्वारा क्लाईंटों का मूल्यांकन व निर्धारण सेवाएँ प्रदान की जाती है, जिसमें शारीरिक, मेडिकल परीक्षणों, थेरैप्युटिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन तथा मूल बायोकेमिकल जाँच व परीक्षण किये जाते हैं। समग्र मूल्यांकन के पश्चात्, प्रबंधन योजना एवं अंतराक्षेपण पैकेज विकसित किया जाता है। क्लाईंट की स्थिति की प्रकृति और क्लाईंट का क्रियात्मकता का स्तर के बारे में अभिभावकों को स्पष्ट किया जाता है और उन्हें भावनात्मक सहारा देते हुए परामर्श दिया जाता है। क्लाईंट का प्रबंधन एवं पुनर्वास के लिए गृह आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम और इसका प्रदर्शन भी अभिभावकों को दिया जाता है।

पुनर्वास सेवाओं के साथ साथ, इस विभाग द्वारा एक दीर्घावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम- पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा इन अर्ली इन्टरवेंशन (पी.जी.डी.ई.आई.) का भी आयोजन करता है । यह पाठ्यक्रम आर.सी.आई. द्वारा अनुमोदित है और उस्मानिया विश्विविद्यालय द्वारा संबद्धित है। विभाग द्वारा बौद्धिक दिव्यांग जन के लिए मेडिकल तथा प्रारंभिक अंतराक्षेपण सेवाओं पर व्यावसायिकों के लिए विभिन्न अल्पकालीन पाठ्यक्रम भी आयोजित की जाती हैं एवं समूह अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित की जाती हैं।

क्लाईंटों को दी जाने वाली सेवाएँ:

1. **मेडिकल सेवाएँ (साईकियाट्री तथा पीडियाट्रिक्स्)**
   - मेडिकल मूल्यांकन, जाँच, रोगनिदान एवं उपचार
   - इलेक्ट्रो-इनसेफलोग्राम का विश्लेषण तथा रिपोर्ट
   - एन.आई.ई.पी.आई.डी. में पंजीकृत नए क्लाईंटों के साथ-साथ फालो-अप क्लाईंटों का निर्धारण
   - एन.आई.ई.पी.आई.डी. में पंजीकृत क्लाईंटों को आवश्यकतानुसार चिकित्सा उपचार

2. **बायोकेमिकल विश्लेषण**
   - नमूनों (रक्त तथा मूत्र आदि) का बायोकेमिकल जाँच करना
   - रिपोर्टों का बायोकेमिकल विश्लेषण

3. **नर्सिंग सेवाएँ**
   - नये क्लाईंटों का पंजीकरण के बाद ऐन्थ्रोप्रोमेट्रिक मापन लेना
   - नर्सिंग सहायता एवं प्राथमिक चिकित्सा
   - अभिभावकों को परामर्श एवं मार्गदर्शन

4. **फिजियोथिरेपी**
   - एन.आई.ई.पी.आई.डी. में पंजीकृत नए क्लाईंटों एवं फालो-अप क्लाईंटों का फिजियोथिरेपी मूल्यांकन तथा निर्धारण
   - क्लाईंटों का रोग निदान एवं फिजियोथिरेपी अंतराक्षेपण
   - क्लाईंटों के फिजियोथिरेपी समस्याओं के लिए चिकित्सापरक अंतराक्षेपण
   - फिजियोथिरेपी से संबंधित अनुसंधान परियोजनाओं का कार्य करना

5. वाक् चिकित्सा

- एन.आई.ई.पी.आई.डी. में पंजीकृत नए क्लाईंटों एवं फालो-अप क्लाईंटों का वाक्, भाषा, श्रवण मूल्यांकन एवं निर्धारण
- क्लाईंटो की समस्याओं का रोगनिदान एवं वाक्, भाषा, श्रवण उपचार प्रदान करना
- वाक्, भाषा, व आडियोलोजी से संबंधित अनुसंधान परियोजनाएँ चलाना

6. प्रारंभिक अंतराक्षेपण सेवाएँ

- बौद्धिक दिव्यांग, मस्तिष्क पक्षाघात एवं अन्य विकासात्मक अव्यवस्था के 3 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की प्रारंभिक पहचान तथा अंतराक्षेपण के लिए प्रारंभिक अंतराक्षेपण सेवाएँ

7. ई.ई.जी. परीक्षण

- ई.ई.जी. परीक्षण के लिए क्लाईंट को तैयार करना
- क्लाईंट का ई.ई.जी. परीक्षण करना
- ई.ई.जी.रिकार्ड करना तथा रोगनिदान के लिए मेडिकल डॉक्टर को रिपोर्ट प्रस्तुत करना

8. न्यूरोलोजिकल सेवाएँ

- न्यूरोलोजिकल समस्यावाले बौद्धिक दिव्यांगजन बच्चों का न्यूरोलोजिकल मूल्यांकन
- रोगनिदान के लिए ई.ई.जी. रिपोर्ट का मूल्यांकन करना एवं क्लाईंटों को दवाईयाँ देना।

9. आर्थोपेडिक सेवाएँ

- क्वाड्रेपेरेसिस वाले क्लाईंटों को पहचानना तथा मस्तिष्क पक्षाघात एवं अन्य आर्थोपेडिक संबंधी समस्या वाले क्लाईंटों का अंतराक्षेपण

10. होमियोपथी सेवाएँ

- बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को होमियोपथी अंतराक्षेपण दिया जाता है।

11. दंत चिकित्सा सेवाएँ

- बौद्धिक दिव्यांग बच्चों का दंत संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए दंत संबंधी समस्याओं का मूल्यांकन किया जाता है।

12. फार्मसी सेवाएँ

- मेडिकल मूल्यांकन, जांच परीक्षण, रोगनिदान एवं निर्धारित मेडिकल उपचार।
- एन.आई.ई.पी.आई.डी. को आने वाले गरीबी रेखा के नीचे आने वाले नए क्लाईंटों एवं फालो अप क्लाईंटों को मुफ्त में दावईयाँ देना।

आयुर्विज्ञान विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान अल्पकालीन कार्यक्रम

क्र.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	दिन	तिथियाँ	लाभान्वित
1	दिव्यांगजन के संप्रेषण प्रशिक्षण में थियेटर आर्ट्स् का प्रयोग" पर लघुअवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	08.08.16 12.08.16	30
2	बौद्धिक दिव्यांगन के मेडिकल तथा साईकियाट्रिक पहलुओं पर लघु अवधि कार्यक्रम	5	29.08.16 02.09.16	21
3	एसएसए टीचरों के लिए प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	2	501.11.16 26.11.16	42
4	थिरेप्युटिक्स पर व्यावसायिकों के लिए लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	05.12.16 09.12.16	31
5	बौद्धिक दिव्यांगन के मेडिकल तथा साईकियाट्रिक पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	02.01.17 06.01.17	22
6	प्रारंभिक पहचान तथा अंतराक्षेपण पर युनिवर्सिटी ऑफ अग्रिकल्चरल साईंसेस्, धारवाड के बी.एच.एस.सी. विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	30.01.17 26.02.17	12
	कुल			**158**

आयुर्विज्ञान विभाग - पुनर्वास सेवाएँ - *2016-17*

सेवा क्रियाकलाप	लाभान्वित
नये केसेस्	3399
फालो अप केसेस्	22566
समर्थन सेवाएँ (नए तथा फालोअप क्लाईंटों के लिए)	36019
कुल	**61984**

प्रारंभिक अंतराक्षेपण सेवाएँ

अध्याय-7

प्रौढ़ स्वजीवन यापन विभाग

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान का एक विशेष विभाग है, प्रौढ़ स्वजीवन यापन विभाग जिसे पहले व्यावसायिक प्रशिक्षण विभाग के नाम से जाना जाता था जहाँ भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण नमूने विकसित किया जाता है। विभाग के कार्यकलाप 1991 में आरंभ हुई। विभाग ने आरंभिक स्तर पर बौद्धिक दिव्यांगता वाले प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए नौकरी की संभावना खोजने पर ध्यान दिया।

संप्रति, विभाग में बौद्धिक दिव्यांगत व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास तथा कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन के उद्देश्य से कार्य कर रहा है, ताकि बौद्धिक दिव्यांगजन अपनी जीवन में श्रेष्ठ बन सके।

विभाग के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

- बौद्धिक दिव्यांग प्रौढ़ व्यक्तियों को समग्र सेवाएँ प्रदान करने के लिए मानव शक्ति का विकास करना
- व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा प्लेसमेंट सहायता विकसित करना
- बौद्धिक दिव्यांक वयस्कों की जीवन की गुणता बढ़ाने के लिए अनुसंधान एवं विकास का कार्य करना
- बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन के सभी स्तरों जैसे स्कूल के उपरांत से व्यावसायीकरण तक की ट्रैन्सीशन अवधि में मदद करना
- प्लेसमेंट सहायता, प्रौढ़ता तथा स्वतंत्र जीवन यापन को प्रोन्न के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण
- विभाग के विभिन्न चरण - एक्सरिमेंटेशन (प्रयोग), एक्जिक्यूशन (क्रियान्वयन), एनैब्लिंग (सक्रिय बनाना), तथा एम्पावलमेंट (साधिकृत बनान)।

व्यावसायिक पुनर्वास सेवाएँ : चरण-वार प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रौढ़ स्वजीवन यापन वीभाग में तीन चरणों का प्रशिक्षण नमूना है, अर्थात्, जेनेरिक कौशल प्रशिक्षण, विनिर्दिष्ट कौशल प्रशिक्षण तथा स्वतंत्र कौशल क्रियात्मकता। जेनेरिक कौशल में कार्य तत्परता कौशल पर ध्यान केन्द्रित करता है, बौद्धिक दिव्यांग वयस्क व्यक्ति को यह विनर्दिष्ट कौशल प्रशिक्षण स्तर को ले जाने के लिए यह मूल स्तर है। विनिर्दिष्ट कौशल प्रशिक्षण में पर्यवेक्षणाधीन चयनित कार्यों पर प्रशिक्षण दिया जाता है और स्वतंत्र कौशल क्रियात्मकता में पर्यवेक्षण के बिना कार्य करने में सक्षम बनाने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है।

कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

विभाग में दिशा निर्देशानुसार कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जाता है, जिसमें एक विनिर्दिष्ट कार्य (जॉब) पर न्यूनतम छ: महीने और अधिकतम 12 महीनों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। ये व्यावसाय स्कील काउन्सिल फार पर्सन्स् विद डिसेबिलिटीज़ (एससीपीडबल्युडी) से श्रेणीबद्ध अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं।

प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा करने पर, बौद्धिक दिव्यांग प्रौढ़ व्यक्ति को खुले, समर्थित, समूह तथा स्व-रोजगार में प्लेसमेंट के लिए समर्थन दिया जाता है।

प्रौढ स्वजीवन यापन विभाग के कौशल प्रशिक्षण क्रियाकलाप

मानव संसाधन विकास:

इस विभाग द्वारा एक वर्षीय डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन (मेंटल रिटार्डेशन) कार्यक्रम का संचाल किया जाता है। बौद्धिक दिव्यांक व्यक्तियों को व्यावसायिक पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करने के लिए मानवशक्ति सृजन करने के उद्देश्य से इस पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाया गया। विभाग द्वारा संस्थान के अन्य दीर्घावधि पाठ्यक्रमों में भी समर्थन दिया जाता है।

इस विभाग द्वारा विकलांगता पुनर्वास क्षेत्र में कार्यरत् व्यावसायिकों के लिए कौशल विकास एवं अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण पहलुओं पर विभिन्न अल्पावधि पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2016-17 के दौरान कुल 10 अल्पावधि पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया जिससे 470 व्यावसायिक लाभान्वित हुए।

प्रौढ़ स्वजीवनयापन विभाग - अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम - *2016-17*

क्र.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	दिन	तिथियाँ	लाभान्वितों की संख्या
1	मानसिक मंद व्यक्तियों के व्यावसायिक पुनर्वास में कंप्युटर प्रशिक्षण का प्रयोग पर एसटीपी	5	16.05.16 20.05.16	36
2	मानसिक मंद व्यक्तियों के व्यावसायिक पुनर्वास में रिकार्ड रखरखाव एवं प्रलेखीकरण पद्धति पर एसटीपी	5	06.06.16 10.06.16	44
3	व्यावसायिक प्रशिक्षण तथात रोजगार में विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी का अनुप्रयोग पर एसटीपी	5	01.08.16 05.08.16	33
4	सहोदर प्रशिक्षण पर मास्टर प्रशिक्षक कार्यक्रम को लागू करने पर एसटीपी	5	19.09.16 23.09.16	52
5	व्यावसायिक पुनर्वास के मार्ग एवं वी.टी.सी.यों की स्थापना पर अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	21.11.16 25.11.16	47
6	व्यावसायिक प्रशिक्षण व रोजगार पर अल्पावधि कार्यक्रम	5	23.01.17 27.01.17	43
7	व्यावसायिक प्रशिक्षण व रोजगार पर अल्पावधि कार्यक्रम	5	20.02.17 24.02.17	53
8	अभिभावक प्रशिक्षण पर मास्टर प्रशिक्षक कार्यक्रम	5	13.02.17 17.02.17	50
9	व्यावसायिक प्रशिक्षण व रोजगार पर अल्पावधि कार्यक्रम	5	13.03.17 17.03.17	49
10	व्यावसायिक प्रशिक्षण पर अल्पावधि कार्यक्रम	5	27.3.17 31.3.17	63
	कुल			**470**

विशेष कर्मचारियों की राष्ट्रीय बैठक

प्रौढ़ स्वजीवन यापन विभाग विशेष कर्मचारियों की बैठक 1995 से आयोजित कर रहा है। विशेष कर्मचारियों की बैठक एक मात्र कार्यक्रम है जहाँ पारिश्रामिकता पर नौकरियाँ कर रहे मानसिक मंद व्यक्तियों को एक मंच पर अपने व्यावसायिक कौशल, संप्रेषण क्षमताएँ, सामाजिकीकरण, मार्केटिंग क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अवसर दिया जाता है। पिछले 22 वर्षो से इसकी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आई हैं, इसलिए यह राष्ट्रीय स्तर की बैठक लक्षित आबादी का ध्यानाकर्षण कर रही है।

विशेष कर्मचारियों की XXII वीं राष्ट्रीय बैठक 22 - 23 मार्च, 2017 को एन.आई.ई.पी.आई.डी., सिकंदराबाद में आयोजित की गई। विभिन्न क्षेत्रों में पी.डबल्यु.आई.डी. के अनोखे क्षमताओं को दर्शाने वाली अनेक क्रियाकलापों को इस बैठक में देखने को मिला। देश भर के 147 विशेष कर्मचारियों ने इस बैठक में अपने संरक्षकों के साथ भाग लिया।

अनुसंधान एवं विकास

प्रौढ़ स्वजीवन यापन विभाग बौद्धिक दिव्यांगजन के व्यावसायिक पुनर्वास के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम का कार्य कर रहा है। संप्रति दो परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है-

- क्लस्टर बेस्ट प्लेसमेंट सर्वीसेस्
- युसेज पैटर्न ऑफ सोशल कैपिटल बै सर्वीस सीकर्स इन नैबरहुड सपोर्ट सिस्टम रेस्पान्ड टुवार्ड्स् सर्वीस सीकर्स्।

स्वैच्छिक संगठनों को नोटवर्किंग तथा परामर्शी सेवाएँ

विभाग गैर सरकारी या स्वैच्छिक संगठनों को व्यावसायिक पुनर्वास के क्षेत्र में नेटवर्किंग तथा परामर्शी सेवाएँ प्रदान करता है।

अध्याय-8

क्षेत्रीय केन्द्र, नोएडा एवं नई दिल्ली

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान का क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली की स्थापना फरवरी 1986 को कस्तूरबा निकेतन, लाजपत नगर ।।, नई दिल्ली 110024 में हुई। बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में हर एक व्यावसायिक अपनी क्षमता को अत्यधिक विकसित करने के लिए अच्छे से अच्छा शैक्षणिक वातावरण प्रदान करने हेतु इस केन्द्र की स्थापना की गई। क्षेत्रीय केन्द्र ने नई दिल्ली में अपनी गतिविधियों को फरवरी 2015 से नोएडा के अपने स्थायी भवन में स्थानांतरित किया है। यद्यपि, लाजपत नगर, नई दिल्ली में ओ.पी.डी. सेवाएँ चल रहीं हैं।

यह केन्द्र एक दीर्घावधि पाठ्यक्रम और बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत् व्यावसायिकों के लिए कई अल्पकालीन पाठ्यक्रमों का हर वर्ष संचालन करता है। इसके साथ-साथ, यह केन्द्र विकासात्मक विलम्बता / बौद्धिक दिव्यांगता वाले क्लाईंटों को सेवाएँ प्रदान करता है। यह केन्द्र अपने विस्तार तथा आउटरीच क्रियाकलापों के भाग के रूप में जागरूक शिविर तथा जाँच शिविरों का आयोजन भी करता है। बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में स्थानीय गैर सरकारी संगठनों को यह केन्द्र तकनीकी समर्थन भी देता है। केन्द्र द्वारा 'अंकुर' नामक प्रारंभिक अंतराक्षेपण केन्द्र की स्थापना 1990 में की गई जहाँ पाँच वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। विभिन्न व्यावसायिक कालेजों से अपने इन्टर्नशिप हेतु आये हुए विद्यार्थियों को क्षेत्रीय केंद्र, नई दिल्ली द्वारा सहायता भी प्रदान की जाती है।

दीर्घावधि पाठ्यक्रम

- डी.एड. स्पेशल एजुकेशन (एम.आर.) - दो वर्षीय

अल्पावधि कार्यक्रम / पाठ्यक्रम

- देखभाल कर्ता / सहयोगी कार्यक्रम -तीन महिने की प्राईमरी पाठ्यक्रम
- सी.आर.ई. कार्यक्रम (पाँच दिवस की अवधि)

नैदानिक सेवाएँ

➤ मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन सेवाएँ	➤ भौतिक चिकित्सा सेवाएँ
➤ व्यवहार परिवर्तन सेवाएँ	➤ वाक् मूल्यांकन तथा थिरेपी
➤ विशेष शिक्षा सेवाएँ	➤ अभिभावक मार्गदर्शन एवं परामर्श
➤ डाक्टरी परामर्श	➤ व्यावसायिक मूल्यांकन एवं कार्यक्रम निर्माण
➤ प्रारंभिक अंतराक्षेपण सेवाएँ	➤ आउटरीच कार्यक्रम
➤ आक्युपेशनल चिकित्सा सेवाएँ	

2016-17 के दौरान संचालित अल्पावधि पाठ्यक्रम

क्र.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	दिन	तिथियाँ	लाभान्वितों की संख्या
1	बहुविध विकलांगताएँ, हाल ही के प्रवृत्तियाँ एवं सुगमता	5	16.05.16 20.05.16	35
2	परामर्श व मार्गदर्शन	5	06.06.16 10.06.16	35

3	मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन	5	13.06.16 17.06.16	35
4	बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों को प्रभावी परवरिश कौशल प्रदान करना	4	22.08.16 24.08.16	32
5	बौद्धिक दिव्यांग वयस्कों से संबंधिक आवश्यकताएँ तथा मामले	5	26.09.16 30.09.16	37
6	आटीज्म के मनौवैज्ञानिक मूल्यांकन	3	06.10.16 08.10.16	39
7	आटीज्म के मनौवैज्ञानिक प्रबंधन	3	27.10.16 29.10.16	33
8	एल.डी. के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन तथा प्रबंधन	5	07.11.16 11.11.16	37
9	सीपी बच्चों का मूल्यांकन तथा प्रबंधन	5	21.11.16 25.11.16	40
10	देखभालकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम	90	28.11.16 28.02.17	30
11	बौद्धिक दिव्यांगता के बहु विषयी पहलू	5	02.01.17 06.01.17	41
12	व्यवहार परिवर्तन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	25.04.16 29.04.16	22
	कुल			**416**

क्षेत्रीय केन्द्र, नोएडा एवं नई दिल्ली - सेवा क्रियाकलाप - 2016 - 17

सेवा क्रियाकलाप	लाभान्वित
नए केसेस्	1821
फालो अप केसेस्	1518
समर्थन सेवाएँ (नए एवं फालो अप क्लाईंटों को प्रदान की गई)	23637
कुल	**26976**

जागरूकता रैली, नोएडा

अध्याय-9

क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता ३ मार्च 1986 को एन.आई.एल.डी. के परिसर, बॉन हुग्ली, बी.टी.रोड, कोलकाता 700 090 पर स्थापित हुआ। तत्पश्चात् वर्ष 1999 में यह केन्द्र अपने भवन स्थानांतरण हुआ और तब से लेकर देश के पूर्व भाग में सेवाएँ प्रदान करना शुरु किया। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता एन.आई.ई.पी.आई.डी. के उद्देश्यों के अनुरूप निम्नलिखित सेवाएँ सफलता पूर्वक चला रहा है-

1. मानव संसाधन विकास

दीर्घावधि पाठ्यक्रम : मानव संसाधन विकास को प्रोन्नत करने के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र कोलकाता भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त निम्नलिखित तीन दीर्घावधि पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है -

- बी.एड. स्पेशल एजुकेशन (एम.आर.) - दो वर्षीय
- डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन - दो वर्षीय
- डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन - एक वर्षीय

अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम - क्षेत्रीय केन्द्र कोलकाता, पुनर्वास व्यावसायिकों एवं कर्मिकों को बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में नवीन विकासों पर अद्यतन कराने के लिए सतत पुनर्वास शिक्षा (सी.आर.ई.) का संचालन करता है। इसके अलावा, डाक्टरों, नर्सों, सरकारी अधिकारियों, शिक्षकों, वकीलों, आदि के लिए विभिन्न विषयों पर संगोष्ठी का आयोजन भी करता है। यह केन्द्र अभिभावकों व सहोदरों के लिए भी कार्यशाला व प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है।

2. सामान्य सेवाएँ

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकता बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बहु-विषयी सेवाएँ प्रदान करता है, जैसे, मनोवैज्ञानिक सेवाएँ, मेडिकल सेवाएँ, शैक्षणिक सेवाएँ, व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रारंभिक अंतराक्षेपण, भौतिक चिकित्सा, आक्युपेशनल चिकित्सा एवं सेन्सरी इंटग्रेशन थिरेपी।

3. विस्तारण तथा आउटरीच सेवाएँ

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकता अक्सर विभिन्न विस्तारण तथा आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जैसे, आई.क्यू. मूल्यांकन शिविर, आंगनवाडी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण तथा किट वितरण शिविर, बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों के लिए प्रशिक्षण तथा किट वितरण शिविर। यह केन्द्र पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में अभिमुखी तथा जागरूक कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है, पूर्वोत्तरी कार्यक्रमों में समर्थन सेवाएँ प्रदान करता है और मेले व प्रदर्शनियों में भाग लेता है। यह केन्द्र क्षेत्रीय अभिभावक बैठक तथा विशेष कर्मचारियों की बैठक में भी भाग लेता है।

4. स्वैच्छिक संगठनों को परामर्शी सेवाएँ:

केन्द्र के संकाय सदस्य रेफरल सेवाएँ, दिव्यांग व्यक्ति को नाकरी विस्थापन सेवाएँ प्रदान करते हैं, तथा दीर्घावधि पाठ्यक्रम के प्रशिक्षुओं के लिए कैम्पस साक्षात्कार का आयोजन करने के साथ साथ गैर सरकारी संगठनों व अभिभावक संगठनों को मार्गदर्शन सेवाएँ भी प्रदान करता है।

5. प्रौढ़ स्वजीवन यापन के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण :

बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक रूप से तथा सामजिक रूप से पुनर्वासित करने के लिए विभिन्न ट्रेडों जैसे, स्क्रीन प्रिंटिंग, स्पाईरल बाईडिंग, ग्लास पेंटिंग, फैब्रिक, फाइल मेकिंग, लिफाफा तैयार करना, पेपर बैग तैयार करना, ज्वेल्लरी, एम्ब्रायडरी में प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा करने पर विशेष ट्रेडों में काम-पर-प्रशिक्षण (ऑन-दि-जॉब प्रशिक्षण) की व्यवस्था की जाती है।

6. विशेष शिक्षा एवं क्रियाकलाप केन्द्र:

केन्द्र में 3 वर्ष से 18 वर्ष के अंदर की आयु वाले 86 दाखिल विद्यार्थी हैं जो दो शिफ्टों - सुबह एवं दोपहर को आते हैं। यहाँ पर छ: कक्षाएँ चलाये जाते हैं, अर्थात्, प्री-प्राईमरी से प्री-वोकेशनल तक। क्रियात्मक शिक्षा के साथ-साथ, केन्द्र सह-पाठचर्या क्रियाकलाप जैसे नृत्य, संगीत तथा खेल-कूद पर भी ध्यान देता है। विशेष शिक्षा केन्द्र को आने वाले बच्चों के लिए अभिमुखी तथा जागरूक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अभिभावक बैठकें मासिक आधार पर आयोजित की जाती हैं और तिमाही आधार पर रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है।

7. इंटर्नशिप एवं शैक्षिक दौरे:

क्षेत्रीय केन्द्र को विभिन्न संगठनों से शैक्षणिक दौरे के लिए आते हैं और हर वर्ष नियमित अंतरालों पर राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकता में सेवाओं के अवलोकन के लिए ब्लॉक प्लेसमेंट के लिए आते हैं, जैसे, नर्सिंग कॉलेज, स्थानीय गैर सरकारी संगठन, विश्वविद्यालयों एवं कॉलेज।

8. प्रलेखन तथा प्रचार

केन्द्र ने बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों को दी जाने वाली सेवाओं का डिजिटीकरण किया। केन्द्र में सुसज्जित पुस्तकालय है जहाँ बौद्धिक दिव्यांगता तथा संबंधी क्षेत्र के पुस्तकों व जर्नलों का पर्याप्त संकलन है।

9. अन्य क्रियाकलाप

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, दिव्यांगजन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, डाउन्स् सिन्ड्रोम दिवस, एवं आटीज्म दिवस मनाता है। केन्द्र में एन.आई.ई.पी.आई.डी का वार्षिक दिवस समारोह का आयोजन भी किया जाता है। केन्द्र के विशेष आवश्यकता वाले बच्चे विशेष ओलम्पिक गेम्स् के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में भाग लेते हैं।

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकता-अल्पावधि कार्यक्रम 2016-17

क्र.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	दिन	तिथियाँ	लाभान्वितों की संख्या
1	एएसडी का मूल्यांकन, रोगनिदान तथा अंतराक्षेपण.	5	8.8.16 12.8.16	30
2	कम्प्युटर सहायक अनुदेशन तथा विशेष शिक्षा में इसका आशय	5	5.9.16 9.9.16	30
3	ट्रैन्सीशन के लिए स्कूल तत्परता विकसित	5	19.9.16 23.9.16	28
4	एएसडी बच्चों के लिए पाठचर्या तथा सह-पाठचर्या का अनुकूलन	5	24.10.16 28.10.16	31
5	बौद्धिक दिव्यांगन तथा सह स्थितियों के लिए मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षणिक मूल्यांकन	5	7.11.16 11.11.16	25

6	अधिगम समस्यावाले बच्चों के लिए उपचारात्मक अंतराक्षेपण	5	21.11.16 25.11.16	26
7	विकासात्मक अक्षमताओं बौद्धिक अक्षमता में प्रारंभिक बाल्यवस्था की भूमिका	5	5.12.16 9.12.16	30
8	विकलांग के अधिकार और भारत में स्थिति, नीति व कार्यक्रम	5	26.12.16 30.12.16	30
9	अधिगम विकलांगता इन्क्लूज़न एवं टेक्नॉलॉजी	5	9.1.17 13.1.17	30
10	प्री स्कूली शिक्षा में प्रायोगिक ज्ञान	5	6.2.17 10.2.17	30
11	समुदाय आधारित पुनर्वास	5	20.2.17 24.2.17	27
12	बौद्धिक दिव्यांग व्यक्ति में मानसिक रोग की पहचान तथा प्रबंधन	5	06.3.17 10.03.17	31
13	एएसडी तथा एडीएचडी बच्चों में सामाजिक कौशलों का विकास	5	20.03.17 24.03.17	30
	कुल			**378**

क्षेत्रीय केन्द्र,कोलकाता-सेवा क्रियाकलाप 2016-17

सेवा क्रियाकलाप	**लाभान्वित**
नए केसेस्	3304
फालो अप केसेस्	20029
समर्थन सेवाएँ (नए व फालोअप क्लाईंटो को दी गई)	56901
कुल	**80234**

एएसडी तथा एडीएचडी बच्चों में सामाजिक कौशलों का विकास पर अल्पावधि कार्यक्रम

अध्याय-10
क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र, मुम्बई की स्थापना 1987 में अलियावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान,मुम्बई कैम्पस में हुई थी । पश्चिम क्षेत्र अर्थात्, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गोवा, लक्षद्वीप तथा दमन व दिउ की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह केन्द्र प्रारंभ किया गया है। क्रियाकलापों का विस्तार करने के उद्देश्य से इस केन्द्र को नवी, मुम्बई को 2004 में स्थानान्तरित किया गया। अब यह केन्द्र दो किराये के स्थान, अर्थात् बेलापुर तथा खारघर में चलाया जाता है। प्रशासनिक कार्यालय, पुस्तकालय तथा दीर्घकालीन व अल्पकालीन पाठयक्रम बेलापुर कार्यालय में तथा सामान्य व विशेष सेवाएँ खारघर कार्यालय में चलाये जाते हैं। क्षेत्रीय केन्द्र अपने ही प्रेमिसेस नवी मुम्बई में अपने भवन का निर्माण कर रहा है जहाँ मानव संसाधन विकास के लिए एवं बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अत्युत्तम सुविधाएँ दी जा सकती हैं ।

क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई तीन दीर्घ कालीन कार्यक्रम एवं व्यावसायिकों के लिए अल्पकालीन कार्यक्रम, अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जागरूक कार्यक्रम चलाता है एवं शिविरों का आयोजन भी इस केन्द्र द्वारा किया जाता है। केन्द्र द्वारा, बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों को विशेष शिक्षा, मनोविज्ञान व व्यवहार प्रबंधन, वाणी व भाषा एवं व्यावसायिक चिकित्सा में गुणवत्ता मूल्यांकन तथा अंतराक्षेपण सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र, मुम्बई ने संसाधन सामग्री का विकास, जैसे, पुस्तकें, पोस्टर, आदि हिन्दी व मराठी भाषाओं में विकसित करने के लिए अपने योगदान दिया।

दीर्घावधि पाठ्यक्रम 2016-17

- बी.एड. विशेष शिक्षा (बौद्धिक दिव्यांगता)- 2 वर्षीय स्नातक स्तर कार्यक्रम, मुम्बई विश्वविद्यालय सं संबंधित
- डिप्लोमा इन अर्लीचाइल्ड हुड स्पेशल एजुकेशन (बौद्धिक दिव्यांगता) - 1 वर्षीय डिप्लोमा स्तर पाठ्यक्रम
- डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन (मेंटल रिटार्डेशन) - 1 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम कोर्स (25% से कम दाखिले होने के कारण पाठ्यक्रम इस वर्ष नहीं चलाया गया)

अल्पावधि कार्यक्रम 2016-17

क्र.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	दिन	तिथियाँ	लाभान्वितों की संख्या
1	बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के प्रबंधन में नियमित / विशेष स्कूल के केयर गिविंग स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (2 दिवसीय)	20	4.07.16 05.07.16	27
2	बौद्धिक दिव्यांग बच्चों / व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन तथा रिपोर्ट लेखन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	50	1.08.16 05.08.16	23
3	समाविष्ट शिक्षा एवं सीखने के लिए सार्वभौमिक रचना पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	51	9.09.16 23.09.16	28
4	लैंगिक शिक्षा, विवाह, वयस्क स्वतंत्र व जीवन पर्यन्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	17.10.16 21.10.16	34
5	व्यवहार परिवर्तन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	04.11.16 08.11.16	32
6	सीडबल्युडीडी के लिए समावेशी स्कूल के लिए पूर्व तत्पर कौशल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	19.12.16 23.12.16	38

7	प्रारंभिक अंतराक्षेपण के बहुसंवेदी अभिगम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	09.01.17 13.01.17	66
8	व्यावसायिक प्रशिक्षण व रोजगार में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की अनुप्रयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	3	06.02.17 08.02.17	20
9	दिव्यांग व्यक्तियों के संप्रेषण प्रशिक्षण में थियेटर आर्ट्स् का प्रयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	3	20.02.17 23.02.17	32
	कुल			**300**

क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई - सेवा क्रियाकलाप 2016-17

सेवा क्रियाकलाप	लाभान्वित
नए केसेस्	996
फालो अप केसेस्	2139
समर्थन सेवाएँ (नए तथा फालोअप क्लाईंटों को दी गई)	13991
कुल	**17126**

अवनि बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आवासीय विद्यालय, मुरबाद में 26 अक्तूबर, 2016 को मूल्यांकन तथा पहचान शिविर

अध्याय-11

मॉडल विशेष शिक्षा केन्द्र, नोएडा एवं नई दिल्ली

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 1964 में स्थापित मॉडल विशेष शिक्षा केन्द्र (एम.एस.ई.सी.) को वर्ष 1986 में राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकन्दराबाद के प्रशासनाधीन लाया गया। बौद्धक दिव्याग व्यक्तियों को अपने अंत:शक्ति का पूर्ण रूप से विकास करने में सहायता देने के उद्देश्य से यह केंन्द्र कार्यरत् है। भर्ती किये गये बच्चों की संख्या 148 थी, जिनमें से 30 आवासीय और 118 अनावासीय थे (तालिका 12)। एन.आई.एम.एच. एम.एस.ई.सी. का 17 फरवरी, 2015 को नोएडा केन्द्र को स्थानांतरित किया गया। नई दिल्ली केन्द्र में आंशिक सेवाएँ (केवल डे केयर (अनावासीय) क्रियाकलाप) प्रदान की जा रही हैं जबकि नोएडा केन्द्र में डे केयर के साथ साथ आवासीय सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

स्कूल के क्रियाकलापों के अतिरिक्त, एन.आई.ई.पी.आई.डी. एम.एस.ई.सी. ने व्यावसायिकों के लिए अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है। केन्द्र मानसिक मंद बच्चों को पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करता है, जिसमें मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, व्यवहार परिवर्तन, अभिभावक परामर्श, मोबाईल / गृह आधारित प्रशिक्षण शामिल है। देश के विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को एन.आई.ई.पी.आई.डी. एम.एस.ई.सी. ने परामर्शी एवं तकनीकी समर्थन प्रदान किया। केन्द्र ने विस्तार तथा आउटरीच कार्यक्रमों के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्य में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी भाग लिया।

तालिका 12: एम.एस.ई.सी. में लिंगवार दाखिले

लिंग	नई दिल्ली		नोएडा		कुल	
	अनावासीयक	आवासीय	अनावासीयक	आवासीय	अनावासीयक	आवासीय
लडकें *(एन=112)*	64	-	30	18	94	18
लडकियाँ *(एन=36)*	17	-	07	12	24	12
कुल *(एन=148)*	81	-	37	30	118	30

11.1 स्कूल के क्रियाकलाप

विशेष शिक्षा सेवाएँ

वर्ष के दौरान एन.आई.ई.पी.आई.डी. एम.एस.ई.सी. ने स्कूल में दाखिल किए आवासीय तथा अनावासीय छात्रों को विशेष शिक्षा सेवाएँ प्रदान की। विभिन्न कारणों पर जो बच्चे स्कूल नहीं आ पाये थे, उनके लिए गृह आधारित कार्यक्रम आयोजन किया गया।

व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम (आई.टी.पी.):

अभिभावकों को शामिल करते हुए हर एक बच्चे के लिये आई.टी.पी. तैयार किया गया। एम.एस.ई.सी. नई दिल्ली एवं नोएडा के सभी विद्यार्थियों के लिए त्रैमासिक आई.टी.पी. कार्यान्वित किया गया। आवधिक अभिभावक शिक्षक बैठकें भी आयोजित की गईं। शैक्षिक सत्र के अंत में, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन किया गया और अभिभावकों को सूचित किया गया। व्यावसायिक मूल्यांकन प्रोग्रामिंग पद्धति पर बौद्धिक दिव्यांगता के वरिष्ठ छात्रों का मूल्यांकन किया गया जिससे उनके बेहतर व्यावसायिक पुनर्वास के लिये योजना बनाने मे मदद मिली।

पूर्व व्यावसायिक क्रियाकलाप

छात्रों को आँख-हाथ समन्वयन, बैठने की क्षमता, समय की पाबंदी, समय की धारणा, द्रव्य की धारणा, माप और सुरक्षा, सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग, सामाजिक कौशल तथा छोटे-छोटे औजारों, जैसे, हैमर, स्क्रूड्रैवर तथा सिजर्स, आदि के प्रयोग में प्रशिक्षण दिया गया।

व्यावसायिक क्रियाकलाप

एम.एस.ई.सी. के छात्रों को बुकबाईंडिंग, स्पाईरल बाईंडिंग, हैंड वीविंग, कार्पेंटरी, कैंडल तैयार करना तथा लिफाफा तैयार करने में प्रशिक्षण जारी रखा गया। कैंडल तैयार करने की परियोजना में विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को सम्मिलित किया गया। उन्होंने कैंडिल तैयार करना, पैक करना और बेचना सीखा। अभिभावकों को अपने घर पर ऐसे कार्यक्रमों को आरंभ करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया ताकि व अपने बच्चों के लिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र का प्रोत्साहन मिल सके।

बौद्धिक दिव्यांग छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए एम.एस.ई.सी. में पेपर प्लेट मेकिंग मशीन स्थापित किया गया। बौद्धिक दिव्यांजन व्यक्तियों को पेपर प्लेट / कप कपों का प्रेस करना, गिनना एवं पैक करना सिखाया गया। व्यावसायिक प्रशिक्षण छात्र पेपर प्लेट तैयार करने का क्रियाकलाप जारी रखी।

एम.एस.ई.सी. नोएडा के छात्रों को नियमित तौर पर फूलों को काटने में प्रशिक्षण दिया जाता है। आसपास के मंदिरों में से फूल इकट्ठा किया जाता है, काटकर सुखाया जाता है। सूखे फूलों के बदले में हर्बल रंग लिया जाता है। इससे नदियों में प्रदूषण कम हो सकता है और स्वच्छ भारत बनाने में मदद मिलती है। दिवाली के अवसर पर छात्रों ने दिया जलाई।

11.2 कौशल प्रशिक्षण

कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कुल 11 छात्रों प्रवेश लिये। 11 छात्रों मेंसे, 6 छात्रों को कार्पेंटरी ट्रेड में प्रशिक्षण दिया गया जबकि 5 छात्रों को हैंडीक्राफ्ट में प्रशिक्षण दिया गया। कार्पेंटरी ट्रेड में प्रशिक्षण एक वर्ष के लिये दिया गया और हैंडीक्राफ्ट्स् में प्रशिक्षण छ: महीने का रहा। प्रशिक्षुओं को कार्य व्यवहार बनाये रखने में तथा कार्य संबंधी कौशल में भी प्रशिक्षण दिया गया। पोस्ट ऑफीस, बैंग, पुलिस थाने, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, आदि को समुदाय से भेंट किया गया। दो विद्यार्थी, ललित और राजु को क्रमश: जनरल स्टोर एवं ईटरी में नौकरी पर लगाया गया।

वी.ए.पी.एस. मूल्यांकन

स्वैच्छिक संगठनो से साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत, दिल्ली तथा एन.सी.आर. में कौशल प्रशिक्षण के लिए चयन करने के लिए वी.ए.पी.एस. पर 294 विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया गया।

आवासीय सेवाएँ

बौद्धिक दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एम.एस.ई.सी. नोएडा में आवासीय सुविधा उपलब्ध है। हॉस्टल में 30 विद्यार्थी हैं जिनमें से 18 पुरुष और 12 महिलाएँ हैं। छात्रों को दैनिक जीवन की क्रियाकलापों, सजना-सँवरना तथा घरेलू क्रियाकलापों में प्रशिक्षण दिया गया। छात्रों ने मनोरंजन कार्यक्रमों, इनडोर तथा आउटडोर क्रियाकलापों में भाग लिया । स्कूल पिकनिक के रूप में छात्रों को इंडिया गेट ले जाया गया। प्रधानमंत्री के आमंत्रित के रूप में विशेष बच्चों ने गणतंत्र दिवस परेड में उपस्थित रहे। हॉस्टल के छात्रों के अभिभावकों को अपने बच्चों के देखभाल व प्रशिक्षण में प्रशिक्षण दिया गया।

खेल-कूद क्रियाकलाप

एम.एस.ई.सी. नोएडा एवं लाजपत नगर के विद्यार्थियों ने विभिन्न इनडोर तथा आउटडोर क्रियाकलापों में भाग लेते रहें। विद्यार्थियों को रनिंग, फास्ट वॉकिंग,बास्केट बॉल, बक्से, क्रिकेट, शॉटपुट, फुटबॉल, कैरम, ट्रैम्पोलाईन, स्टैंडिंग लॉग जम्प, साफ्ट बॉल थ्रो, स्नेक एण्ड लैडर, आदि में प्रशिक्षित किया गया।

स्पेशल ओलम्पिक्स् भारत

द्वारा खेल-कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। त्यागराज स्टेडियम, नई दिल्ली में 15 विद्यार्थियों ने भाग लिया। हमारे विद्यार्थियों ने इस प्रतिस्पर्धा में 13 मेडल जीते, अर्थात्, 4 स्वर्ण, 6 रजतऔर 3 कांस्य मेडल। स्पेशल ओलम्पिक्स् भारत ने जयपुर (राजस्थान) में एथलेटिक्स् के लिए नैशनल चैम्पियनशिप का आयोजन किया। सुश्री त्रप्ती यादव का दिल्ली स्टेट स्पेशल ओलम्पिक्स् द्वारा चयन किया गया। जयपुर, राजस्थान में 21-26 अक्तूबर, 2016 को नेशनल एथ्लेटिक्स् चैम्पियनशिप 2016 में इन्होंने भाग लिया। महिलाओं के 12-15 आयु वर्ग में इन्होंने 50 मीटर दौड तथा साफ्ट बॉल थ्रो में स्वर्ण पदक जीत लिया। वेरी स्पेशल आर्ट्स्, वसंत कुंज, नई दिल्ली द्वारा आयोजित कैरम बोर्ड चेम्पियनशिप में स्कूल के विद्यार्थियों ने भाग लिया।

कला एवं शिल्प क्रियाकलाप

स्कूल के विद्यार्थियों ने एम.एस.ई.सी. नोएडा एवं लाजपत नगर में विभिन्न कला एवं शिल्प क्रियाकलापों में भाग लिया। गृह व शहरी विकास मंत्रालय के बिल्डिंग मेटीरियल एण्ड टेक्नालॉजी प्रमोशन काउन्सिल, नई दिल्ली द्वारा 23.9.2016 को आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता में स्कूल के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर, लोधी रोड में वर्ल्ड हैबीटैट दिवस के अवसर पर आयोजित प्रतियोगिता के लिए 15 पेंटिंग भिजाये गये। इस प्रतिस्पर्धा में दीप प्रकाश को तृतीय पुरस्कार एवं रु.5000/- मिले। 7 अक्तूबर, 2016 को क्ले माडलिंग प्रतियोगिता एवं 3 दिसम्बर, 2016 को स्पॉट पेंटिंग प्रतियोगिता में स्कूल के 12 विद्यार्थियों ने भाग लिया।

अंतर विद्यालयी नृत्य प्रतियोगिता : वेरी स्पेशल आर्ट्स् द्वारा 26 अगस्त, 2016 को वार्षिक नृत्य नाटक व संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतिस्पर्धा में 8 विद्यार्थी भाग लिये। एम.एस.ई.सी. के विद्यार्थियों ने समूह नृत्य में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया और ट्रोफी और पदक प्राप्त किये।

मैजिक शो : इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, मैक्स म्यूलर मार्ग, लोधी रोड, नई दिल्ली में 23 अगस्त, 2016 को आयोजित मैजिक शो में 31 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम इम्प्रेसारियो इंडिया, नई दिल्ली द्वारा आयोजित की गई।

क्रिसमस समारोह : नेशनल फिलैटेलिक म्यूजियम, डाक भवन, नई दिल्ली में 23.12.2016 को क्रिसमस समारोह में 21 विद्यार्थियों ने भाग लिया। गैर विकलांग विद्यार्थियों के साथ इन्होंने पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया।

कार्ड डिजाईनिंग प्रतियोगिता : भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली में कार्ड डिजाईनिंग प्रतियोगिता का 10.2.2017 को आयोजित की गई । साहिल व दीप प्रकाश दोनों नेइस कार्यक्रम में भाग लिया। इनकी टीम ने स्वर्ण पदक एवं प्रमाण पत्र प्राप्त किया।

गणतंत्र दिवस समारोह : एम.एस.ई.सी. नोएडा में 68वा गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर 25 जनवरी, 2017 को पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

वाई.एम.सी.ए. में अबिलिटी उत्सव : वाई.एम.सी.ए.निजामुद्दीन, नई दिल्ली द्वारा 25 जनवरी, 2017 को आयोजित अबिलिटी उत्सव में पाँच विद्यार्थियों ने भाग लिया। कला, रंगोली तथा क्ले मॉडलिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। मास्टर दीप प्रकाश को क्ले मॉडलिंग प्रतिस्पर्धा में प्रथम पुरस्कार मिला।

भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने 24.05.2016 को "सबका साथ सबका विकास" पर अभिनन्दन कार्यक्रम का आयोजन किया। मास्टर साहिल ने सोलो सिंगिंग प्रदर्शन किया और माननीय मंत्री श्री थावरचंद गेहलोत से रु.10,000/- का नकद पुरस्कार प्राप्त किया।

एक्सिसबल इंडिया मोटर साईकिल रैली : इंडिया गेट, नई दिल्ली में एक्सिसबल इंडिया मोटार साईकिल रैली में 24.7.2016 को एम.एस.ई.सी. के पाँच विद्यार्थियों ने भाग लिया।

सह-पाठचर्या क्रियाकलाप

- एम.एस.ई.सी. के सभी विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों ने 10 मार्च, 2017 को होली पर्व मनाया।
- सभी विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों ने 27 अक्तूबर, 2016 को दिवाली मनाया।
- स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2016 को मनाया गया। इस अवसर पर झंडा फहराना, सांस्कृत कार्यक्रमों का आयोजजन, फिजिकल ड्रिल का आयोजन इस अवसर पर किया गया।
- एम.एस.ई.सी. में 17 अगस्त 2017 को रक्षाबंधन पर्व मनाया गया।
- एम.एस.ई.सी. नोएडा के विद्यार्थियों को चिल्ड्रन पार्क, इंडिया गेट, नई दिल्ली को 23.3.2017 को पिकनिक पर ले जाया गया। उन्होंने स्विंग्स्, स्लाईड्स, जंग्ल जिम, टन्नल गेम्स् तथा जंगल जिम एक्टिविटीज़ से आनंद उठाया।
- **राजपथ में गणतंत्र दिवस समारोह में सहभागिता :** राजपथ, इंडिया गेट, नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में सात बच्चे व पाँच स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे।
- **वार्षिक खेल-कूद दिवस :** एन.आई.ई.पी.आई.डी. के वार्षिक दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों व स्टाफ के लिए खेल-कूद का आयोजन किया गया। विजेताओं को पुरस्कार वितरित किये गये और सभी को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया।
- विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 3.12.2016 को दिव्यांगजन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार कार्यक्रम में एम.एस.ई.सी. स्टाफ तथा विद्यार्थियों ने भाग लिया।
- **वार्षिक दिवस समारोह :** नोएडा एवं लाजपत नगर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन के द्वारा 22.2.2017 को वार्षिक दिवस मनाया गया और इसी अवसर पर खेल-कूद प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये गये। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को भी इस अवसर पर पुरस्कार प्रदान किये गये।
- **शिक्षक दिवस** 5 सितम्बर, 2016 को मनाया गया।
- 14 से 28 सितम्बर, 2016 को **हिन्दी पखवाडा** मनाया गया। निबंध प्रतियोगिता, कविता पाठ, नारे लेखन प्रतियोगिता, पोस्टर तैयार करने की प्रतियोगिता आदि का इस अवसर पर आयोजन किया गया।
- **स्कूल में** बाल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कक्षाओं को सजाया गया और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- 23 दिसम्बर, 2016 को क्रिसमस पर्व मनाया गया।
- **दिव्यांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस :** दिव्यांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए,एम.एस.ई.सी. ने जागरूक रैली का नोएडा, उ.प्र. में निकाला गाया। सभी स्टाफ ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

11.3 जागरूकता क्रियाकलाप

समुदाय के लिए तथा बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों के अभिभावकों व सहोदरों के लिए कई जागरूक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समुदाय में पाँच जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन के दौरान बौद्धिक अक्षमता से संबंधित कई विषयों पर कुल 2061 व्यक्तियों को जागरूक किया गया । ये कार्यक्रम विभिन्न स्कूलों में भी आयोजन की गई जिसमें 8 से 12 कक्षाओं के विद्यार्थियों व टीचरों ने भाग लिया। विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर बौद्धिक अक्षमता से संबंधित विषयों पर आम जनता को जागरूक करने के लिए एम.एस.ई.सी. नोएडा के आसपास के स्थानों में रैली निकाली गई।

अभिभावक व सहोदर प्रशिक्षण कार्यक्रम : वर्ष के दौरान अभिभावकों को सहोदरों के लिए एक दिवस के दस प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों से 380 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम : वर्ष 2016-17 के दौरान व्यावसायिकों के लिए पाँच अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों से 173 व्यावसायिक लाभान्वित हुए।

समर्थन सेवाएँ

एडिप : एडिप योजना के अंतर्गत टी.एल.एम. किटों का वितरण तथा एस.सी.एस.टी. योजना निधि के अंतर्गत लैपटॉपों का वितरण गुजरात के नवसारी में 17.9.2016 को तथा व़डोदरा में 22.10.2016 को आयोजित मेगा शिविर में एन.आई.ई.पी.आई.डी. एम.एस.ई. सी. ने सहायता प्रदान की।

पूर्वोत्तर - इम्फाल (मणिपुर) में 18-21 अप्रैल 2016 को एडिप योजना के अंतर्गत टी.एल.एम. किटों का वितरण तथा गैंगटोक, सिक्कम में 16.4.2016 को एस.सी.एस.टी. योजना निधि के अंतर्गत लैपटॉपों का वितरण में एम.एस.ई.सी. स्टाफ ने एन.आई.ई.पी.आई.डी. मुख्यालय को सहायता प्रदान की।

राज्य कल्याण मंत्रियों का सम्मेलन : डी.ई.पी.डबल्यु.डी. लोधी रोड तथा विज्ञान भवन नई दिल्ली विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 27 मई से 2 जून, 2016 स्टेट वेलफेयर मिनिस्टरों एवं यु.टी. के प्रशासकों का सम्मेलन तथा 2 जून, 2016 को राज्यों व संघ राज्यों के वेल्फयेर सेक्रेटरीस् के सम्मेलन के दौरान लाजिस्टिक्स् समर्थन दिया गया।

आटीज्म जागरूकता : लाजपत नगर, नई दिल्ली एवं नोएडा (यू.पी.) में आटीज्म पर आमजनता को जागरूक करने के लिए पैमप्लेट वितरित किये गये। दिल्ली तथा नोएडा के मेट्रो स्टेशनों में कुल 1000 हैंडबिल वितरित किये गये।

11.4 अन्य क्रियाकलाप

स्वच्छ भारत अभियान : केन्द्र में पूरे वर्ष के दौरान स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूरे स्कूल परिसर, हॉस्टल, वर्कशाप, आदि में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इन्डोर तथा आउटडोर पौधों को संभाला गया। सीवेज कावर का मरम्मत की गई और खंभों को साफ किया गया।

बिजली बचत : कम से कम 10 प्रतिशत बिजली बचाने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश दिये गये। स्टाफ सदस्यों को उपकरणों का प्रयोग नहीं करने पर बंद करने का अनुरोध किया गया।

एम.एस.ई.सी. नोएडा में नियमित प्री-स्कूल के क्रियाकलाप : प्रीस्कूल में दाखिल लिये विद्यार्थियों की कुल संख्या 44 है। इनमें से प्री-प्राईमरी । में 17 लडकें एवं 3 लड़कियाँ हैं जबकि प्री-प्राईमरी ।। में 10 लडकें एवं 14 लड़कियाँ हैं। इन्हें भाषा, गणित तथा सामान्य ज्ञान जैसे विषय पढ़ाये गए। पाठचर्या क्रियाकलापों के साथ साथ इन्हें शारीरिक शिक्षा, कला व शिल्प तथा योग में शिक्षण दिया गया।

एम.एस.ई.सी., नोएडा में स्वतंत्रता दिवस समारोह

अध्याय-12
विस्तारण तथा आउटरीच कार्यक्रम

12.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यक्रम

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य सरकार तथा गैर सरकारी संगठनों के द्वारा मानसिक मंदन के बारे में जागरूकता लाने तथा गुणवत्ता सेवाओं को बढ़ावा देने में सहायता देने के लिए वर्ष 2002 से कार्यक्रमों का आरंभ किया। वर्ष 2016-17 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के गतिविधियों के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने पूरे सात पूर्वोत्तर राज्यों में अभिभावकों, व्यावसायिकों, कार्मिकों तथा बौद्धिक दिव्यांग अन्य बौद्धिक व्यक्तियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम, संवेदीकरण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस वर्ष के दौरान 100 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिससे 7080 व्यक्ति लाभआन्वित हुए (तालिका 13)। वर्ष के दौरान 118.4 लाख रुपये पूर्वोत्तर क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए खर्च किये गये। सहभागियों को उपरोक्त कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए यात्रा व दैनिक भत्ता दिया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का विवरण अनुलग्नक एफ (पृष्ठ सं.121) पर दिया गया है।

तालिका -*13*: पूर्वोत्तर क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम

क्र.	राज्य	कार्यक्रमों की संख्या	लाभान्वित
1	अरूणाचल प्रदेश	10	1143
2	असम	5	643
3	मणीपुर	9	1173
4	मेघालय	11	849
5	मिजोरम	6	560
6	नागालैंड	4	1126
7	सिक्किम	47	1115
8	त्रिपुरा	7	450
9	एन.आई.ई.पी.आई.डी. मुख्यालय	1	21
	कुल	**100**	**7080**

12.1.1 सी.ए.आई.लैब तथा मॉडल क्लासरूम की स्थापना

- बौद्धिक दिव्यांग बच्चे तकनीकी उपयोगिता से लाभान्वित होने के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने कम्प्युटर सहायता अनुदेशन (सीएआई) लैब की स्थापना सिक्किम, मणिपुर मेघालय, नागालैंड, मिजोरम तथा त्रिपरा के पूर्वोत्तर राज्यों में की। सीएआई पैकेज उपयोगिता पर विशेष शिक्षकों को अभिमुखी किया गया।
- बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के हितार्थ, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय तथा मणिपुर राज्यों के विशेष स्कूलों में उचित फर्नीचर उपलब्ध कराने के द्वारा माडल क्लास रूमों की स्थापना का आरंभ किया।

स्कूल के छात्रों के लिए जागरूकता कार्यक्रम

12.2 एन.आई.ई.पी.आई.डी. रिसोर्स केन्द्र, गैंगटोक, सिक्किम

विकासात्मक विलम्ब वाले बच्चों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को सेवा प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा कल्याण विभाग के कार्यालय में 26 मार्च, 2014 को संस्थान ने गैंगटॉक, सिक्किम में संसाधन केन्द्र स्थापित किया। इसके अतिरिक्त, सिक्किम सरकार के सामाजिक न्याय, अधिकारिता तथा कल्याण विभाग के पूर्ण सहयोग से यह केन्द्र, बौद्धिक अक्षम पुनर्वास के क्षेत्र में समाज को, स्कूल व कालेज विद्यार्थियों को जागरूक करने, व्यावसायिकों को, ग्रास रूट स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहा है।

प्रारंभ से ही, सिक्किम में बौद्धिक अक्षम / विकासात्मक विलम्ब वाले व्यक्तियों को पहचानने में ग्रास रूट लेवेल कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने, प्रारंभिक पहचान तथा प्रारंभिक हस्तक्षेप के क्षेत्र में रेफरल सेवाएँ तथा पुनर्वास सेवाओं में तेजी लाने के लिए यह केन्द्र सतर्कता से प्रयास कर रहा है।

नेटवर्किंग

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान संसाधन केन्द्र, सरकारी एजेंसियों जैसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता एवं कल्याण विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर, गैर सरकारी संगठन, अभिभावक एवं अन्य स्टेक होल्डर्स विकलांग पुनर्वास के सहयोग से क्षेत्र के क्रियाकलाप नियमित बैठकों द्वारा देख रहे हैं एवं अधिक से अधिक / नवीनतम सूचना का अद्यतन कर रहे हैं। कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये एवं विकलांग बच्चों को पहचाना गया, जाँच भी की गई एवं पहचाने गये लाभान्वितों को संयुक्त प्रयास से उपायात्मक सेवाएँ भी आरंभ की गई।

नियमित छात्रों, ग्रास रूट कार्यकर्ताओं एवं आम जनता को बौद्धिक अक्षम की रोकथाम एवं कारण, बौद्धिक व्यक्ति में निहित आत्मसम्मान के आदर के बारे में, सहानुभूत्यात्मक प्रस्ताव, अवरोध मुक्त वातावरण एवं अभिगम्यता जैसे विषयों पर संवेदीकरण किया गया। विद्यार्थियों को विकलांगता पुनर्वास संबंधी कोर्स लेने के लिए और बौद्धिक बच्चों के परिवारों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रेरित किया गया। वर्ष 2016-17 के दौरान, इन विषयों पर विभिन्न कार्यक्रम चलाये गये जिससे सिक्किम राज्य के 115 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

12.3 समुदाय आधारित कार्यक्रम (सी.बी.पी.)

वर्ष 2016-17 के दौरान 225 समुदाय आधारित कार्यक्रमों (पूर्वोत्तरी कार्यक्रमों के अलावा) से 12634 व्यक्ति लाभान्वित हुए। इसमें विकलांगता पर जागरूक रैलियाँ, अभिमुखी कार्यक्रम, मूल्यांकन शिविर आदि शामिल हैं। सी.बी.पी. के अंतर्गत वर्ष 2016-17 के दौरान एन.आई.ई.पी.आई.डी. द्वारा आयोजित क्रियाकलाप / कार्यक्रमों का विवरण तालिका 14 में दर्शाया गया है। कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट जी (पृष्ठ सं. 125)** में दिया गया है।

12.3.1 अभिमुखी कार्यक्रम

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान एवं क्षेत्रीय केन्द्रों को प्रति वर्ष कई व्यावसायिक, प्रमुख व्यक्ति तथा दीर्घावधि पाठ्यक्रम प्राप्त कर रहे विद्यार्थी भेंट करते हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान तथा क्षेत्रीय केन्द्र इन अतिथि व्यावसायिकों को अभिमुखी कार्यक्रम प्रदान करता है। वर्ष 2016-17 के दौरान 155 संस्थानों / विषयों के 2108 भेंटकर्ताओं ने इस कार्यक्रम से पर लाभ उठाया।

12.3.2 उज्जैन में प्रदर्शनी

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान प्रति वर्ष देश भर में विभिन्न प्रदर्शनियों तथा मेलों में स्टाल्स लगाकर जागरूकता अभियान का आयोजन करता है। विकलांगता पर जागरूकता कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में 8-22 मई, 2016 को आयोजित प्रदर्शनी में भाग लिया और स्टॉल लगाया जिससे 1481 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

तालिका 14 : समुदाय आधारित कार्यक्रम 2016-17

क्रियाकलाप	कार्यक्रमों की संख्या	लाभान्वितों की संख्या
जागरूक / मूल्यांकन कार्यक्रम	63	9402
भेंटकर्ताओं के लिए अभिमुखी कार्यक्रम	155	2108
एन.पी.एम. / आर.पी.एम./ एस.पी.ई.एन.एम.	7	1124
कुल	***225***	***12634***

जागरूकता कार्यक्रम

एस.एस.ए. शिक्षकों एवं छात्रों के लिए जागरूकता कार्यक्रम, सिकन्दराबाद

स्कूल के छात्रों के लिए जागरूकता कार्यक्रम, नोएडा

12.4 परामर्शी तथा तकनीकी समर्थन

12.4.1 भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से सहायता अनुदान के लिए गैर सरकारी संगठनों की तकनीकी मूल्यांकन

अनुदान पाने के लिये गैर सरकारी संगठनों के आवेदनों का तकनीकी मूल्यांकन इस योजना के अंतर्गत अक्षम व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहन देने के लिये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देश में गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान देता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुरोध पर संस्थान गैर सरकारी संगठनों का तकनीकी मूल्यांकन करता है और मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

12.4.2 भारतीय पुनर्वास परिषद्

संस्थान के स्टाफ ने भारतीय पुनर्वास परिषद् के विभिन्न पाठयक्रमों का विकास और मूल्यांकन सबंधी बैठकों में भाग लिया। भारतीय पुनर्वास परिषद् की ओर से संस्थान के संकाय सदस्यों ने देश भर के विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण किया।

क्र.	निरीक्षण का प्रकार	संस्थान का नाम व पता	दौर करने की तिथि
1	भारतीय पुनर्वास परिषद् निरीक्षण	सेंट एन्ड्रूज़ कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन, विजयवाडा	19/4/16
2	भारतीय पुनर्वास परिषद् निरीक्षण	एसएनडी विश्वविदयालय, मुम्बई	20/4/16
3	डीडीआरएस के अंतर्गत जी.आई.ए. के लिए निरीक्षण	रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी स्वैच्छिक संगठन, कर्नूल, आँ.प्र. का निरीक्षण	1-2 अगस्त, 2016
4	कौशल प्रशिक्षण	संकल्प सेवा संस्थान, लखनऊ	30 सितम्बर, 2017
5	डीडीआरएस के अंतर्गत जी.आई.ए. के लिए निरीक्षण	हैंडीकैप्ड डेवलपमेंट काउंसिल, शास्त्रीपुरम, सिकंद्रा आगरा टियर्स संस्थान	22-23 दिसम्बर, 2017
6	भारतीय पुनर्वास परिषद् निरीक्षण	पद्मनायका कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन, वनस्थलीपुरम, हैदराबाद	28 फरवरी, 2017
7	भारतीय पुनर्वास परिषद् निरीक्षण	पद्माबाई कॉलेज आफ स्पेशल एजुकेशन, वनस्थलीपुरम, हैदराबाद	28 फरवरी, 2017
8	भारतीय पुनर्वास परिषद् निरीक्षण	तपोवन मनोविकास विद्यालय, श्रीगंगानगर, राजस्थान	04 मार्च, 2017
9	भारतीय पुनर्वास परिषद् निरीक्षण	हिमालयन विश्वविद्यालय, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	31 मार्च, 2017

12.4.3 गैर सरकारी संगठनों को तकनीकी सहायता

इस उद्देश्य के अंतर्गत राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान आरंभ से ही गैर सरकारी संगठनों व अन्य संस्थानों को तकनीकी सहयता प्रदान करता आ रहा है।

12.5 विशेष रोजगार कक्ष

वर्ष 1995 में एन.आई.ई.पी.आई.डी. में स्थापित विशेष रोजगार सेल में दिव्यांग व्यक्तियों का पंजीकरण किया जाता है, ताकि विभिन्न संगठनों में नौकरी हेतु इन व्यक्तियों को नामांकित किया जा सके। इससे विभिन्न संगठनों से प्राप्त माँग पत्रों के अनुसार योग्यता के आधार पर अपने अपने नामांकन भेजने हेतु विशेष रोजगार सेल में अभी तक पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या 95 है।

अध्याय-13

पुस्तकालय एवं सूचना सेवा विभाग

दस्तावेजीकरण तथा प्रचार प्रसार राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। संस्थान में बौद्धिक दिव्यांगता और संबंधित क्षेत्रों में पूरी तरह से लैस संसाधन केन्द्र हैं जिसमें पर्याप्त संख्या में पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएँ हैं। संस्थान पत्र पत्रिकाओं के लेखों की छाया प्रतियाँ राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के प्रकाशनों, वीडियो कैसेटों तथा फ्लापियों का वितरण, तथा पुस्तकालय सेवाएँ प्रदान करता, पठन सूची एवं समाचार पत्रों की पेपर क्लिपिंग तैयार करता है व इंटरनेट द्वारा सूचना सेवाएँ प्रदान करता है।

संस्थान मेंटार्ड बुलेटिन नामक द्वैमासिक पत्रिका प्रकाशित करता है जिसमें विकलांगता पर लिखे हुए लेखों के सारांश होते हैं। देश भर के लगभग 300 से अधिक संस्थान इससे लाभ उठाते हैं। यदि कोई किसी लेख का पूरा सारांश चाहते हों तो, उन्हें लेख के पूरे विषयों की छायाप्रति दी जाती है।

संस्थान के पुस्तकालय में 31.3.2017 तक 14,000 पुस्तकें (खरीदी गई, ग्रैटिस में मिलीं, या उपहार के रूप में मिली) हैं। वर्ष के दौरान लगभग 15,000 व्यावसायिक तथा विद्यार्थियों ने एन.आई.ई.पी.आई.डी. पुस्तकालय सेवाओं का लाभ उठाया।

13.1 पोस्टर्स एवं फ्लिप चार्ट

संस्थान लगातार विकलांगता को पहचानने के लिये जन जागृति कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है जैसे दिव्यांग व्यक्तियों को पहचानने के लिए ग्रास रूट लेवल वर्कर्स के लिये पोस्टर प्रिंटिंग, सूचना सामग्री प्रकाशन, फ्लिप चार्ट तैयार करना आदि।

13.2 वेबसाईट डिजिटीकरण

एन.आई.ई.पी.आई.डी. के वेबसाईट को पूरी तरह संशोधन कर फ्लैश इमेजेस् के साथ एक नया रूप दिया गया और इसे अक्षमता मैत्रीपूर्ण बनाया गया। यह वेबसाईट हिन्दी में भी उपलब्ध है। वेबसाईट का सुरक्षा लेखा परीक्षा किया गया और (एस.टी.क्यू.सी.) स्टैन्डरडाईजेशन, टेस्टिंग एण्ड क्वालिटी सर्टीफिकेशन का कार्य किया जा रहा है। इनमें से आये गये असंगतियों को पूरा किया गया। एस.टी.क्यू.सी. प्रमाणीकरण की प्रतीक्षा है। एन.आई.सी., हैदराबाद में संस्थान का वेबसाईट (www.niepid.nic.in) होस्ट किया गया।

एन.आई.ई.पी.आई.डी.मुख्यालय, सिकन्दराबाद में पुस्तकालय

13.3 प्रकाशन

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने आरंभ से ही अपने नैदानिक तथा अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों के परिणामों को, पुस्तकें, वीडियो फिल्में और सी.डी के रूप में प्रकाशित करने की प्रथा को कायम रखा। इसके अलावा, प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त सूचना को इकट्ठा कर पैम्प्लेट व लीफलेट के रूप में प्रकाशित किया। दिनांक 31 मार्च, 2017 तक मौलिक प्रकाशनों की कुल संख्या 98 थी।

13.4 प्रकाशन वितरण

संस्थान द्वारा प्रकाशित विभिन्न पुस्तकें व अन्य सामग्री के लिए कई स्रोतों से निवेदन मिलते हैं। इस सामग्री को नाममात्र शुल्क लेकर वितरित किया जाता हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान एन.आई.एम.एच. के प्रकाशनों का वितरण **तालिका 15** में दिया गया है एवं रेखाचित्र-2 में दर्शाया गया है।

तालिका 15: एन.आई.ई.पी.आई.डी. के प्रकाशनो का वितरण

क्र.सं.	शीर्षक	2015-16	2016-17
1.	प्रकाशन (98 शीर्ष)	20,184	6873
2.	विडियो फिल्म (वीएचएस/सीडी फारमेट)	338	316
3.	साफ्टवेयर प्रोग्राम	212	348

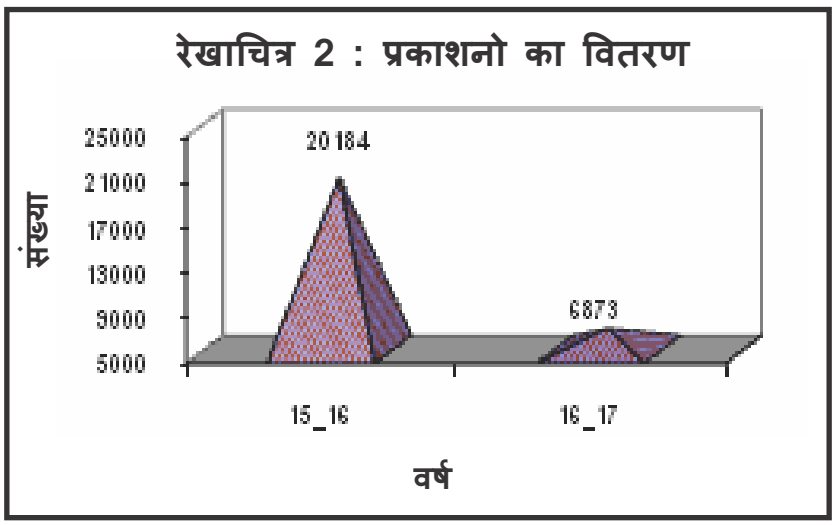

13.3 एन.आई.ई.पी.आई.डी. प्रकाशनों का डिजिटीकरण

संस्थान के प्रकाशनों को एन.आई.ई.पी.आई.डी.वेबसाइट पर अपलोड किया गया है ताकि सभी उपयोगकर्ता उसका लाभ उठा सके।

अध्याय-14

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायता (एडिप) योजना

14.1 यंत्र/उपकरणों का क्रय/फिटिंग के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के लिये सहायता योजना (एडिप योजना)

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश भर के दिव्यांग व्यक्तियों को यंत्र व उपकरणों के वितरण हेतु संश्लिष्ट पुनर्वास शिविरों का आयोजन करना है।

इस प्रक्रिया में पहले मूल्यांकन किया जाता है और इसके बाद मूल्यांकन शिविर में पहचान किये गये विकलांग व्यक्तियों को यंत्र व उपकरण वितरित किये जाते हैं।

जिला मैजिस्ट्रेट / कलेक्टर के कार्यालय की सहायता इन शिविरों के आयोजन के लिए सुनिश्चित की जाती है। शिविर के आयोजन के लिए जिला अस्पताल, गैर सरकारी संगठन तथा अन्य संगठनों को उचित मानदेय देकर मदद ली जाती है। प्रक्रिया में निम्नलिखित सोपान हैं-

प्रचार प्रसार

शिविरों का आयोजन करने से पहले आयोजक विस्तृत प्रचार प्रसार करते हैं जिसके लिए क्षेत्रीय भाषाओं में करपत्र मुद्रित करवा कर बाँटे जाते हैं।

सम्मिलित व्यावसायिक

शिविरों का आयोजन करने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित व्यावसायिकों का प्रबंध किया जाता है मनोवैज्ञानिक, विशेष शिक्षक (मा.म., श्र.वि., द.वि.), श्रवण चिकित्सक, नेत्र चिकित्सक, आर्थोपैडिक सर्जन, भौतिक चिकित्सक, पी. व ओ. इंजिनीयर/तकनीशियन तथा मनश्चिकित्सक।

आंकडों का रखरखाव

एडिप क्रियाकलापों संबंधी निम्न लिखित ऑंकडों का रखरखाव किया जाता है।

- प्रत्येक व्यक्ति का केस पंजीकरण फार्म जिनका कैम्प के दौरान मूल्यांकन किया गया है-
- मूल्यांकन फार्म
- यंत्रों व उपकरणों का श्रेणी-वार विवरण तैयार करना
- यंत्रों व उपकरणों का वितरण संबंधी ब्यौरा
- 19 कॉलम रजिस्टर का कम्प्यूटर पर दस्तावेजीकरण

वित्तीय सहायता

यह योजना चलाने के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद द्वारा एडिप शिविर पर जागरूकता निर्माण, पहचान तथा मूल्यांकन शिविर, यंत्रों व उपकरणों का क्रय व वितरण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। शिविरों के दौरान लाभदायकों को तथा संरक्षकों के खान-पान आदि का प्रबंधन भी किया जाता है।

नेटवर्किंग

स्थानीय गैर सरकारी संगठन के साथ नेटवर्क बनाये रखना तथा मेडिकल कालेज/जिला अस्पताल/ग्रामीण अस्पताल/पी.एच.सी/डी.डी.आर.सी./अन्य कोई समर्थ संगठन के साथ हितार्थियों को यंत्र व उपकरणों के फिटमेंट/पोस्ट फिटमेंट हेतु संपर्क बनाना सुनिश्चित किया जाता है।

फालो अप

दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए तथा इस योजना के अंतर्गत जिन व्यक्तियों को यंत्र व उपकरण दिये गये हैं, उनके उपयोग तथा रखरखाव के लिए स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय द्वारा फालो अप सेवाओं का आयोजन किया जाता है।

14.2 मेगा शिविर एवं टी.एल.एम. वितरण

एडिप योजना के अंतर्गत, दिव्यांग व्यक्तियों को उनके शारीरिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को सुविधाकृत बनाने के लिए वैज्ञानिक रूप से तैयार किये गये यंत्र व उपकरण वितरित किये जाते हैं जिससे वे गुणवत्ता वाला जीवन बिता सकते हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान एडिप योजना के अंतर्गत टीचिंग एण्ड लर्निंग मेटीरियल (टी.एल.एम.) (शिक्षण अधिगम सामग्री) बौद्धिक दिव्यांगजन को वितरित करते है। दिव्यांग बच्चों को जब विभिन्न शिक्षण सामग्री द्वारा प्रोत्साहित किये जाने पर वे और बेहतर सीखते हैं। ये शिक्षण सामग्री उनमें वैचारिक सोच विकसित करने में मदद करती है तथा वे सीखने में रुचि दिखाते हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान द्वारा चार प्रकार के टी.एल.एम. किट विकसित किये गये हैं, अर्थात्, किट 1: 0-3 वर्ष के लिए (प्रारंभिक अंतराक्षेपण ग्रूप), किट 2: 4-6 वर्ष (प्री-प्राईमरी ग्रूप), किट 3 : 7-11 वर्ष (प्राईमरी ग्रूप), किट 4: 12-15 वर्ष के लिए (सेकंडरी ग्रूप) तथा 16-18 वर्ष (व्यावसाय-पूर्व ग्रूप)।

वर्ष 2016-17 के दौरान, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने गुजरात राज्य के नवसारी (17-19 सितम्बर, 2016) तथा वडोदरा (22-24 अक्तूबर 2016) में आयोजित दो मेगा एडिप वितरण शिविरों में भाग लिया। इन दोनों शिविरों का उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री थावर चंद गेहलोत इस अवसर पर उपस्थित थे। नवसारी में कुल 2579 टीएलएम किट वितरित किये गये जबकि, बडोदरा शिविर में 1561 किट वितरित किये गये।

उपरोक्त दो मेगा शिविरों के अलावा, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने सात टी.एल.एम. वितरण शिविरों का आयोजन विभिन्न राज्यों में किया गया। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के मुख्यालय में भी टी.एल.एम. किट वितरित किये गये। वर्ष 2016-17 के दौरान एडिप योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को कुल 5270 यंत्र व उपकरण वितरित किये गये। वितरित किये गये यंत्र व उपकरणों संबंधित विवरण **तालिका *16*** में दर्शाया गया है। इस योजना के अंतर्गत चालू वर्ष के दौरान कुल रु.514.25 लाख रुपये खर्च किये गये।

वर्ष	एडिप लाभान्वितों की संख्या
2015-16	1518
2016-17	5270

14.3 टी.एल.एम. किटों पर पुनर्निवेश

टी.एल.एम. किट प्राप्त किये क्लाईंटों से पुनर्निवेश लिया गया। आंकडों के विश्लेषण से यह पता चला कि 95 प्रतिशत क्लाईंट नियमित रूप से टी.एल.एम.किटों का उपयोग कर रहे हैं। अठानवे प्रतिशत अभिभावकों ने बताया कि, कौशल विकास में टी.एल.एम. किटों का उपयोग करना आसान है। लगभग 94 प्रतिशत अभिभावकों ने टी.एल.एम किट का उपयोग करने के बाद अपने बच्चों के विभिन्न कौशल में सुधार की सूचना दी।

तालिका 16: वर्ष 2016-17 के दौरान शिविरों का आयोजन तथा वितरित किये गये साधन व उपकरणों का राज्यवार विवरण

एडिप योजना के अंतर्गत टी.एल.एम. वितरण - 2016-17				
क्र.	**राज्य**	**स्थान**	**तिथियाँ**	**लाभान्वित**
1	महाराष्ट्र	परली	3-4 जून, 2016	162
2	मध्य प्रदेश	भोपाल	2 जून, 2016	219
3	मध्य प्रदेश	भोपाल	26-जुलाई, 2016	274
4	एन.आई.ई.पी.आई.डी. मुख्यालय	सिकंदराबाद	15अग्स्त, 2016	137
5	गुजरात	नवसारी	17-19 सितम्बर, 2016	2579
6	गुजरात	व़डोदरा	22 अक्तूबर, 2016	1561
7	मध्य प्रदेश	नगदा	18-20 अक्तूबर, 2016	38
8	मध्य प्रदेश	उज्जैन	7-8 अक्तूबर, 2016	71
9	महाराष्ट्र	बीड	13-15 अक्तूबर, 2016	209
10	मध्य प्रदेश	जबलपुर	5-6 फरवरी, 2017	20
			कुल	**5270**

बडोदरा के मेगा शिविर में टी.एल.एम. किटों का वितरण

अध्याय-15

प्रशासन

15.1 स्टाफ की संख्या

भारत सरकार, कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालय, कार्मिक, जन-शिकायतें और पेंशन विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या **36012/2/96 -** स्था (रेस.,) दिनांक 2.7.1997 के अनुसार संशोधित पद-आधारित रोस्टर को अपनाया गया तथा पालन किया गया। 31 मार्च, 2017 को पदों की कुल संख्या तालिका 17 तथा 18 में दर्शायी गयी है। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान तथा क्षेत्रीय केन्द्रों व एन.आई.ई.पी.आई.डी. एम.एस.ई.सी., नई दिल्ली के अधिकारी व कर्मचारियों की सूची **परिशिष्ट** - I **पृष्ठ सं. 130** पर दी गई है।

तालिका 17: एन.आई.ई.पी.आई.डी. सिकंदराबाद एवं क्षेत्रीय केन्द्र

क्र.	वर्ग	मंजूर की गई संख्या	भर्ती की गई कुल संख्या
1.	क	26	20
2.	ख	19	15
3.	ग	48	40
4.	घ	14	8
	कुल	***107***	***83***

तालिका *18:* एन.आई.ई.पी.आई.डी. एम.एस.ई.सी., नई दिल्ली व नोएडा

क्र.	वर्ग	मंजूर की गई संख्या	भर्ती की गई कुल संख्या
1.	क	01	01
2.	ख	15	12
3.	ग	08	06
4.	घ	09	05
	कुल	***33***	***24***

15.2 नियुक्तियाँ / सेवा निवृत्तियाँ

नियुक्तियाँ

1. डॉ.हेमंत सिंह केशवाल को 16.12.2016 से विशेष शिक्षा में सहायक आचार्य पद पर नियुक्त किया गया।
2. श्री रवि प्रकाश सिंह को 6.1.2017 से विशेष शिक्षा में व्याख्याता पद पर नियुक्त किया गया ।
3. श्री जी.महेश को सहायक प्रशासन अधिकारी पद पर 22.7.2016 से नियुक्त किया गया ।
4. श्रीमति अनुपमा खन्ना को वरिष्ठ आक्युपेशनल थिरेपिस्ट पद पर 15.11.2016 से नियुक्त किया गया ।
5. श्री जी.सत्यनारायण गौड को 30.1.2017 से पुनर्वास चिकित्सक पद पर नियुक्त किया गया ।
6. श्री जी.महेश्वर को 30.1.2017 से एल.डी.सी. टाईपिस्ट पद पर नियुक्त किया गया ।

सेवा निवृत्तियाँ

1. श्रीमति वी.आर.पी. शैलजा राव, व्याख्याता विशेष शिक्षा 31.7.2016 को सेवा निवृत्त हुई।
2. श्री जी.महेश, सहायक प्रशासन अधिकारी ने 4.11.2016 को त्यागपत्र दिया और उनकी पेरेन्ट विभाग को वापस लौट गये।
3. श्रीमति एन.विजयलक्ष्मी, विशेष शिक्षा शिक्षक 30.11.2016 को सेवानिवृत्त हुई।
4. श्री एम.सुरेश वर्मा, व्यावसायिक अनुदेशक 31.12.2016 को सेवनिवृत्त हुए।
5. श्री एस.शंकर, एल.डी.सी.टाईपिस्ट 31.1.2017 को सेवानिवृत्त हुए
6. श्री ए.यादगिरि, अटेन्डर 31.10.2016 को सेवानिवृत्त हुए।

मृत्यु

7. श्री यु.विनोद कुमार, एटेन्डर का 2.11.2016 को बिमारी के कारण मृत्यु हुई।

15.3 सतर्कता एकक के क्रियाकलाप एवं उपलब्धियाँ

भारत सरकार के निर्देश के अनुसार विभिन्न सतर्कता प्राधिकारियों को सतर्कता की त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक विवरणियाँ भेजी गई।

वर्ष 2016-17 के दौरान 31.10.2016 से 5.11.2016 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। मुख्य स्थानों पर भ्रष्टाचार विरोधी संदेश / पोस्टर्स लगाये गये और 31.10.2016 को प्रतिज्ञा ली गई। नारे लेखन, निबंध लेखन, अंग्रेजी, हिन्दी में संदेशों सहित पोस्टर तैयार करना, वक्तृता. स्किट जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

15.4 हिन्दी कार्यान्वयन

संस्थान, राजभाषा अधिनियम, नीति व नियमों का अनुपालन अपने मुख्यालय तथा दिल्ली, मुम्बई व कोलकाता में स्थित क्षेत्रीय केन्द्रों में एवं एन.आई.ई.पी.आई.डी. मॉडल माडल स्पेशल एजुकेशन सेंटर, नई दिल्ली में क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हिन्दी को राजभाषा के रूप में प्रचार प्रसार करने के लिए तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्देशित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संस्थान ने विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनों के द्वारा हर संभव प्रयास किया।

1. नियमों का अनुपालन

वार्षिक कार्यक्रम 2016-17 पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में चर्चा की गई और सभी विभागों को परिचालित किया गया। वार्षिक कार्यक्रम में दिये गये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया गया। हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया गया और राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अधीन आने वाले कागजात, अर्थात्, सामान्य आदेश, ज्ञापन आदि द्विभाषी में जारी किये गये। जहाँ तक संभव हो, क तथा ख क्षेत्र को भेजे जाने वाले पत्र तथा ग क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्र द्विभाषी में भेजे गयें।

2. हिन्दी कार्यशालाएँ

संस्थान के अधिकारी व कर्मचारियों को राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 के बारे में अवगत कराने हेतु अवैधिक कार्यशालाएँ 28.6.2016, 22.12.2016, एवं 31.3.2017 को आयोजित की गई। संस्थान के अधिकारियों व कर्मचारियों ने इन कार्य़शालाओं से लाभ उठाया।

3. राजभाषा कार्यान्वयन समिति

संस्थान के राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष संस्थान के निदेशक हैं तथा उपनिदेशक (प्र) हिन्दी कार्यान्वयन अधिकारी हैं। सभी विभागों व अनुभागों के प्रतिनिधि, हिन्दी कर्मचारी इस समिति के सदस्य हैं। समिति की बैठकें हर तिमाही में आयोजित की जाती हैं जिसमें राजभाषा क्रियान्वयन संबंधी विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाती है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें 18.7.2016, 27.12.2016 तथा 30.3.2017 को आयोजित की गई।

4. प्रशिक्षण

भारत सरकार के आदेशानुसार, संस्थान के कर्मचारियों को हिन्दी भाषा, टंकण तथा आशुलिपि में प्रशिक्षण हेतु केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान को भेजा जाता है।

5. हिन्दी पखवाड़ा समारोह

हिन्दी के प्रचार प्रसार हेतु तथा कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, हिन्दी पखवाडे का 14-28 सितम्बर, 2016 को आयोजन किया गया। इस पखवाडे के दौरान कर्मचारियों को राजभाषा नियमों के बारे में बताया गया। हिन्दी के प्रति रुचि बढ़ाने तथा भाषा की सरलता को समझने के लिए संस्थान के अधिकारियों को निम्नलिखित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया- क) हिन्दी मुहावरें, ख) पारिभाषिक शब्दावली और वाक्य का अनुवाद ग) नोटिंग तथा ड्राफ्टिंग घ) हिन्दी टंकण, च) प्रश्नमंच।

प्रतियोगिताओं के विजेताओं को 28.9.2016 को आयोजित हिन्दी पखवाडा समापन समारोह के दौरान पुरस्कार वितरित किये गये।

6. आवधिक रिपोर्ट

संस्थान ने तिमाही तथा वार्षिक रिपोर्टों को निर्धारित प्रोफार्मा में समय पर मंत्रालय को भेजा। इसके अतिरिक्त, नागरिक चार्टर द्विभाषी में तैयार किया गया जबकि, " प्रतिदिन एक हिन्दी शब्द सीखें" योजना जारी रही।

15.5 परिषद् की बैठकें

वर्ष 2015-16 में आयोजित परिषद् की बैठकें तालिका 19 में दर्शायी गयी। प्रत्येक परिषद् के लिए नामित अभ्यर्थियों के नाम परिशिष्ट ए व बी पर दिये गये हैं। (**पृष्ठ सं. *97-99***)

तालिका 19: वर्ष के दौरान आयोजित परिषद् की बैठकों का विवरण

क्र.	बैठकें	संख्या	दिनांक	स्थान
1	महापरिषद्	37	02.06.2016	नई दिल्ली
2	कार्यकारिणी परिषद्	108	02.06.2016	नई दिल्ली
3	कार्यकारिणी परिषद्	109	19.12.2016	नई दिल्ली
4.	कार्यकारिणी परिषद्	110	20.01.2017	नई दिल्ली

15.6 सूचना का अधिकार अधिनियम – *2005*

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान वर्ष 2005 से ही सूचना का अधिकार अधिनियम को क्रियान्वित कर रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) (बी) के अनुसार आर.टी.आई. अधिनियम में दिये गये प्रावधान अनुसार संस्थान संबंधी सूचना वेबसाइट पर अपलोड की गई। संस्थान में वर्ग क स्तर पर जनसूचना अधिकारी कार्यरत् है और वर्ग ख स्तर पर सहायक जनसूचना अधिकारी कार्यरत् हैं और वर्ग "क" स्तर पर अपीलेट अथारिटी नियमित हैं। इन अधिकारियों के अलावा, क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली, कोलकाता, तथा नवी मुम्बई के प्रभारी अधिकारी सहायक जनसूचना अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं जबकि एन.आई.ई.पी.आई.डी.. एम.एस.ई.सी. के प्रधानाचार्या सहायक जनसूचना अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। वर्ष 2015- 16 के दौरान आर.टी.आई. के अंतर्गत 54 आवेदन पत्र प्राप्त हुए और इनमें से 40 निपटाये गये।

15.7 संपदा की गतिविधियाँ

तालिका 20*:* एन.आई.ई.पी.आई.डी. के निर्माण कार्य - *2016-17*

क्र.	कार्य / स्थान का नाम	अनुमानित लागत	सी.पी.डबल्यु.डी. को भुगतान किया गया अग्रिम	वर्तमान स्थिति
1	एन.आई.ई.पी.आई.डी. मुख्यालय में लडके वलडकियों के लिए एस.सी. / एस.टी. हास्टल भवन का निर्माण	रु. 398.65 लाख	रु. 133 लाख	निचले तल का स्लैब कार्य प्रगति पर है।
2.	एन.आई.ई.पी.आई.डी., नवी मुम्बई में क्षेत्रीय केन्द्र का निर्माण	रु. 1466.80 लाख	रु. 489 लाख	प्लिन्थ बीम कान्क्रीट कार्य पूरा हो गया है और कालम इन्फोर्समेंट कार्य प्रगति पर है।
3	एन.आई.ई.पी.आई.डी. - सी.आर.सी. के लिए प्रशासन भवन का वेंकटाचलम मंडल, नेल्लूर जिला (आँ.प्र) में निर्माण	रु. 1717.03 लाख	रु. 572.34 लाख	निचले तल का स्लैब कार्य प्रगति पर है।

क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई में भवन का निर्माण

अ.जा./अज.जा. हॉस्टल का मुख्यालय, सिकन्दराबाद में निर्माण

15.8 संस्थान की समितियाँ

अपने क्रियाकलापों के संपादन के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के उपनियम में निम्नलिखित समितियों को निर्धारित किया है:

* महापरिषद् ***(परिशिष्ट ए, पृष्ठ सं 97)***
* कार्यकारिणी परिषद् ***(परिशिष्ट बी, पृष्ठ सं 99)***
* शैक्षणिक समिति ***(परिशिष्ट एच, पृष्ठ सं 129)***
* एथिक्स समिति
* आंतरिक समिति
  - क्रय समिति
  - प्रशासनिक समन्वयन समिति
  - संवर्ग पुर्नविक्षण समिति
  - खान-पान प्रबंधन समिति
  - अध्ययनार्थ छुट्टी देने के लिए समिति
  - पाठ्यक्रम समन्वयक समिति
  - संपदा समिति
  - संकाय समन्वयन समिति
  - सामान्य सेवाएँ समिति
  - स्वास्थ्य समिति
  - आंतरिक शिकायत समिति
  - आई.टी.समिति
  - प्रंबधन पुनरीक्षण समिति
  - स्टाफ क्वार्टर्स समिति
  - विद्यार्थी समिति
  - निविदा खोलने की समिति
  - एन्टी रैगिंग समिति
  - परीक्षा समिति

अध्याय-16

लेखें तथा वित्त

वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 की तुलना में वर्ष 2016-17 के लिए संस्थान की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है-

तालिका *21*: संस्थान की वित्तीय स्थिति (रूपये लाखों में)

	विवरण	विवरण	*2014-15 (रु.लाखों में)*	*2015-16 (रु.लाखों में)*	*2016-17 (रु.लाखों में)*
1.	आदि शेष	(क) योजना निधि	248.62	199.12	155.66
		(ख) पूर्वोत्तरी क्रियाकलाप	125.65	71.01	30.03
		(ग) एडिप क्रियाकलाप	45.68	2.00	1.34
		(घ) पेंशन खाता	268.56	291.98	410.63
		(च) अन्य	288.56	437.55	371.66
		(क+ख+ग+घ+च)	***977.07***	***1,001.66***	***969.32***
2.	मंत्रालय से अनुदानकुल	(क) योजना	840.00	1531.00	1115.00
		(ख) योजनेतर	590.00	630.00	778.50
		(ग) पूर्वोत्तरी क्रियाकलाप	0.00	120.00	145.00
		(घ) एडिप	40.15	162.50	518.56
		कुल(क+ख+ग+घ)	***1470.15***	***2,443.50***	***2,557.06***
3.	अन्य स्रोतों से प्राप्तियाँ- अन्य ऋण एवं अग्रिम		245.56	446.97	565.98
4.	अर्जित ब्याज		92.13	46.49	69.98
5.	आंतरिक प्राप्तियाँ		117.43	114.84	129.72
6.	खर्च	सकल योग ***(1+2+3+4+5)***	***3,103.75***	***4,906.40***	***4,292.06***
		(क) योजना	946.46	1,574.45	1,110.17
		(ख) पूर्वोत्तरी क्रियाकलाप	54.64	160.98	118.40
		(ग) योजनेतर	508.03	512.49	674.97
		(घ) एडिप क्रियाकलाप	86.59	169.51	514.25
		(च) पेंशन भुगतान	162.15	188.12	300.98
		(छ) अन्य	344.22	1,331.53	489.39
		कुल(क+ख+ग+घ+च+छ)	***2,102.09***	***3,937.08***	***3,208.16***
7.	उपलब्ध शेष राशि	(क) योजना निधि	199.12	155.66	160.48
		(ख) पूर्वोत्तरी क्रियाकलाप	71.01	30.03	56.63
		(ग) एडिप क्रियाकलाप	2.00	1.34	6.75
		(घ) पेंशन खाता	291.98	410.63	397.98
		(च) अन्य	437.55	371.66	462.06
		कुल(क+ख+ग+घ+च)	***1,001.66***	***969.32***	***1,083.90***

वर्ष 2016-17 के दौरान, संस्थान को रु. 4,202.06 लाख रुपये, आदि शेष सहित, प्राप्तियों के रूप में प्राप्त हुए जिनका सार्वजनिक बैंकों में संस्थान के बचत खातों में जमा करवाया गया।

रु. 4,202.06 लाख रूपयों में से 3,208.16 लाख रुपयों को योजना, गैर योजना तथा अन्य गतिविधियों के उद्देश्यों के अनुसार योजनाबद्ध कार्यक्रमों के लिए वर्ष 2016-17 के दौरान खर्च किया गया और शेष राशि रु.1,083.90 लाख रुपये रही।

संस्थान से संबंधित एवं समग्र क्षेत्रीय केन्द्र, नेल्लूर व देनवगिरी से संबंधित 31.3.2017 तक का तुलन पत्र, 2016-17 वर्ष के लिए आय तथा व्यय खाता, फार्मैट के अनुसार 1-25 अनुसूचियाँ, वर्ष 2016-17 का प्राप्तियाँ तथा भुगतान खाता लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र सहित संलग्न है। (परिशिष्ट - डी, पृष्ट सं.101)

एन.आई.पी.आई.डी. मुख्यालय में गंणतत्र दिवस समारोह

अध्याय-17

मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य, सभी स्तरों पर सामर्थ्य विकास तथा क्षमता निर्माण हासिल करने की ओर लक्षित है। अपने मुख्य उद्देश्य के रूप में, अपने मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों द्वारा लोगों में सामर्थ्य विकास तथा जनशक्ति के सृजन के लिए निरंतर प्रक्रिया पर कार्यरत् है । समाज के और वैयक्तिक हितार्थ ज्ञान, कुशलताएँ, अभिवृत्ति तथा क्षमताओं की निरंतर वृध्दि के लिए, अवसरों का समर्थन करने एवं उन्हें बनाए रखने की दृष्टि से संस्थान की नीति एवं कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई।

मानव संसाधन विकास के अंतर्गत मुख्य गतिविधियाँ दीर्घावधि पाठयक्रम, अल्पावधि पाठयक्रम, प्रशिक्षण कार्यशालाओं तथा व्यावसायिक संस्कृतिग्रहण के लिए निरंतर शिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना है। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान बौद्धिक अक्षमता के क्षेत्र में जागरूकता निर्माण तथा गहरे सोच विचार करने के लिए संबंधित मुख्य विषयों पर व्यावसायिकों,अभिभावकों तथा बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

मानव संसाधन विकास का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र, बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान करना एवं जनशक्ति का विकास करना है। यह अनुमान लगाया गया है कि, एक शिक्षक (विशेष शिक्षक) अल्प बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रस्त लगभग 10 बच्चों को प्रभावशाली ढंग से संभाल सकता है। बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रस्त 70% से अधिक बच्चे इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार 1,00,000 क्लासरूम शिक्षकों की जरूरत होगी। चूँकि, बौद्धिक अक्षम से ग्रस्त बच्चों के प्रबंधन के लिए एक बहुविषयक टीम की आवश्यकता होती है, इसके अलावा अन्य व्यावसायिकों की भी आवश्यकता होती है। हमारे देश में 7000 से भी कम प्रशिक्षित शिक्षक हैं और यही स्थिति अन्य पुनर्वास व्यावसायिकों की भी है। इस अन्तराल को कम करने लिए, इस क्षेत्र में मानव संसाधन विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है।

17.1 दीर्घकालीन पाठयक्रम

मानव संसाधन विकास की प्रोन्नति के लिए, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने अपने मुख्यालय तथा क्षेत्रीय केन्द्रों में वर्ष 2016-17 के दौरान भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा अनुमोदित 7 दीर्घावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों (3 डिप्लोमा पाठ्यक्रम, 1 स्नातक पाठ्यक्रम और 3 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जिसमें एक एम.फिल. कार्यक्रम सम्मिलित है) का संचालन करता है। इस क्षेत्र में पाई गई जरूरतों के अनुसार इन पाठ्यक्रमों की पहचान की गई और उन्हें विकसित किया गया। संस्थान के मुख्यालय में दो पाठ्यक्रम, अर्थात्, एम.एड., विशेष शिक्षा (एम.आर.) तथा पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा इन अर्ली इंटरवेंशन इस वर्ष नहीं चला सके क्योंकि इन पाठ्यक्रमों में प्रवेशार्थी 25% से कम थे। क्षेत्रीय केन्द्र, नोएडा में बी.एड. स्पेशल एजुकेशन (एम.आर.) का संचालन वर्ष 2016-17 में रुक गया क्योंकि गुरुगोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से इस वर्ष विश्वविद्यालय की संबद्धिता प्राप्त नहीं हुई। इसी प्रकार, क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई में कम प्रवेशार्थी रहने के कारण डिप्लोमा इन वोकेशनल रीहैबिलिटेशन पाठ्यक्रम नहीं चलाया गया। वर्ष 2016-17 के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों के 351 सीटों के लिए 166 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। पाठ्यक्रम-वार दाखिलों का विवरण तालिका 22 में दिया गया है।

वर्ष	पाठयक्रम	अंतर्ग्रहण क्षमता	दाखिले
2015-16	7	331	234(70.6%)
2016-17	7	351	166(47.3%)

तालिका 22 :दीर्घकालीन पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या -2016-17

क्र.	पाठ्यक्रम	केन्द्र	अवधि (वर्ष)	विश्वविद्यालय संबद्धिता	2016-17	
					प्रवेश क्षमता	दाखिले
1	एम.फिल., रिहैबिलिटेशन साईकोलोजी	**एन.आई.ई.पी.आई.डी. मुख्यालय**	2	**उस्मानिया विश्वविद्यालय**	14	14 (100.0%)
2	एम.एड., स्पेशल एजुकेशन (मेंटल रिटार्डेशन)	**एन.आई.ई.पी.आई.डी. मुख्यालय**	2	**उस्मानिया विश्वविद्यालय**	25	--
3	पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा इन अर्ली इन्टरवेंशन	**एन.आई.ई.पी.आई.डी. मुख्यालय**	1	**उस्मानिया विश्वविद्यालय**	20	--
4	बी.एड., स्पेशल एजुकेशन (मेंटल रिटार्डेशन)	**एन.आई.ई.पी.आई.डी. मुख्यालय**	2	**उस्मानिया विश्वविद्यालय**	25	20 (80.0%)
		क्षे.के.-नवी मुम्बई		**मुम्बई विश्वविद्यालय**	25	7 (28.0%)
		क्षे.के.- कोलकाता		**प.बंगाल राज्य विश्वविद्यालय**	25	18 (60.0%)
		क्षे.के.-नोएडा		**गुरुगोबिन्द इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय**	--	समाप्त कर दिया गया
5	डिप्लोमा इन अर्ली चाईल्डहुड स्पेशल एजुकेशन (मेंटल रिटार्डेशन)	**एन.आई.ई.पी.आई.डी. मुख्यालय**	1	**एन.आई.ई.पी.आई.डी.**	25	14 (56.0%)
		क्षे.के.-नवी मुम्बई			25	7 (28.0%)
6	डी.एड., स्पेशल एजुकेशन (मेंटल रिटार्डेशन)	**एन.आई.ई.पी.आई.डी. मुख्यालय**	2	**एन.आई.ई.पी.आई.डी.**	25	20 (80.0%)
					30	30 (100.0%)
		क्षे.के.-नवी मुम्बई			31	23 (74.1%)
		क्षे.के.- कोलकाता				
7	डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन (मेंटल रिटार्डेशन)	**एन.आई.ई.पी.आई.डी. मुख्यालय**	1	**एन.आई.ई.पी.आई.डी.**	25	7 (28.0%)
		क्षे.के.-नवी मुम्बई			25	--
		क्षे.के.- कोलकाता			31	6 (19.4%)
	कुल				**351**	***166(47.3%)***

नोट: एन.आई.ई.पी.आई.डी. मुख्यालय में दो पी.जी.पाठ्यक्रम एवं क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई में एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम का संचालन इस वर्ष नहीं किया गया चूँकि इन पाठ्यक्रमों में प्रवेशार्थी 25 प्रतिशत से कम थे और क्षेत्रीय केन्द्र, नोएडा में बी.एड. विशेष शिक्षा का संचालन रुक गया चूँकि विश्वविद्यालय से संबद्धिता प्राप्त नहीं हुई।

17.2 शैक्षणिक कार्यक्रमों का विवरण

17.2.1 एम.फिल -पुनर्वास मनोविज्ञान

यह दो वर्ष का आवासीय पाठ्यक्रम उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद से संबध्द है। इस पाठयक्रम की अभिकल्पना उच्च संवर्ग के पुनर्वास मनोवैज्ञानिकों को तैयार करना है जो मानसिक मंदन से ग्रस्त व्यक्तियों एवं अन्य विकलांगों को विस्तृत सेवाएँ प्रदान करने के लिए मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने की योग्यता रखेंगे एवं मनोवैज्ञानिक पहलुओं में अनुसंधान करेंगे। पाठयक्रम में न्यूरोबायोलजी, मनोविज्ञान, विशेष शिक्षा, वाणी-भाषा चिकित्सा विज्ञान, भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा, समुदाय आधारित पुनर्वास जैसे विषयों का समावेश है।

17.2.2 एम.एड. - विशेष शिक्षा (एम.आर.)

एक वर्ष की अवधि का एम.एड. विशेष शिक्षा (एम.आर.) पाठ्यक्रम का लक्ष्य विशेष शिक्षा में संकाय स्तर पर व्यावसायिकों को तैयार करना है।

17.2.3 प्रारंभिक अंतराक्षेपण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

विकासात्मक विलंबों से ग्रस्त बच्चों को यदि आरंभ में ही परख लिया जाए और उन्हें आरंभिक आयु में ही व्यावसायिक सेवाएँ प्रदान कर दी जाएँ तो उनमें उल्लेखनीय सुधार होगा। इन सेवाओं की प्रकृति अंतर्विषयक और अधिगम में होलिस्टिक होती है जो बच्चों को विकास, शारीरिक चिकित्सा विज्ञान, व्यावसायिक चिकित्सा, वाक् चिकित्सा विज्ञान, तथा परिवार अंतराक्षेपण को आवरित करती है। यह पाठ्यक्रम उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद से संबध्द है।

17.2.4 विशेष शिक्षा में बी.एड. (एम.आर.)

विभिन्न स्तरों पर विशेष अध्यापकों की आवश्यकता के मद्देनजर राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान विशेष शिक्षा में बी.एड. (एम.आर.) पाठ्यक्रम को उस्मानिया विश्वविद्यालय संबद्ध अपने मुख्यालय में तथा पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालय के संबंधन में कोलकता स्थित क्षेत्रीय केन्द्र में, मुम्बई विश्वविद्यालय से संबद्ध, नवी मुम्बई क्षेत्रीय केन्द्र में तथा गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के संबंधन से नई दिल्ली के क्षेत्रीय केन्द्र में एक वर्षीय विशेष शिक्षा में बी.एड. (एम.आर.) कोर्स का संचालन करता है।

17.2.5 प्रारंभिक बाल्यावस्था विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (एम.आर.)

प्रारंभिक बाल्यकाल विशेष शिक्षा (ई.सी.एस.ई) 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर ध्यान देता है और लक्ष्य वर्ग की योग्यता के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये विविध तरीकों और अभिगमों का उपयोग करता है। यह मानव संसाधन के प्रशिक्षण की माँग करता है जो घर आने वाला निरीक्षक या भ्रमणकारी शिक्षक होता है या जो नियमित विशेष प्री-स्कूलों में अक्षमताओं से ग्रस्त बच्चे को संभालने परिवारों के पास स्वयं जाता है। प्रारंभिक बाल्यकाल विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम में डिप्लोमा राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद, क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई में संचालन किया जा रहा है।

17.2.6 डी.एड. विशेष शिक्षा (एम.आर.)

यह दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, बौद्धिक अक्षमता तथा अन्य सह अक्षमताओं से ग्रस्त बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों को तैयार करने की ओर लक्षित है। परीक्षाओं के संचालन का कार्य, भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा नामित, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान को सौंपा गया है।

17.2.7 व्यावसायिक पुनर्वास में डिप्लोमा (एम.आर.)

यह एक वर्षीय कार्यक्रम बौद्धिक अक्षमता के क्षेत्र में व्यावसायिक अनुदेशकों को तैयार करता है और राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद तथा क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता तथा नवी मुम्बई में चलाया जाता है।

17.3 प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम

इस क्षेत्र से प्राप्त पुनर्निवेशन यह दर्शाता है कि, बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त बच्चों के पुनर्वास में कार्यरत् विशेष शिक्षक व संबंधित व्यावसायिकों को मूल्यांकन, चिकित्सा व नौकरी विस्थापन पर गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वर्ष 2016-17 के दौरान एक महीने की अवधि के 4 ऐसे कार्यक्रमों का संचालन किया गया जिससे 112 व्यावसायिक लाभान्वित हुए, विवरण **तालिका *23*** में प्रस्तुत है।

तालिका *23*: वर्ष *2016-17* के दौरान संचालित प्रमाण पत्र पाठयक्रम

क्र.सं	कार्यक्रम का नाम	आयोजक	दिन	अवधि	व्यावसायिक
1.	एसएसए शिक्षकों के लिए थिरैप्युटिक्स् पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकन्दराबाद	25	01.11.16 से 26.11.16 तक	42
2.	केयर असोसियेट प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम प्राईमरी	राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकन्दराबाद	90	9.11.16 से 9.2.17 तक	22
3.	मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकन्दराबाद	26	6.12.16 से 30.12.16 तक	18
4.	केयर असोसियेट प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रमाण पत्र पाठ्यकण- प्राईमरी	क्षेत्रीय केन्द्र, नोएडा	90	28.11.16 से 28.02.17 तक	30
	कुल				**112**

17.4 अल्पकालीन पाठ्यक्रम

बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त लोगों को उनके प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पुनर्वास क्षेत्र में काम करने वाले व्यावसायिकों और कार्मिकों को सेवा के दौरान प्रशिक्षण हेतु लघु- अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अभिकल्पना आवश्यक रूप से की जाती है। संस्थान ने वर्ष 2016-17 के दौरान वर्ष भर में 2321 लाभार्थियों को आवरित करते हुए 68 अल्पकालीन कार्यक्रमों का आयोजन किया। कार्यक्रम और लाभदायकों का अनुपात निम्नानुसार है।

वर्ष	कार्यक्रम	लक्ष्य	लाभान्वित(बी)	पी./बी. अनुपात
2015-16	62	1329	1806	1:29
2016-17	68	1595	2321	1:34

भारतीय पुनर्वास परिषद के पंजीकृत व्यावसायिकों के लिए एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिए संचालित किये गये सारे लघु अवधि कार्यक्रम भारतीय पुनर्वास परिषद् (आर.सी.आई) के निरंतर पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम (सी.आर.ई.) के समस्तरीय होते हैं। लघु-अवधि पाठ्यक्रमों के ब्यौरा **परिशिष्ट-ई** में दिये गये हैं. **(पृष्ठ सं.118)**

अध्याय-18
राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं अन्य क्रियाकलाप

18.1 XXIV राष्ट्रीय अभिभावक बैठक

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों को एक आम मंच पर लाने की सुविधा प्रदान की, ताकि, वे अपने बच्चों की समस्याओं पर चर्चा कर सकें। आखिरकार यह एक पंजीकृत अभिभावक संगठन के रूप में बना। एक पारदर्शी और समुचित फोरम बनाने के लिए एन.आई.ई.पी.एम.डी. ने वर्ष 1990 में अभिभावाकों का पहला राष्ट्र स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है, बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों को साधिकार बनने में अभिभावकों के बीच एक बेहतर कडी बनाने और बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने का अवसर मिलें। अभी तक एन.आई.ई.पी.आई.डी.ने परिवार नामक राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ पेरेन्ट्स एसोसियेशन के सहयोग से देश के विभिन्न भागों में 24 राष्ट्रीय अभिभावक बैठकों का आयोजन किया। इन बैठकों के आयोजन अनोखे होते हैं क्योंकि, अभिभावक और व्यावसायिक साईन्टिफिक पेपर प्रस्तुत करते हैं। जिन पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाती है। अक्सर इस बैठक के दौरान आगे के विकास के बारे में रोड मैप तैयार किया जाता है।

24 वीं राष्ट्रीय अभिभावक बैठक का आयोजन 12-13 नवम्बर, 2016 को परिवार नेशनल कॉनफेडरेशन ऑफ पेरंटस् ऑर्गनाईजेशन के सहयोग से जालंधर, पंजाब में आयोजन किया गया। देश भर के विभिन्न अभिभावक संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हुए 240 अभिभावक एवं व्यावसायिकों ने इस बैठक में भाग लिया।

18.1.1 क्षेत्रीय अभिभावक बैठक 2016-17

राष्ट्रीय अभिभावक बैठक के साथ-साथ संस्थान ने क्षेत्रीय स्तर पर अभिभावकों की चिंता वाले विषयों पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय स्तर पर अभिभावक बैठकों का आयोजन भी किया। क्षेत्रीय अभिभावक बैठकें भी राष्ट्रीय फेडरेशन आफ पेरेन्ट्स एसोशियेशन से संपर्क बनाकर तथा चयनित क्षेत्र के किसी एक पंजीकृत अभिभावक संगठन के सहयोग से आयोजित किये जाते है। यह आशा की जाती है कि क्षेत्रीय अभिभावक बैठकों द्वारा और अधिक स्व सहायक समूह बनाने के लिए अभिभावक संगठनों के विस्तार करने में और बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों के क्षेत्रीय समस्याओं को सुलझाने में सहायक होंगें।

वर्ष 2016-17 में 05 क्षेत्रीय अभिभावक बैठकें आयोजित की गई और एक एनपीएम का आयोजन किया गया जिससे 1124 अभिभावक लाभान्वित हुए। विवरण **तालिका 24** में दर्शाया गया है।

तालिका 24: 2016-17 में क्षेत्रीय अभिभावक बैठक / राष्ट्रीय अभिभावक बैठक

क्र.	स्थान	तिथियाँ	लाभान्वित
क्षे.अ.बै.			
1	भंडारा, महाराष्ट्र	7-8 जनवरी, 2017	201
2	सवाई माधोपुर, राजस्थान	11-12 फरवरी, 2017	220
3	कलहंडी, उडीसा	6-7 मार्च, 2017	150
4	नहरलगुन, ईटानगर	10-11 मार्च, 2017	136
5	आईजोल, मिजोरम	24-25 मार्च, 2017	177
रा.अ.बै.			
6	जालंधर, पंजाब	12-13 नवम्बर, 2016	240
		कुल	**1124**

18.2 बौद्धिक एवं विकासात्मक अक्षमताओं पर राष्ट्रीय कार्यशाला

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने सक्षम (दिव्यांगजन के विकास के लिए कार्यरत् राष्ट्रीय स्तर संस्थान), आदिगुरु शिशु पुनर्वास केन्द्र, जबलपुर एवं वंदन पुनर्वास अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के सहयोग से बौद्धिक एवं विकासात्मक अक्षमताओं पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। बौद्धिक एवं विकासात्मक अक्षमताओं के क्षेत्र में अच्छे से अच्छे प्रथाओं एवं नई पद्धतियों के बारे में जानने के लिए विभिन्न स्टेक होल्डरों (अभिभावकों व व्यावसायिकों) को एक अवसर प्रदान करने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। देश भर से आये हुए 500 सहभागी (अभिभावक एवं व्यावसायिकों) ने इस कार्यशाला में भाग लिया। श्री कमलेश कुमार पाण्डेय, दिव्यांगजन के मुख्य आयुक्त ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन 4 फरवरी 2017 को किया। श्री बी.वी.राम कुमार, उप निदेशक (प्र.) राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के विषय थे - बौद्धिक अक्षमता का विहंगावलोकन, माता-पिताओं का परिप्रेक्ष्य, एडीएचडी तथा उसका प्रबंधन, मस्तिष्क पक्षाघात तथा उसका प्रबंधन, दिव्यांगजनों के अधिकार, राष्ट्रीय न्यास योजनाएँ, अधिगम अक्षमताएँ तथा इसके लक्षण एवं विशेष शिक्षा की भूमिका।

5 फरवरी, 2017 के चर्चित विषय थे - बौद्धिक अक्षमता पर विभिन्न व्यवसायिकों के परिप्रेक्ष्य, प्रारंभिक पहचान तथा प्रारंभिक अंतराक्षेपण, आटीज्म स्पेक्ट्रम अव्यवस्था एवं इसका प्रबंधन, रोजगार तथा व्यावसायिक पुनर्वास। प्रत्येक पेपर प्रस्तुती के पश्चात् इंटरैक्टिव सत्र रहा। इस दो दिवसीय कार्यशाला के दौरान, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान की डॉ.बीनापानी महापात्र, व्याख्याता, पुनर्वास मनोविज्ञान ने ए.डी.एच.डी. एवं ऑटीज्म के बच्चों का व्यवहारात्मक प्रबंधन पर पेपर प्रस्तुत किया। डॉ.मौसमी भौमिक, प्रभारी अधिकारी, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई ने ए.एस.डी. बच्चों का प्रशिक्षण और अधिगम विकलांग बच्चों के लिए अंतराक्षेपण विकसित करने में विशेष शिक्षा की भूमिका पर पेपर प्रस्तुत किया, डॉ.राजेश्वरी, गेस्ट फैकल्टी, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, मुख्यालय, सिकंदराबाद ने सी.पी. एवं ए.एस.डी. बच्चों के लिए प्रारंभिक पहचान तथा प्रारंभिक अंतराक्षेपण पर पेपर प्रस्तुत किया।

इस कार्यशाला के समापन समारोह में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के माननीय केन्द्र मंत्री, श्री थावर चंद गेहलोत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कार्यक्रम में श्री अवनीश के.अवस्थी, संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं एलिम्को के सी.एम.डी. के साथ साथ श्री बी.वी.राम कुमार, उप निदेशक (प्र.), राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान माननीय मंत्री महोदय द्वारा बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए 20 टी.एल.एम. किट वितरित किये गये।

18.3 डिमेन्शिया के मूल्यांकन पर कार्यशाला

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने 18 नवम्बर, 2016 को डाउन्स् सिन्ड्रोम वाले वयस्कों में डिमेन्शिया का मूल्यांकन पर कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के संसाधन व्यक्ति डॉ.डी.के.मेनन, कंसल्टेन्ट क्लिनिकल साईकोलोजिस्ट एवं एन.आई.ई.पी.आई.डी. के संस्थापक निदेशक थे। इस कार्यशाला में चर्चा किये गये विषय थे - डिमेन्शिया का परिचय, डिमेन्शिया के लक्षण एवं प्रबंध, डाउन्स् सिन्ड्रोम में डिमेन्शिया का प्रचलन, इसका व्यवहारात्मक प्रकटीकरण तथा डिमेन्शिया से ग्रस्त डाउन्स् सिन्ड्रोम वाले वयस्कों के जीवन की गुणता बढाने के कौशल।

अधिगम विकलांग वाले व्यक्तियों में डिमेन्शिया का निदान स्क्रीनिंग इन्स्ट्रुमेंट के प्रयोग के द्वारा क्लिनिकल केस का प्रदर्शन किया गया। केस प्रदर्शन के बाद एक इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में दीर्घावधि पाठ्यक्रम के 53 छात्र उपस्थित थे।

18.4 स्वतंत्र जीवन यापन पर कार्यशाला

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के प्रौढ़ स्वतंत्र जीवन यापन विभाग ने 23-24 मार्च, 2017 को बौद्धिक दिव्यांगजन के स्वतंत्र जीवनयापन पर कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 53 व्यावसायिकों व अभिभावकों ने भाग लिया।

18.5 बौद्धिक दिव्यांगता पर राष्ट्रीय सम्मेलन

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने 29 मार्च, 2017 को आर.एम.एल. अस्पताल, नई दिल्ली में " बौद्धिक दिव्यांगता की चुनौतियाँ एवं अवरोध" शीर्षक बौद्धिक अक्षमता पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस सम्मेलन में 210 पुनर्वास व्यावसायिक एवं छात्रों ने भाग लिया एवं पेपर प्रस्तुत किया। सहभागियों में मेडिकल व्यावसायिक, पुनर्वास व्यावसायिक, क्लिनिकल साईकोलोजिस्ट, विशेष शिक्षक, वाक्-भाषा चिकित्सक एवं छात्र था।

इस सम्मेलन का उद्घाटन माननीय मुख्य अतिथि श्री अवनीश कुमार अवस्थी, आईएएस., संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया और डॉ.वी.के.त्रिपाठी, अतिरिक्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, डॉ.आर.एम.एल. अस्पताल, नई दिल्ली कार्यक्रम के माननीय अतिथि थे । सम्मेलन के विशेष आमंत्रितगणों में डॉ.स्मिता एन.देशपाण्डेय, विभागध्यक्ष, साईकियाट्री एवं डी-एडिक्शन विभाग, डॉ.आर.एम.एल. अस्पताल, नई दिल्ली एवं डॉ.एस.पी.के.जेना, सहायक आचार्य, साईकोलोजी विभाग, दिल्ली विश्विविद्यालय थे। इस सम्मेलन की समन्वयक डॉ.अमृता सहाय थीं।

सम्मेलन के वैज्ञानिक कार्यवाही के दौरान 15 वक्ताओं एवं 2 पेपर प्रस्तुतकर्ताओं के द्वारा 1 सिम्पोसिया, 4 रिसोर्स लेक्चर, 8 भाषण एवं 2 अनुसंधान पेपर प्रस्तुतकरण (पाँच वैज्ञानिक सत्रों में) की प्रस्तुती हुई । विशेषज्ञों के द्वारा विस्तृत चर्चाएँ हुई और विभिन्न विषयों पर उठे संदेहों के बारे में प्रतिनिधियों को स्पष्ट किया गया।

समापन सत्र के दौरान राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के महापरिषद् के सदस्य, श्री कुलदीप सिंह ने प्रेरणात्मक भाषण दिया । श्रीमति सबसी घोष, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, एन.आई.ई.पी.आई.डी. क्षेत्रीय केन्द्र, नोएडा द्वारा धन्यवाद के साथ सम्मेलन समाप्त हुआ।

18.6 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए कल्याणकारी योजनाएँ

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमोदित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं / उपायों का आरंभ किया। जिसमें सी.ए.आई. और ई-साध्य साफ्टवेयर लोड किया हुआ लैपटॉप का मुफ्त वितरण, ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति, बौद्धिक दिव्यांगजन व संरक्षकों के लिए यात्रा व दैनिक भत्ते की प्रतिपूर्ति, दवाइयों का मुफ्त वितरण, अभिभावकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम, आदि, शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजित गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है-

- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा के सेन्ट्रल सेक्टर स्कालरशिप योजना में दिये गये मानदंड के अनुसार दीर्घावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राप्त कर रहे संस्थान के विद्यार्थियों को शुल्क, रहन-सहन के खर्च की प्रतिपूर्ति, पुस्तकें व लैपटॉपों का मुफ्त वितरण
- राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में पंजीकृत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के क्लाईंटों को दवाइयों का वितरण/ दवाई खर्च की प्रतिपूर्ति
- स्पेशल स्कूल / समूह क्रियाकलाप को आने वाले बच्चों को ट्यूशन फीस, परिवहन खर्च, यूनीफार्म तथा पुस्तकों के लिए खर्च की प्रतिपूर्ति

- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यावसायिकों को कम्प्युटर सहायता अनुदेश (सी.ए.आई) पैकेज तथा ई-साध्य साफ्टवेयर में प्रशिक्षण

18.6.1 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग व्यक्तियों को लैपटॉप वितरण

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिये कल्याणकारी योजनाओं के भाग के रूप में, एन.आई.ई.पी.आई.डी. ने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग व्यक्तियों को कंप्युटर सहायक अनुदेशन (सी.ए.आई.) पैकेज एवं ई-साध्य पैकेज साफ्टवेयर इन्स्टाल किये गये लैपटॉपों का वितरण किया जिससे 75 दिव्यांग व्यक्ति लाभान्वित हुए। राज्यवार लैपटॉपों का वितरण संबंधी विवरण तालिका 25 में दर्शाया गया है।

तालिका 25 : अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के दिव्यांग व्यक्तियों को वर्ष 2016-17 के दौरान लैपटॉप वितरण संबंधी विवरण

क्र.	वितरण का स्थान	दिनांक	लाभान्वित
1	गैंगटोक, सिक्किम	30-04-2016	8
2	राजनंदगाँव, छत्तीसगढ़	05-06-2016	4
3	नवसारी, गुजरात	17-09-2016	20
4	वडोदरा, गुजरात	22-10-2016	20
5	त्रिसुर, केरल	20-02-201	22
		कुल	**74**

18.6.2 दीर्घावधि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण

दिव्याग व्यक्तियों को लैपटॉप वितरण के साथ साथ, एन.आई.ई.पी.आई.डी. ने संस्थान के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय केन्द्रों के दीर्घावधि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को लैपटॉपों का वितरण किया जिससे इस वर्ष के दौरान 39 छात्र लाभान्वित हुए।

18.7 दिव्यांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने 3.12.2016 को आम जनता के लिए "मुक्त दिवस" के रूप में घोषित कर दिव्यांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। जनता को बौद्धिक अक्षमता, विशेषकर बौद्धिक अक्षमता की रोकथाम, प्रारंभिक पहचान एवं असर के बारे में सूचना दी। इसके अलावा, एन.आई.ई.पी.आई.डी. के विभिन्न क्रियाकलापों को भेंटकर्ताओं ने प्रत्यक्ष देखा।

नियमित स्कूल के 22 छात्रों ने अपने टीचरों के साथ संस्थान का दारा किया और विभिन्न कार्यकलाप देखे और 165 अभिभावक एवं दिव्यांग व्यक्तियों के सहोदरों ने भी संस्थान का दौरा किया और विभिन्न कार्यकलाप देखे। भेंटकर्ताओं के लिए इस अवसर पर एन.आई.ई.पी.आई.डी. एवं बौद्धिक दिव्यांगता से संबंधित फिल्मे दिखायी गयी। नियमित स्कूल के विद्यार्थियों के साथ समावेश को प्रोन्नत करने के लिए युनीफाईड खेल-कूदों का आयोजन किया गया जिसमें संस्थान के एस.ई.सी. विद्यार्थियों एवं प्रौढ़ स्वजीवन यापन विभाग के प्रशिक्षकों ने भाग लिया।

18.8 एन.आई.ई.पी.आई.डी. का वार्षिक दिवस समारोह

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान एवं उनके क्षेत्रीय केन्द्रों ने 33 वाँ वार्षिक दिवस मनाया। इस अवसर पर एन.आई.ई.पी.आई.डी. सिकन्दराबाद, के विशेष शिक्षा केन्द्र, के बच्चों व उनके अभिभावकों, विभिन्न दीर्घावधि पाठ्यक्रम प्राप्त कर रहें छात्रों तथा संस्थान के कर्मचारियों ने विभिन्न सांस्कृतिक क्रियाकलाप प्रस्तुत किए।

18.9 इन्टर्नशिप

एन.आई.ई.पी.आई.डी. एवं क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा अन्य शैक्षिक संगठनों के विद्यार्थी, जो व्यावसायिक स्तर पर स्नातक एवं मास्टर्स कार्यक्रम कर रहें हैं, उन्हें विस्थापन सुविधाएँ दी जाती है। वर्ष 2016-17 के दौरान विभिन्न विभागों में विभिन्न संस्थानों के 528 विद्यार्थियों को इंटर्नशिप हेतु संस्थान के विभिन्न विभागों में विस्थापित किया गया।

18.10 पुरस्कार

डॉ.माधवी लता को बौद्धिक दिव्यांगता के प्रारंभिक अंतराक्षेपण के क्षेत्र में में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2016 के लिए डॉ.रीता पेशावरिया ओरेशन अवार्ड 19 नवम्बर, 2016 को ए.आई.ई.पी.आई.डी. सिकंदराबाद में प्रदान किया गया। डॉ.ज्ञानमुद्रा, प्रोफेसर व अध्यक्ष, सेन्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एन.आई.आर.डी. हैदराबाद इस अवसर पर मुख्य अतिथि थी।

डॉ. रीता पेशावरिया अवार्ड प्राप्त करती हुई डॉ.माधवी लता

18.11 स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ भारत अभियान जो भारत सरकार एवं माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आरंभ किया गया एक स्वच्छता अभियान है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान एवं उसके क्षेत्रीय केन्द्र दो घंटे का समय निकालकर कैम्पस की सफाई कर रहे हैं एवं सभी कर्मचारी एवं दीर्घावधि पाठ्यक्रम प्राप्त कर रहे छात्र इस स्वच्छता अभियान में सक्रिय भाग ले रहे हैं।

अध्याय-19

समग्र क्षेत्रीय केन्द्र (सी.आर.सी.) नेल्लूर

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने आँध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले में समग्र क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना आरंभ की और यह 3 जनवरी, 2016 से कार्य करना आरंभ किया। यह केन्द्र, संप्रति, आँध्र प्रदेश सरकार के नेल्लूर जिले में स्थित जुबिलि अस्पताल के परिसर में चलाया जा रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के प्रशासनाधीन इस सी.आर.सी. की स्थापना की गई। आरंभ के पहले दिन से ही इस केन्द्र में थिरेप्युटिक तथा पुनर्वास सेवाएँ दी जा रही है। मेडिकल व्यावसायिक, मनोवैज्ञानिक, विशेष शिक्षक, थैरैप्युटिक विशेषज्ञ (वाक् थिरेपी, आक्युपेशनल थिरेपी तथा फिजियोथिरेपी), अर्ली इंटरवेंशनिस्ट्स्, ओरियेंटेशन व मोबिलिटी इन्स्ट्रक्टर्स्, प्रोस्थेटिक व ऑर्थोटिक इंजिनीयर, व्यावसायिक प्रशिक्षक तथा पुनर्वास अधिकारियों का दल इस केन्द्र में दिव्यांग व्यक्तियों को सेवाएँ प्रदान करते हैं।

उद्देश्य

- समुदाय आधारित पुनर्वास एवं मौजूदा मेडिकल, शैक्षणिक व रोजगार सेवाओं के साथ संबंध स्थापित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएँ प्रदान करना
- स्वैच्छिक संगठनों, अभिभावक समूहों तथा स्वयं सहायक समूहों को समर्थन देने के द्वारा सेवाओं को वृद्धि करना
- पुनर्वास व्यावसायिकों, ग्रामीण स्तर कार्यकर्ताओं, बहु-पुनर्वास कार्यकर्ताओं व अन्य सरकारी व गैर सरकार सेक्टर के कार्यकर्ताओं को दिव्यांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के द्वारा मानव संसाधन कार्य करना
- क्षेत्र के सामाजिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुरूप पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करने के लिए कार्यनीतियाँ विकसित करना

अपने भवन का निर्माण

- आँध्र प्रदेश, नेल्लूर जिले के वेंकटाचलम में 10 एकड भूमि में सी.आर.सी. नेल्लूर के स्थायी भवन का निर्माण कार्य संप्रति प्रगति पर है।

प्रदान की जाने वाली सेवाएँ

- नैदानिक मनोविज्ञान
- विशेष शिक्षा
- चिकित्सापरक सेवाएँ
  - वाक् थिरेपी
  - आक्युपेशनल थिरेपी
  - फिजियोथिरेपी
- मेडिकल सेवाएँ (नैदानिक सहायक)
- पुनर्वास सेवाएँ
- कौशल विकास कार्यक्रम

सी.आर.सी. नेल्लूर के भवन का निर्माण

सी.आर.सी., नेल्लूर - सेवा क्रियाकलाप- 2016-17

नए केसे	स्फालोअप केसेस्	समर्थन सेवाएँ	कुल
300	1000	3000	4300

अन्य उपलब्धियाँ

- प्रारंभिक अंतराक्षेपण सेवाओं पर भोजन समय प्रबंधन कौशलों पर जोर देना, इस विषय पर तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 22-24 मार्च, 2017 को किया गया।
- वर्ष के दौरान छ: अल्पकालीन पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया जिससे 179 व्यावसायिक लाभान्वित हुए
- दिव्यांग अक्षमता पर नौ जागरूक कार्यक्रम हाई स्कूल तथा कॉलेज विद्यार्थियों के लिए आयोजन किया गया जिससे 302 व्यक्ति लाभान्वित हुए।
- सात मूल्यांकन शिविरों का आयोजित किया या और 135 दिव्यांग व्यक्तियों को पहचाना गया।
- सी.आर.सी. नेल्लूर के स्टाफ ने एन.आई.ई.पी.आई.डी. के प्रधान मंत्री मेगा एडिप शिवर, राजकोट, गुजरात में भाग लिया और आवश्यक मदद दी।

एस.एस.ए. / आई.ई.आर.टी. टीचरों के लिए आर्टिक्युलेशन अव्यवस्थाओं का मूल्यांकन व वैयक्तिक प्रबंधन पर अल्पकालीन पाठ्यक्रम के सहभागी

अध्याय-20

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (आर.पी.डबल्यु.डी. अधिनियम, 2016), युनाईटेड नेशन्स् कंवेंशन ऑन दि राईट्स् ऑफ पर्सन्स् विद दिसेबिलिटीज़ (यु.एन.सी.आर.पी.डी) के दायित्वों को पूरा करता है, जिसके भारत एक हस्तक्षरी है। दिसम्बर 2016 में इस अधिनियम को लागू किया गया। विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995 के स्थान पर इस अधिनियम को लागू किया गया है। इस अधिनियम में अंतर्निहित गरिमा का आदर, अपनी चाहत के अनुसार चुनने की स्वतंत्रता सहित व्यक्तिगत स्वायत्तता, एवं व्यक्तियों की स्वतंत्रता जैसे सिद्धांतों के क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है। गैर भेद-भाव, पूर्ण एवं प्रभवी भागीदारी एवं समाज में समावेशन, मानव विविधता और मानवता के भाग के रूप में विकलांगों की भिन्नता को सम्मान देने व स्वीकार करने, अवसर का समानता, अभिगम्यता, पुरुष एवं महिला में समानता, विकलांग बच्चों में उभरती क्षमताओं का सम्मान, एवं विकलांग बच्चों की पहचान को बरकरार रखने के लिए बच्चों के अधिकार को सम्मान पर इस अधिनियम में जोर दिया गया।

इस अधिनियम में निम्नलिखित 17 अध्याय हैं, साथ में अनुसूची भी हैं जिसमें इस अधिनियम में सम्मिलित विकलांगता के प्रकार संबंधी विवरण दिया गया है।

अध्याय 1 : प्रस्ताव - परिभाषाओं पर चर्चा
अध्याय 2 : विकलांग व्यक्तियों के अधिकार एवं हक
अध्याय 3 : विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा
अध्याय 4 : कौशल विकास एवं रोजगार
अध्याय 5 : समाज सुरक्षा, स्वस्थता, पुनर्वास एवं मनोरंजन
अध्याय 6 : बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान
अध्याय 7 : उच्च समर्थन की आवश्यकता वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान
अध्याय 8 : समुचित सरकारों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व
अध्याय 9 : विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थानों का पंजीकरण एवं ऐसी संस्थानों को अनुदान
अध्याय 10 : विशिष्ट विकलांगताओं का प्रमाणीकरण
अध्याय 11 : विकलांगता पर केन्द्र तथा राज्य सलाहकार बोर्ड एवं जिला स्तरीय समितियाँ
अध्याय 12 : विकलांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त एवं राज्य आयुक्त
अध्याय 13 : विशेष न्यायलय
अध्याय 14 : विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय निधि
अध्याय 15 : विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य निधि
अध्याय 16 : अपराध और दंड
अध्याय 17 : विविध - कठिनाइयों को हठाने का अधिकार, अनुसूची के संशोधन का अधिकारी, नियम बनाने के लिए केन्द्र सरकार के अधिकार, आदि

अनुबंध में दी गई अनुसूची में विकलांग व्यक्तियों के प्रकारों का 7 से 21 बनाया गया और निम्नलिखित विकलांगताएँ शामिल हैं-

1. कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति
2. मस्तिष्क पक्षाघात व्यक्ति
3. बौनापन
4. मस्कुलर डिस्ट्रोफी
5. अंधापन
6. कमजोर दृष्टि
7. श्रवण क्षति (बधिर एवं सुनने में कठिनाई)
8. वाक् व भाषा विकलांगता
9. बौद्धिक अक्षमता
10. विशिष्ट अधिगम विकलांगता
11. ऑटीज्म स्पेक्ट्रम अव्यवस्था
12. मानसिक रोग
13. मल्टीपल स्क्लेरोसिस
14. पार्किनसन्स् रोग
15. हेमोफीलिया
16. थलेसेमिया
17. सिक्कल सेल रोग
18. बहुविध विकलांगता
19. एसिड एटैक बाधित
20. लोकोमोटार विकलांगता
21. बहुकालिक स्नायविक स्थितियाँ

उपरोक्त के अतिरिक्त, केन्द्र सरकार किसी अन्य वर्ग को भी सम्मिलित कर सकता है। "बेंचमार्क विकलांग" व्यक्ति का अर्थ है, उपरोक्त विकलांगता के 40 प्रतिशत विकलांगता होना।

बौद्धिक अक्षमता

मानसिक मंदन नामावली को बौद्धिक अक्षमता के रूप में बदल दिया गया है और अधिनियम में इसकी परिभाषा निम्नानुसार है

बौद्धिक अक्षमता, बौद्धिक क्रियात्मकता (रीजनिंग, अधिगम, समस्या सुलझाने एवं अनुकूल व्यवहार जिसमें दैनिक सामाजिक व प्रायोगिक कुशलताएँ आते हैं में महत्वपूर्ण सीमाएँ रहते हैं, के रूप में वर्णित एक स्थित है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं-

(क) "विशिष्ट अधिगम विकलांगता" यानी वार्तालाप करने या लिखने की भाषा की प्रसंस्करण में कमी, जिससे समझने, बोलने, पढ़ने,लिखने एवं वर्तनी में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली समस्या हों और गणितीय गणना में समस्या हों तथा अवधारणात्मक विकलांगताएं जैसी स्थितियाँ, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिसप्रैक्सिया तथा विकासात्मक अस्फिक्सिया जैसे समस्याओं के वाली विजातीय स्थितियाँ

(ख) "आटीज्म स्पेक्ट्रम अव्यवस्था" यानी जीवन के पहले तीन वर्षों में होने वाली एक स्नायविक विकासात्मक स्थिति जिससे व्यक्ति के संपेषण की कुशलता, रिश्तों को समझना और अन्यों से संबंधिता और असाधारण या स्टीरियोटाईप वाली विधियों या व्यवहारों को बार बार दोहराना।

अधिकार एवं हक

अधिकार एवं हकों में यह प्रावधान है कि, समुचित सरकार का यह दायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी मापन लें कि,

क) महिलाओं एवं बच्चों सहित, सभी विकलांग व्यक्ति, अन्यों के समान में अपने अधिकारों से लाभ उठाएँ
ख) समुदाय जीवन का आनंद लें
ग) विकलांग व्यक्तियों को अमानवीय व्यवहार, दुरुपयोग, हिंसा और शोषण से बचाएँ
घ) सुरक्षा सुनिश्चित करें
ङ) आवश्यकतानुसार घर व परिवार दें
च) प्रजनन अधिकार सुनश्चित करें
छ) मतदान, न्याय की अभिगम्यता एवं
ज) अन्यों के समान कानूनी क्षमताओं का लाभ उठाएँ
झ) जिला न्यायालय द्वारा संरक्षता जिसके अंतर्गत संरक्षक एवं विकलांग व्यक्ति के बीच संयुक्त रूप का एक निर्णय कराया गया हो।

शिक्षा

इस अधिनियम में समावेशी शिक्षा एवं अभिगम्यता की बढ़ती आवश्यकता को स्वीकार दिया गया। अधिनियम के धारा 16 यह निर्देश देता है कि, संबंधित सरकार एवं स्थानीय प्राधिकरण यह प्रयास करें कि उनके द्वारा वित्त पोषित संस्थान या मान्यता प्राप्त संस्थानों में विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा प्रदान करें और इसके लिए

(i) किसी भेदभाव के बिना विकलांग व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाए एवं अन्यों के समान शिक्षा तथा खेल-कूद व मनोरंजन क्रियाकलापों में अवसर प्रदान किया जाए।
(ii) भवन, परिसर व अन्य सुविधाओं को पहुँचयोग्य बनाएँ
(iii) पूर्ण समावेशी के लक्ष्य को निरंतर बनाये रखने के लिए शैक्षणिक व सामाजिक विकास को बढ़ाने हेतु परिवेशों में व्यक्तिगत या अन्य आवश्यक समर्थन प्रदान करें
(iv) बच्चों में विशिष्ट अधिगम विकलांगताओं को शीघ्र पहचानें और इन समस्याओं को दूर करने के लिए उचित शैक्षणिक व अन्य उपाय करें
(v) उच्च समर्थन की आवश्यकता वाले विकलांग बच्चों के लिए एवं उनके साथी के लिए परिवहन सुविधा प्रदान करें

आगे, धारा 16 के लिए संबंधित सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरण निम्नलिखित विशेष उपाय करें, वे है-

क) हर पाँच वर्षों में विकलांग बच्चों को पहचानने के लिए पाठशाला जाने वाले बच्चों का एक सर्वेक्षण करें, उनकी विशेष आवश्यकताओं को जानें और इनकी आवश्यकताओं को कहाँ तक पूरा किया जा रहा है, जानें, बशर्ते कि, इस अधिनियम के लागू होने के दो वर्षों के अंतर प्रथम सर्वेक्षण करना होगा।

ख) पाठशाला शिक्षा के सभी स्तरों पर समवेशी शिक्षा को समर्थन करने के लिए व्यावसायिकों व स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाए,

ग) पुस्तकें, व अन्य अधिगम सामग्री तथा उचित सहायक उपकरण बेंचमार्क विकलांग बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त में प्रदान करें

घ) बेंचमार्क विकलांग विद्यर्थियों को समुचित मामलों में छात्रवृत्ति प्रदान करें

ङ) पाठचर्या व परीक्षा पद्धति में उचित संशोधन करें ताकि विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, जेसे, परीक्षा लिखने के लिए अतिरिक्त समय दें, स्क्राईब या लिपिकार की सुविधा दिया जाए, द्वितीय व तृतीय भाषा पाठ्यक्रम में छूट।

कौशल विकास तथा रोजगार

व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा स्व-रोजगार के अंतर्गत निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं-

1. विकलांग व्यक्तियों के रोजगार को सुविधाकृत बनाने व समर्थन करने के लिए, विशेषकर व्यावसायिक प्रशिक्षण व स्व-रोजगार के लिए रियायती दरों पर ऋण देने के प्रावधान सहित संबंधित सरकार योजना व कार्यक्रम बनाएँ

2. उपधारा (1) में दिये गये योजनाओं व कार्यक्रमों के अनुसार

(क) विकलांग व्यक्ति को सभी औपचारिक व अनौपचारिक व्यावसायिक व कौशल प्रशिक्षण योजनाओं व कार्यक्रमों की मुख्यधारा में सम्मिलित करने का प्रावधान करें,

(ख) विकलांग व्यक्ति विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समर्थन व सुविधा सुनिश्चित करें

(ग) विकासात्मक, बौद्धिक, बहुविध विकलांग व आटीज्म से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए मार्केट के साथ सक्रिय लिंक रखते हुए विकलांग व्यक्तियों को विशेष कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान

बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाओं का प्रावधान किया गया।

- उच्च शिक्षा में आरक्षण जैसे अतिरिक्त लाभ (5 प्रतिशत से कम नहीं), सरकारी नौकरियों में आरक्षण (4 प्रतिशत से कम नहीं), भूमि आबंटन में आरक्षण (5 प्रतिशत आबंटन), आदि का बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों एवं उच्च समर्थन की आवश्यकता वाले विकलांगों के लिए प्रावधान दिया गया।
- महिला एवं बेंचमार्क विकलांगों को प्राथमिकता देते हुए गरीबी उन्मूलन व विभिन्न विकासात्मक योजनाओं में 5 प्रतिशत आरक्षण
- हर एक बेंच मार्क विकलांग जो 6 से 18 वर्ष की आयु में है, उनको मुफ्त शिक्षा का अधिकार
- विकलांग बच्चों के लिए सरकारी मान्यता संस्थान तथा सरकार द्वारा वित्त पोषित शिक्षा संस्थान समावेशी शिक्षा प्रदान करना चाहिए।
- प्रधानमंत्री के सुलभ भारत अभियान को सुदृढ़ बनाने के लिए सार्वजनिक भवनों (सरकारी तथा प्राईवेट) में निर्धारित समय के अंदर सुलभतर बनाने पर जोर दिया गया।

प्राधिकरण

- केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर नीति बनाने वाले शिखर संस्थान के रूप में ब्राड आधारित विकलांगता पर केन्द्रीय तथा राज्य सलाहकार बोर्डों की स्थापना
- विकलांगों के मुख्य आयुक्त तथा राज्य आयुक्त को सुदृढ़ बनाया गया जो अब रेगुलेटरी निकाय एवं शिकायत निवारण एजंसी के रूप में कार्य करेंगे तथा अधिनियम अनुपालन को मॉनीटर करेंगे।
- राज्य सरकारों द्वारा जिला स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा
- विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य निधि का सृजन किया जाएगा।

अपराधों के लिए दंड

- अधिनियम में विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ अपराधी तथा इस नए कानून में दिये गये प्रावधानों का उल्लंघन के लिए भी दंड देने का प्रावधान अधिनियम में रखा गया है
- अधिनियम में दिये गये प्रावधानों या किसी नियम व विनियमन का यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता हो, उन्हें छह महीने तक कारावास और / या 10000 रुपये का जुर्माना या दोनों का दंड दे सकते हैं। आगे भी और उल्लंघन करने पर दो वर्ष का कारावास तथा और / या 50000 रुपयों से लेकर पाँच लाख रुपयों का जुर्माना दे सकते हैं।
- जो कोई विकलांग व्यक्ति को अपमान करेंगे या धमकी देंगे या विकलांग महिला या बच्चे का लैंगिक शोषण करेंगे, उन्हें छह महीने से लेकर पाँच वर्षों का कारावास तथा जुर्माना लगाया जाएगा।
- प्रत्येक जिले में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन के लिए विशेष न्यायलयों का नामांकन किया जाएगा।

उपरोक्त दिया गया विवरण आर.पी.डबल्यु.डी. एक्ट के मुख्य विशेषताएँ तहैं। पूरे विवरण के लिए अधिनियम देखने की सलाह दी जाती है।

परिशिष्ट - ए
महा परिषद् के सदस्यों की सूची

1.	श्री विनोद कुमार सचिव, भारत सरकार दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली -110001	अध्यक्ष **(31-12-2016** तक)
2.	श्री एन.एस.कांग सचिव, भारत सरकार दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कमरा न. 515, नई दिल्ली -110001	अध्यक्ष **(01-01-2017** से)
3.	श्री अवनीश कुमार अवस्थी संयुक्त सचिव, भारत सरकार दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली -110001	सदस्य
4.	श्रीमती टी.सी.ए.कल्याणी संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली -110001	सदस्य
5.	संयुक्त सचिव *(मेंटल हेल्थ)* स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, निर्माण भवन, ए-विंग चौथा तल, नई दिल्ली -110001	सदस्य
6.	श्री संदीप रजक हीरा कुंज, 1109/सी, विजय नगर, जबलपुर मध्य प्रदेश - 482002	सदस्य
7.	श्री बसवेश्वर नागनाथ पैके मार्फत भार्गव जरनल स्टोर ओल्ड औसा रोड लातूर- 413512	सदस्य
8.	श्री कुलदीप सिंह गांव व पोस्ट – खेडी कलाँ, नजदीक शिव मंदिर कवा मोहल्ला, फरीदाबाद हरियाणा- 121102	सदस्य
9.	श्री अशोक चक्रबर्ती 3,भोलानाथ भाडुरी सारनी भद्रेश्वर, हुगली, पं.बंगाल	सदस्य

10.	डॉ.(श्रीमती) प्रतिभा करंत 403 सीबो अपार्टमेंट, 26/2 अगा अब्बास अली रोड, बेगलूरू-560042	सदस्य
11.	उप महानिदेशक (योजना परिवेक्षण एवं सांख्यिकी) शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय कमरा न.203, सी-विंग, नई दिल्ली -110001	सदस्य
12.	महा निदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा न. 111, पहला तल श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली– 110 001	सदस्य
13.	प्रधान सचिव, तेलंगाना सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तेलंगाना सचिवालय, एल. ब्लॉक, दूसरा तल, तीसरी मंजिल कमरा न.305, हैदराबाद - 500022	सदस्य
14	प्रधान सचिव, तेलंगाना सरकार महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग तेलंगाना सचिवालय, एल. ब्लॉक, दूसरा तल, तीसरी मंजिल कमरा न.305, हैदराबाद - 500022	सदस्य
15.	श्रीमती जान्हवी ए. वर्रा निदेशक प्रभारी राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, मनोविकास नगर, सिकन्दराबाद – 500 009	सदस्य सचिव

परिशिष्ट-बी

कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों की सूची

1.	श्री अवनीश कुमार अवस्थी संयुक्त सचिव, भारत सरकार दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली-110 003	अध्यक्ष
2.	सुश्री टी.सी.ए. कल्याणी संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली-110001	सदस्य
3.	श्री संदीप रजक हीरा कुंज, 1109/सी विजय नगर, जबलपुर मध्य प्रदेश-482002	सदस्य
4.	श्री बसवेश्वर नागनाथ पैके मार्फत भार्गव जरनल स्टोर ओल्ड औसा रोड लातूर- 413512	सदस्य
5.	श्रीमती जान्हवी ए. वर्रा निदेशक, प्रभारी राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, मनोविकास नगर, सिकन्दराबाद – 500 009	सदस्य सचिव

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशाक्तिकरण संस्थान

ऑर्गनाईजेशन चार्ट

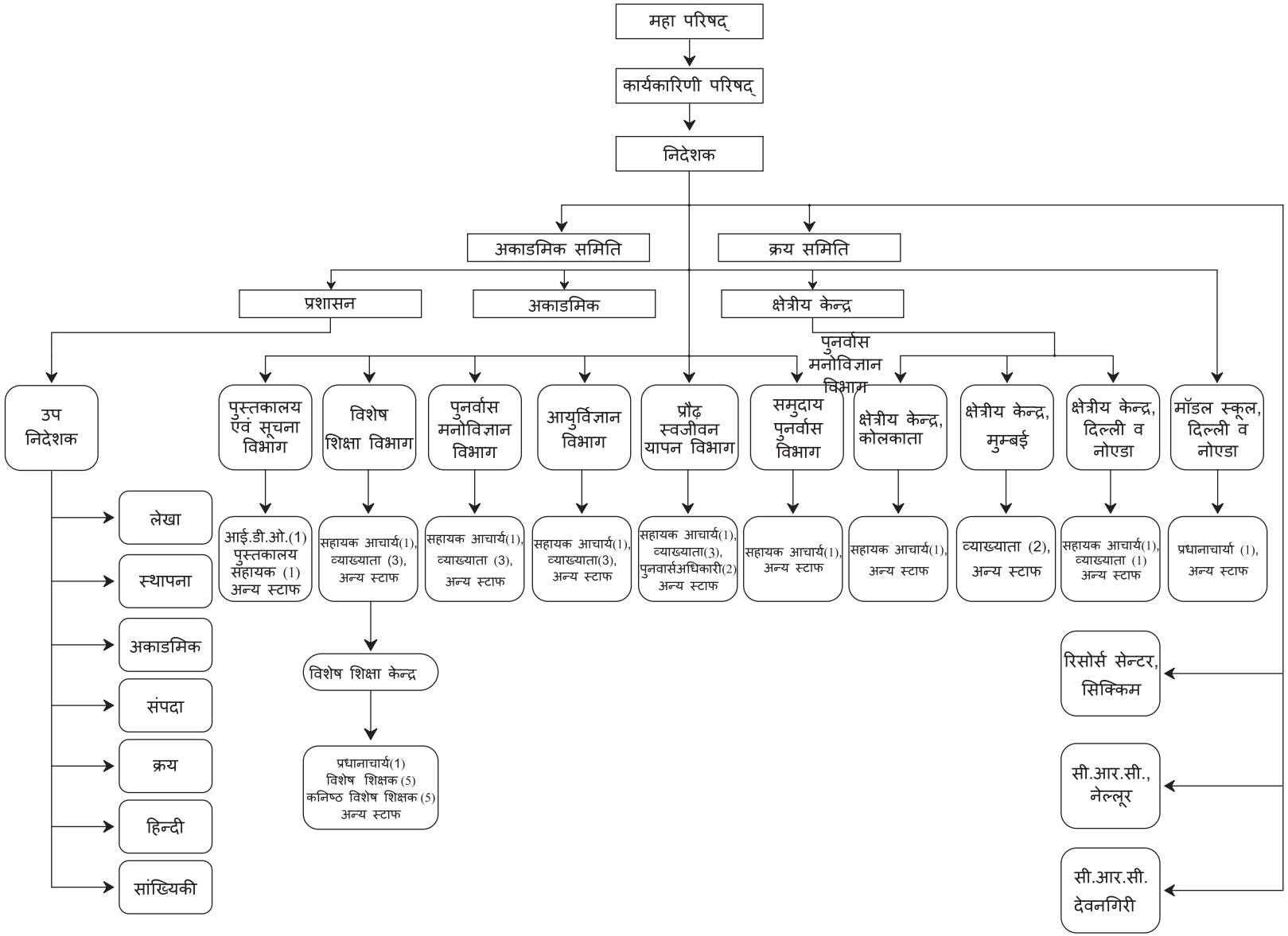

परिशिष्ट-डी

वार्षिक लेखा एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

महानिदेशक लेखापरीक्षा(केंद्रीय) का कार्यालय
सैफाबाद, हैदराबाद-500004.
OFFICE OF THE
DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (CENTRAL)
SAIFABAD, HYDERABAD - 500 004.

No.DGA(C)/CEA/Unit-V/NIEPID/SAR.2016-17/ 2017-18/237 30 .10.2017

सेवा में,
सचिव महोदय,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
डॉ.राजेन्द्रप्रसाद रोड, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली 110 001

महोदय,

विषय: राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एन.आई.ई.पी.आई.डी.) सिकंदराबाद के वर्ष 2016-17 के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

*****

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एन.आई.ई.पी.आई.डी.), सिकंदराबाद के वर्ष 2016-17 लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, पृथक लेखा परीक्षा के अनुबंध एवं वर्ष 2015-16 के लिए संस्थान के वार्षिक लेखों की प्रति संसद के सामने पेश करने हेतु अग्रेषित किया जा रहा है। संसद के दोनों सदनों में पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथियाँ हमें सूचित करें।

इस पत्र संलग्नकों सहित प्राप्ती की सूचना भेज दें।

सं. : यथोपरि

भवदीय
ह/-
महानिदेशक लेखापरीक्षा(केंद्रीय)

प्रति: निदेशक,प्रभारी, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एन.आई.ई.पी.आई.डी.) (पूर्व में एन.आई.एम.एच.), मनोविकास नगर, सिकन्दराबाद- 500 009 को वर्ष 2016-17 के वार्षिक लेखों की एक प्रति (अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति इस अनुरोध के साथ भेजा जा रहा है कि, वार्षिक लेखें 2016-17 की अनुमोदित हिन्दी संस्करण की एक प्रति इस कार्यालय को भेजें।

30/10/17

सं. यथोपरि

निदेशक/ कें.व्य.ले.प.

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एन.आई.ई.पी.आई.डी.) (पूर्व में एन.आई.एम.एच.),, सिकंदराबाद के 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

हमने, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के (सेवा की विधियाँ, अधिकार तथा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एन.आई.ई.पी.आई.डी.) (पूर्व में एन.आई.एम.एच.),, सिकंदराबाद के 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए संलग्न तुलन पत्र तथा वर्ष की समाप्ति के आय व व्यय खाता / प्राप्तियाँ तथा भुगतान खातों का लेखा परीक्षण किया है। वर्ष 2018-19 तक की अवधि के लिए लेखा परीक्षण का कार्य हमें सौंपा गया। इन वित्तीय विवरणों में कोलकाता, नई दिल्ली, नवी मुम्बई में स्थित तीन क्षेत्रीय केन्द्रों तथा आदर्श विशेष शिक्षा केन्द्र के लेखें भी सम्मिलित हैं। इन वित्तीय विवरणों को बनाना संस्थान के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इन वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है।

2. इस अलग लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में लेखों के वर्गीकरण, अच्छी लेखा नीतियों की अनुरूपता, लेखा बहियों के मानक, प्रकटीकरण मानक आदि पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ होंगी। वित्तीय कार्य सम्पादनों पर लेखा परीक्षा अवलोकन विधि (स्वामित्व व नियमितता) के नियम व शर्तें तथा कार्य क्षमता -बनाम- निष्पादन पहलू आदि के अनुपालन के संबंध में, यदि कोई हो तो, निरीक्षण प्रतिवेदन / सी.ए.जी. के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन द्वारा अलग से रिपोर्ट की गई है।

3. हमने, भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा का संचालन किया है। वित्तीय विवरणियों के वास्तविक त्रुटियों से मुक्त होने के उचित आश्वासन पाने के लिए हमें योजना बनाकर लेखा परीक्षा करने की इन मानकों की आवश्यकता है। लेखा परीक्षा में, उपयोग में लाए गए लेखा सिध्दांत और प्रबंधन द्वारा तैयार की गई विशिष्ट विवरणियाँ और साथ ही साथ वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हम यह मानते हैं कि हमारा लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार बनता है।

4. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि,

i) हमने लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक समस्त सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक है।

ii) इस प्रतिवेदन के लिए तुलन पत्र, आय-व्यय लेखा / प्राप्ति तथा भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रारूप में दर्शाये गये हैं।

iii) हमारी राय में, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एन.आई.ई.पी.आई.डी.) (पूर्व में एन.आई.एम.एच.),, सिकंदराबाद की वित्त उपविधि 6 के अंतर्गत आवश्यक उचित लेखा बहियों और अन्य संबध्द अभिलेखों का राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान द्वारा निर्वाहण किया गया है जो हमारे द्वारा इन पुस्तकों / बहियों के परीक्षण से प्रकट होता है।

iv) हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि,

क) तुलन - पत्र

क1) पूँजी निधि एवं दायित्व

क1.1 उद्दिष्ट निधियाँ: रु.4.07 करोड (अनुसूची-3)

क.1.1.1 - इसमें लातुर जिलें में आपूर्ती के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री किटों की प्राप्ति के लिये पार्टियों से प्राप्त रु.3,00,000/- की धन राशि शामिल नहीं किया गया है, जिसे तुलन पत्र में वर्तमान दायित्व के अंतर्गत शामिल किया गया है। परिणाम स्वरूप, उद्दिष्ट निधियों का न्यूनोक्ति एवं वर्तमान दायित्वों एवं प्रवाधान दायित्वों का रु.3.00 लाख की अत्योक्ति हुई।

क.1.1.2 इसमें जागरूकता जनरेशन कार्यक्रम (ए.डबल्यु.जी.) योजना (अनुसूची 3 को अनुलग्नक) के अंतर्गत अनुदान से अधिक व्यय के कारण रु.6,88,650/- की शेष धनराशि की कमी दर्शाया गया है (मंजूर की गई रु.8,95,702/- के स्थान पर रु.15,84,352/- खर्च किया गया) परिणामत: उद्दिष्ट निधियों का न्यूनोक्ति और कॉर्पस निधि की अत्योक्ति हुई।

क 2) आस्तियाँ

क 2.1 चालू आस्तियाँ, ऋण, अग्रिम : रु.23.86 करोड (अनुसूची -11)

क2.1.1 इसमें, नई पेंशन योजना (एन.पी.एस.) के लिए कर्मचारियों का योगदान के रूप में वसूल की गई रु.3.20 लाख धनराशि का कमी शामिल किया गया है परन्तु पी.आर.ए.एन. नंबर की अनुपलब्धता के कारण एन.पी.एस. ट्रस्ट में जमा नहीं किया गया था। परुन्तु इसे अस्तियों की तरफ माइनस बैलेंस दर्शाया गया जिससे वर्तमान आस्तियों की रु.3.20 लाख तक न्यूनोक्ति हुई और इतने ही धनराशी का वर्तमान दायित्वों में न्यूनोक्ति दर्शाया गया है।

क.2.1.2 इसमें सी.पी.डबल्यु.डी. के साथ अग्रिम (अनुलग्नक 5, अनुसूची 11बी) के रूप में रु.8,73,945 /- का माईनस धनराशि सम्मिलित है, जहाँ रु.24,68,500/- की जगह रु.33,42,445 /- खर्च किया गया। इसके परिणाम स्वरूप में वर्तमान आस्तियों एवं वर्तमान दायित्वों का रु.8.74 लाख की न्यूनोक्ति हुई।

क. 2.1.3 स्टॉक का मूल्यांकन (रु.7,24,574/- की जगह रु.8,15,645/-) गलत पद्धति अपनाने के कारण दवाईयों का अधिक मूल्य रु.91,071/- इसमें शामिल है। इसका परिणाम रु.0.91 लाख राशी की वर्तमान आस्तियों की अत्योक्ति एवं पूँजी निधी की न्यूनोक्ति हुई है।

क.2.1.4 जी.पी.एफ. निवेशों से अर्जित ब्याज की रु.5,90,713/- के स्थान पर रु.5,12,713/- दर्शाने के कारण रु.2,34,000/- की अंतर राशि इसमें शामिल है। इसका परिणाम रु.2.34 लाख रुपयों का वर्तमान आस्तियों की न्यूनोक्ति और पूँजी निधियों की न्यूनोक्ति हुई।

बी. आय तथा व्यय खाता

बी.1: व्यय रु.13.47 करोड

बी.1.1: इसमें, अग्निशामक की आस्ति पर ह्रास की रु.7,89,476/- के स्थान पर रु.7,80,828/- गलत दर्शाने के कारण ह्रास के रूप में रु.8648/- का मूल ह्रास शामिल नहीं है। इससे पूँजी निधि की न्यूनोक्ति और स्थिर आस्तियों की अत्योक्ति हुई।

सी. साधारण

1. विकलांगता का प्रारंभिक पहचान एवं रोकथाम - अंग्रेजी के जागरूक सामग्री से संबंधित सामग्री की रु.1,49,58,743/- के मूल्य का (अगस्त 2014) संस्थान को प्राप्त हुई। इस सामग्री का स्पष्ट रूप से वार्षिक लेखों में दर्शाना आवश्यक है।

2. स्टॉक, जैसे, शिक्षण अधिगम सामग्री (टीएलएम), लैपटॉप, जागरूक अभियान सामग्री, आदि जिसका मूल्य रु.2,74,71,752/- है, संस्थान के पास उपलब्ध है (जुलाई 2017)। इसका वार्षिक लेखों में स्पष्ट दर्शाना आवश्यक है।

3. पेंशन तथा ग्रैचुइटी निधि में से रु.3,94,65,923/- की निधियाँ (रु.3,67,73,620/- + रु.26,91,593/- का ब्याज) कोई साधारण या विशेष रिजर्व बनाए बिना आस्तियों में दर्शाया गया है। यह एएस-15 में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन है और लेखांकन मानक और खातों का एकसमान स्वरूप का अनुपालन करना आवश्यक है।

4. खातों का एकसमान स्वरूप में दिये गये अनुदेशों के अनुसार राशि रु.50,000/- से अधिक राशि होने के कारण रु.13,78,287/- का विविध आय तथा रु.5,50,932 /- का व्यय अलग से दर्शाना है, परन्तु ऐसा नहीं दर्शाया गया है।

डी. सहायता अनुदान: वर्ष के दौरान प्राप्त रु.20.39 करोड का कुल सहायता अनुदान में से (योजना रु.12.60 करोड, योजनेतर रु.7.79 करोड), अन्य प्राप्तियों सहित रु.1.77 करोड[१] एवं प्रमाणित किया हुआ अनुप्रयुक्त शेष रु.9.56 करोड राशि जो पिछले वर्ष का है, कुल मिलाकर रु.31.72 करोड में से, संस्थान ने रु.21.61 करोड[2] खर्च किया, जिससे 31 मार्च 2017 को रु.10.11 करोड रुपयों का अनुप्रयुक्त शेष राशि रहा।

ई) प्रबंधक पत्र

पृथक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन में शामिल नहीं की गई त्रुटियों को निदेशक, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, (एनआईईपीईडी), सिकंदराबाद को प्रतिविधिक / सुधार की कार्यवाही के लिए अलग से प्रबंधक पत्र के जरिये सूचित किये गये ।

v) पूर्वोपरि पैराओं में दी गई टीका टिप्पणियों के सिवाय, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में दर्शाये गये तुलन पत्र तथा आय व व्यय लेखा/ प्राप्ति व भुगतान लेखा, लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

---

1. (i) ऋणों की वसूली (ब्याज सहित) स्टाफ से रु.13,84,143/-, (ii) योजना तथा योजनेतर निधियों पर अर्जित ब्याज : रु.33,77,258/-, तथा (iii) आंतरिक रसीद: रु.1,29,71,950/- कुल रु. 1,77,33,351/-

2. योजना - (सामान्य, अ.ज.,अज.जा, वेतन तथा पूर्वोत्तरी सेवाएँ) रु.10.17 करोड/- तथा योजना-पूँजी रु.0.56 करोड, कुल 10.73 करोड तथा योजनेतर रु. 10.88 करोड, सकल योग रु. 21.61 करोड ।

vi) जानकारी के अनुसार तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त लेखा नीतियाँ, लेखों पर टीका - टिप्पणी के साथ पठित उक्त वित्तीय कथन और उपरोक्त मुख्य विषयों के अधीन तथा उपबंध में उल्लिखित अन्य विषय, भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखा सिध्दांतों के अनुरूप तथ्यपरक और निष्पक्ष आकलन प्रस्तुत करते हैं :

क) जहाँ तक राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, (एनआईईपीईडी) (पूर्व एनआईएमएच), सिकंदराबाद की दिनांक 31 मार्च, 2017 के तुलन पत्र उसके कार्यों का संबंध है; और

ख) जहाँ तक उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए घाटे के आय तथा व्यय लेखें से उनका संबंध है।

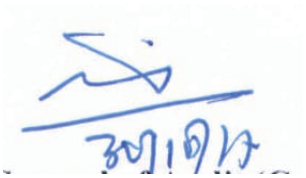

महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय)

अनुबंध

1. **आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति की पर्याप्तता** : संस्थान का आंतरिक लेखा चार्टड अकाउन्टेंट फर्म को सौंपा गया जिन्होने वर्ष का लेखा परीक्षण पूरा किया।
2. **आंतरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता** : आंतरिक नियंत्रण अपर्याप्त है क्योंकि जाना हुआ दायित्व के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया और पूँजी व्यय को राजस्व व्यय के रूप में माना गया।
3. **स्थिर आस्तियों की प्रत्यक्ष सत्यापन की पद्धति**: वर्ष 2016-17 के लिए स्थिर आस्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया।
4. **इन्वेन्टरी की प्रत्यक्ष सत्यापन की पद्धति** : वर्ष 2016-17 के लिए इनवेन्टरी का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया।
5. **सांविधिक देयता के भुगतान में नियमितता** : संस्थान नियमित रूप से सांविधिक देयता जमाकर रहा है।

30/10/17

निदेशक / सी ई.ए.

वित्तीय विवरण का प्रारूप (गैर - लाभकारी संगठन)

संस्थान का नाम : राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद

31 मार्च, 2017 को तुलन पत्र

कार्पस / पूँजी निधि और दायित्वि	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
कार्पस / पूँजी निधि	1	206,146,050	227,590,853
परिरक्षित और अधिशेष	2	0	0
उद्दिष्ट और धर्मदाय निधियाँ	3	40,718,134	91,851,073
प्रतिभूत ऋण और उधार राशियाँ	4	0	0
अप्रतिभूत ऋण और उधार राशियाँ	5	0	0
अस्थगित जमादेनदारियाँ	6	0	0
चालू देनदारियाँ और प्रावधान	7	177,976,749	149,582,221
जीपीएफ अधिशेष		921,577	1,042,633
कुल		**425,762,510**	**470,066,780**
आस्तियाँ			
स्थिर आस्तियाँ	**8**	148,632,106	158,350,895
जोडें- आस्तियों में पूर्वावधि समायोजन उद्देष्ट / धर्मदाय से निवेश	**9**	1,755,401	1,581,811
निवेश - अन्य	**10**	36,773,620	33,992,724
चालू आस्तियाँ, ऋण, अग्रिम, आदि	**11**	238,601,383	276,141,350
विविध व्यय (बट्टे खाते या समायोजित न किये जाने की सीमा तक)			
जीपीएफ डेफिसिट		0	0
कुल		**425,762,510**	**470,066,780**
उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ	**24**		
फुटकर देनदारियाँ और लेखों पर टिप्पणियाँ	**25**		

लेखाधिकारी
लेखा अधिकारी, एन.आई.ई.पी.आई.डी
Accounts Officer, NIEPID
सिकन्दराबाद/Secunderabad.

उप निदेशक (प्र.)
उप निदेशक (प्र.), एन.आई.ई.पी.आई.डी
Dy. Director (Admn.), NIEPID
सिकन्दराबाद/Secunderabad.

निदेशक
निदेशक, एन.आई.ई.पी.आई.डी
Director, NIEPID
सिकन्दराबाद/Secunderabad.

वित्तीय विवरण का प्रारूप (गैर - लाभकारी संगठन)

संस्थान का नाम : राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद

31 मार्च 2017 को समाप्त अवधि के लिए आय तथा व्यय खाता

आय	**अनुसूची**	**चालू वर्ष**	**गत वर्ष**
विक्रय / सेवाओं से आय	12	1,921,341	1,815,295
अनुदान / आर्थिक सहायता	13	85,539,533	72,669,790
फीस / चंदे	14	8,892,910	8,182,426
निवेशों से आय (उद्देश्ट / धर्मदाय निधियों से अंतरित निधियाँ)	15	0	0
रायल्टी, प्रकाशनों, आदि से आय	16	807,933	747,574
अर्जित ब्याज	17	7,040,795	7,158,121
अन्य आय	18	1,378,287	1,036,447
तैयार मालों और चालू वर्ष कार्य में बढ़ाव / घटाव	19	-505,895	-1,228,921
पूर्व अवधि समायोजन		**0**	**0**
कुल (ए)		**105,074,904**	**90,380,732**
व्यय			
कार्यक्रम व सेवाओं पर खर्च	20	55,698	57,114
स्थापना खर्च	20A	111,136,206	70,728,912
अन्य कार्यक्रम खर्च	20B	0	849,054
अन्य प्रशासनिक खर्च, आदि	21	8,648,554	6,311,489
अनुदान / आर्थिक सहायता, सब्सिडी पर व्यय	22	0	0
ब्याज	23	0	0
ह्रास (वर्ष के अंत तक कुल नेट - अनुसूची 8 के अनुरूप)		14,843,234	15,566,794
पिछले वर्ष का समायोजन		**0**	**0**
कुल (बी)		**134,683,692**	**93,513,363**
व्यय के ऊपर अधिक आय का शेष राशि (ए-बी)			
स्पेशल रिजर्व का आंतरण			
सामान्य रिजर्व को / से अंतरण			
आधिशेष (डिफिसिट) के रूप में शेष राशि		**-29,608,788**	**-3,132,631**
कार्पस / पूँजी निधि को ले जाया गया			
उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ	24		
लेखों पर फुटकर देयताएँ और टिप्पणियाँ	25		

ह./-
लेखाधिकारी

ह./-
उप निदेशक (प्र.)

ह./-
निदेशक

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद

वर्ष 2016-17 के लिए रसीद तथा भुगतान खाता

	रसीद	2016-17	2015-16	भुगतान	2016-17	2015-16
को			से			
	आदिशेष	Rs.	Rs.	योजना साधारण	Rs.	Rs.
	क. हाथरोकड	16,360	15,000	मानव संसाधन विकास	14,352,379	16,820,231
	ख. योजना, योजनेतर तथा साधारण खाता	54,609,128	70,753,484	अनुसंधान एवं विकास	6,000	0
	ग. पेंशन तथा ग्रैचुइटी खाता			सेवाएँ	7,512,028	9,700,934
	(i) स्थिर जमा	33,992,724	24,192,724	परामर्शी सेवाएँ	398,956	859,346
	(ii) बचत खाता	8,179,246	5,004,088	प्रेलखीकरण तथा प्रचार	666,837	1,197,459
	घ. एडिप खाता	133,871	200,125	विस्तारण तथा आउटरीच सेवाएँ	2,572,028	648,379
				संरचना निर्वहण	23,247,860	15,506,876
	सहायता अनुदान			रेवेन्यु कार्य के लिए सीपीडबल्युडी को अग्रिम	0	0
				योजना - वेतन शीर्ष	28,025,162	23,987,270
	योजना शीर्ष	126,000,000	165,100,000	अ.ज. कंपोनेन्ट	8,696,836	19,730,900
	योजनेतर शीर्ष	77,850,000	63,000,000	अ.ज.जा कंपोनेन्ट	4,299,123	5,746,472
	एनआईएमएच एडिप योजना	51,856,000	16,250,000	पूर्वोत्तर कार्यक्रम	11,839,840	16,098,267
				जागरूकता जनरेशन निधि	1,663,449	2,030,501
	विशिष्ट प्रयोजन के लिए अनुदान / प्राप्तियाँ	25,255,995	71,432,016	कौशल विकास प्रशिक्षण	2,158,8665	52,931
				पूँजी वस्तुएँ		
	अन्य रसीद			भूमि	1,164,245	647,248
				भवन	2,128,439	0
	कर्मचारियों से ऋण/अग्रिम की वसूली	1,384,143	1,587,412	सीपीडबल्युडी कार्यों के लिए अग्रिम	4,401,794	122,982,394
	समायोजन के लिए अन्य रसीद	11,812,818	27,096,900	उपकरण	1,019,669	2,987,371
				फर्नीचर	1,058,176	661,853
	प्राप्त ब्याज			परिवहन वाहन	0	0
	योजना व योजनेतर खाता	3,377,258	3,767,584	पुस्तकालय की पुस्तकें	212,591	949,607
	पी.व जी.निधि खाते पर ब्याज	3,510,950	803,136	एडिप योजना	51,424,902	18,667,206
	एडिप खाते पर ब्याज	110,008	78,082	वसूली योग्य / समायोज्य अग्रिम	45,115,832	52,729,638
				योजनेतर व्यय		
	आंतरिक रसीद	12,971,950	11,483,742	वेतन मजदूरी व भत्ते	62,052,862	45,609,168
				पेंशन एवं ग्रेचुइटी	30,098,160	18,812,257
	पी व जी निधि खाते को अंतरण	18,144,943	29,875,337	कर्मचारियों को ऋण व अग्रिम	123,600	191,025
				समर्थन सेवाएँ	5,916,660	5,901,484
				आकस्मिक व्यय	2,169,124	2,337,689
				अन्य कार्यालयीन खर्च	8,489,440	8,351,795
				रोक़ड व बैंक शेष		
				क.हाथ रोकड	15,000	16,360
				ख.योजना व योजनेतर खाता	67,902,788	54,609,128
				ग.पेंशन एवं ग्रेचुइटी खाता		
				(i) स्थिर जमा	36,773,620	33,992,724
				(ii) बचत खाता	3,024,151	8,179,246
				d. एडिप खाता	674,977	133,871
	कुल रु.	**429,205,394**		**490,639,630**	**429,205,394**	**490,639,630**

	जीपीएफ / एनपीएस खाता					
	आदि शेष			अग्रिम / निकासी	7,090,984	11,312,276
	(i) स्थिर जमा	51,078,208	46,207,045	बैंक शुल्क	0	0
	(ii) बचत खाता	5,567,671	4,479,242	अंतिम शेष		
	प्राप्त अंशदान/ वसूलियाँ	9,042,755	11,743,894	(i) स्थिर जमा	57,438,146	51,078,208
	अर्जित ब्याज	6,840,549	5,399,528	(ii) बचत खाता	8,000,053	5,439,225
	सकल योग	**501,734,577**			**501,734,577**	**558,469,339**

लेखाधिकारी
लेखा अधिकारी, एन.आई.ई.पी.आई.डी
Accounts Officer, NIEPID
सिकन्दराबाद/Secunderabad.

उप निदेशक (प्र.)
उप निदेशक (प्र.), एन.आई.ई.पी.आई.डी
Dy. Director (Admn.), NIEPID
सिकन्दराबाद/Secunderabad.

निदेशक
निदेशक, एन.आई.ई.पी.आई.डी
Director, NIEPID
सिकन्दराबाद/Secunderabad.

वित्तीय विवरण का प्रारूप (गैर - लाभकारी संगठन)

संगठन का नाम: समग्र क्षेत्रीय केन्द्र, नेल्लूर

31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लिए आय तथा व्यय खाता

राशि रुपयों में

कार्पस / पूँजी निधि और दायित्वि	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
कार्पस / पूँजी निधि	1	60,771,005	0
परिरक्षित और अधिशेष	2	0	0
उद्दिष्ट और धर्मदाय निधियाँ	3	0	0
प्रतिभूत ऋण और उधार राशियाँ	4	0	0
अप्रतिभूत ऋण और उधार राशियाँ	5	0	0
अस्थगित जमादेनदारियाँ	6	0	0
चालू देनदारियाँ और प्रावधान	7	0	0
कुल		**60,771,005**	**0**
आस्तियाँ			
स्थिर आस्तियाँ	8	21,788,846	0
उद्देष्ट / धर्मदाय से निवेश	9	0	0
निवेश - अन्य	10	0	0
चालू आस्तियाँ, ऋण, अग्रिम, आदि		1138,982,159	0
विविध व्यय (बट्टे खाते या समायोजित न किये जाने की सीमा तक)			
कुल		**60,771,005**	**0**
उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ	24		
फुटकर देनदारियाँ और लेखों पर टिप्पणियाँ	25		

6/6/17

प्रशासन अधिकारी

6/6/17

प्रभारी, सी.आर.सी.

वित्तीय विवरण का प्रारूप (गैर - लाभकारी संगठन)

संगठन का नाम: समग्र क्षेत्रीय केन्द्र, नेल्लूर

31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लिए आय तथा व्यय खाता

राशि रुपयों में

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
विक्रय / सेवाओं से आय	**12**	16,230	0
अनुदान / आर्थिक सहायता	**13**	5,169,115	0
फीस / चंदे	**14**	46,500	0
निवेशों से आय (उद्देश्ट / धर्मदाय निधियों से अंतरित निधियाँ)	**15**	0	0
रायल्टी, प्रकाशनों, आदि से आय	**16**	0	0
अर्जित ब्याज	**17**	65,256	0
अन्य आय1800तैयार मालों और चालू वर्ष कार्य में बढ़ाव / घटाव	**19**	0	0
कुल (ए)		**5,297,101**	**0**
व्यय			
कार्यक्रम व सेवाओं पर खर्च	**20**	61,102	0
स्थापना खर्च	**20A**	1,333,277	0
अन्य कार्यक्रम खर्च	**20B**	0	0
अन्य प्रशासनिक खर्च, आदि	**21**	1,040,092	0
अनुदान / आर्थिक सहायता, सब्सिडी पर व्यय	**22**	0	0
ब्याज	**23**	0	0
ह्रास (वर्ष के अंत तक कुल नेट - अनुसूची 8 के अनुरूप)		77,892	0
कुल (बी)		**2,512,363**	**0**
व्यय के ऊपर अधिक आय का शेष राशि (ए-बी)			
स्पेशल रिजर्व का आंतरण			
सामान्य रिजर्व को / से अंतरण			
आधिशेष (डिफिसिट) के रूप में शेष राशि		**2,784,738**	**0**
कार्पस / पूँजी निधि को ले जाया गया			
उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ	**24**		
लेखों पर फुटकर देयताएँ और टिप्पणियाँ	**25**		

6/6/17

प्रशासन अधिकारी

प्रभारी, सी.आर.सी.

समग्र क्षेत्रीय केन्द्र, नेल्लूर

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान

वर्ष 2016-17 के लिए प्राप्तियाँ तथा भुगतान खाता

	प्राप्तियाँ	राशि रु.	भूगतान	राशि रु.
	आदि शेष	1,000	अनावर्ती	
			उपकरण	9,500
	सहायता अनुदान	6,508,000	फर्नीचर	144,150
	सेवाओं से प्राप्तियाँ	16,230		
	कार्यक्रमों से प्राप्तियाँ	46,500	आवर्ती वेतन	
	बैंक ब्याज	65,256	वेतन	1,333,277
			आवर्ती गैर-वेतन	
			खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रम	1,090
			यात्रा व दैनिक भत्ता	222,147
			जागरूकता सृजन	14,005
			स्टेशनरी	103,494
			अल्पकालीन प्रठ्यक्रम	23,507
			आर.सी.आई.कोर्स फी	22,500
			वेबसाइट खर्च	17,250
			फोटोग्रफी	250
			एए मजतूर	54,031
			टेलीफोन	11,090
			बिजली	32,393
			पोस्टेज	1,448
			आतिथ्य	3,943
			स्थानीय परिवहन	10,030
			जिराक्स	1,130
			समाचार पत्र एवं अवैधिक पत्रिकाएँ	650
			विविध	14,389
			एन.आई.ई.पी.ई.डी. द्वारा वर्ष 2015-16 में की	
			गई व्यय की वापसी	1,701,315
			अंतिम शेष	
			हाथ रोकड	0
			बैंक रोक़ड	2,915,397
	कुल	6,636,986	कुल	6,636,986

प्रशासन अधिकारी

प्रभारी, सी.आर.सी.

वित्तीय विवरण का प्रारूप (गैर - लाभकारी संगठन)

संगठन का नाम : समग्र क्षेत्रीय केन्द्र, देवनगिरि

31 मार्च 2017 को तुलन पत्र

(राशि रुपयों में)

कार्पस / पूँजी निधि और दायित्वि	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
कार्पस / पूँजी निधि	1	5,245,95	20
परिरक्षित और अधिशेष	2	0	0
उद्दिष्ट और धर्मदाय निधियाँ	3	0	0
प्रतिभूत ऋण और उधार राशियाँ	4	0	0
अप्रतिभूत ऋण और उधार राशियाँ	5	0	0
अस्थगित जमादेनदारियाँ	6	0	0
चालू देनदारियाँ और प्रावधान	7	0	0
कुल		**5,245,952**	**0**
आस्तियाँ			
स्थिर आस्तियाँ	8	45,900	0
उद्देष्ट / धर्मदाय से निवेश	9	0	0
निवेश - अन्य	10	0	0
चालू आस्तियाँ, ऋण, अग्रिम, आदि	11	5,200,052	0
विविध व्यय (बट्टे खाते या समायोजित न किये जाने की सीमा तक)			
कुल		5,245,952	0
उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ	24		
फुटकर देनदारियाँ और लेखों पर टिप्पणियाँ	25		

अकाउन्टेन्ट **प्रशासन अधिकारी** **निदेशक**

वित्तीय विवरण का प्रारूप (गैर - लाभकारी संगठन)

संगठन का नाम : समग्र क्षेत्रीय केन्द्र, देवनगिरि

31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लिए आय तथा व्यय खाता

राशि रुपयों में

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
विक्रय / सेवाओं से आय	12	0	0
अनुदान / आर्थिक सहायता	13	5,944,080	0
फीस / चंदे	14	0	0
निवेशों से आय (उद्देश्ट / धर्मदाय निधियों से अंतरित निधियाँ)	15	0	0
रायल्टी, प्रकाशनों, आदि से आय	16	0	0
अर्जित ब्याज	17	0	0
अन्य आय	18	0	0
तैयार मालों और चालू वर्ष कार्य में बढ़ाव / घटाव	19	0	0
कुल (ए)		**5,944,080**	**0**
व्ययकार्यक्रम व सेवाओं पर खर्च	20	0	0
स्थापना खर्च	20A	99,482	0
अन्य कार्यक्रम खर्च	20B	0	0
अन्य प्रशासनिक खर्च, आदि	21	644,546	0
अनुदान / आर्थिक सहायता, सब्सिडी पर व्यय	22	0	0
ब्याज	23	0	0
हास (वर्ष के अंत तक कुल नेट - अनुसूची 8 के अनुरूप)		10,020	0
कुल (बी)		**754,048**	**0**
व्यय के ऊपर अधिक आय का शेष राशि (ए-बी)			
स्पेशल रिजर्व का आंतरण			
सामान्य रिजर्व को / से अंतरण			
आधिशेष (डिफिसिट) के रूप में शेष राशि		**5,190,032**	**0**
कार्पस / पूँजी निधि को ले जाया गया			
उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ	24		
लेखों पर फुटकर देयताएँ और टिप्पणियाँ	25		

अकाउन्टेन्ट | **प्रशासन अधिकारी** | **निदेशक**

समग्र क्षेत्रीय केन्द्र, देवनगिरि
राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद

वर्ष 2016-17 के लिए प्राप्तियाँ व भुगतान खाता

प्राप्तियाँ	राशि रु.	भुगतान	राशि रु.
आदि शेष	0	अनावर्ती	
सहायता अनुदान	6,000,000	फर्नीचर	55,920
		आवर्ती वेतन	
		वेतन	99,482
		आवर्ती गैर-वेतन	
		विज्ञापन	230,049
		यात्रा व दैनिक भत्ता	378,477
		स्टेशनरी व अन्य खर्च	5,000
		विविध	31,020
		अंतिम शेष	
		हाथ रोकड	0
		बैंक रोकड	5,200,052
कुल	**6,000,000**	**कुल**	**6,000,000**

अकाउन्टेन्ट | **प्रशासन अधिकारी** | **निदेशक**

परिशिष्ट-ई

अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	दिवस	तिथियाँ	लाभार्थियों की संख्या	स्थान
1	"स्कूल तत्परता" विकसित करने के लिए प्रीस्कूल टीचरों की क्षमता को बढ़ाना	5	25.4.16 29.4.16	18	एनआईईपीआईडी मुख्यालय
2	बौद्धिक दिव्यांगता एवं सीपी बच्चों के अभिभावकों की आवश्यकताओं को समझना	5	09.5.16 13.5.16	30	एनआईईपीआईडी मुख्यालय
3	सी.डबल्युएसएन के लिए समावेश पाठचर्या आधारित कार्यक्रम निर्माण	5	23.5.16 27.5.16	42	एनआईईपीआईडी मुख्यालय
4	मानसिक मंद बच्चों के व्यावसायिक पुनर्वास में कम्प्युटर प्रशिक्षण का प्रयोग पर एस.टी.पी.	5	16.05.16 20.05.16	36	एनआईईपीआईडी मुख्यालय
5	मानसिक मंद बच्चों के व्यावसायिक पुनर्वास में रिकार्ड निर्वहण तथा प्रलेखीकरण पर एस.टी.पी.	5	06.06.16 10.06.16	44	एनआईईपीआईडी मुख्यालय
6	आई.एस.ए.ए. पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	2	12.7.17 13.7.17	24	एनआईईपीआईडी मुख्यालय
7	व्यवहार परिवर्तन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	22.08.16 26.08.16	40	एनआईईपीआईडी मुख्यालय
8	दिव्यांग व्यक्तियों के संप्रेषण प्रशिक्षण में थियेटर आर्ट्स् का प्रयोग	5	08.08.16 12.08.16	30	एनआईईपीआईडी मुख्यालय
9	व्यावसायिकों के लिए मानसिक मंदन के मेडिकल तथा साईकियाट्रिक पहलुओं पर एस.टी.पी.	5	29.08.16 02.09.16	21	एनआईईपीआईडी मुख्यालय
10	व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार पर विज्ञान तथा प्रौद्यगिकी की अनुप्रयुक्तता पर एस.टी.पी.	5	01.08.16 05.08.16	33	एनआईईपीआईडी मुख्यालय
11	सहोदर प्रशिक्षण में मास्टर प्रशिक्षक कार्यक्रम की अनुप्रयुक्तता पर एस.टी.पी.	5	19.09.16 23.09.16	52	एनआईईपीआईडी मुख्यालय
12	विशेष शिक्षा में अनुसंधान पद्धतियाँ	5	17.10.16 21.10.16	42	एनआईईपीआईडी मुख्यालय
13	संत फ्रैंसिस कॉलेज फार विमेन, हैदराबाद के विद्यार्थियों के लिए व्यवहार परिवर्तन पर कार्यशाला	2	28.11.16 29.11.16	23	एनआईईपीआईडी मुख्यालय
14	एसएसए टीचरों के लिए थिरेप्युटिक्स् पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	25	01.11.16 26.11.16	42	एनआईईपीआईडी मुख्यालय
15	केयर असोसियेट ट्रेनिंग प्रोग्राम - प्रईमरी पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	90	9.11.16 9.2.17	22	एनआईईपीआईडी मुख्यालय
16	बौद्धिक अक्षम छात्रों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री	5	7.11.16 11.11.16	49	एनआईईपीआईडी मुख्यालय
17	व्यावसायिक पुनर्वास मार्ग तथा वी.टी. सी की स्थापना पर अल्पकालीन कार्यक्रम	5	21.11.16 25.11.16	47	एनआईईपीआईडी मुख्यालय
18	मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	26	6.12.16 30.12.16	18	एनआईईपीआईडी मुख्यालय
19	व्यावसायिकों के लिए थिरेप्युटिक्स पर अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	05.12.16 09.12.16	31	एनआईईपीआईडी मुख्यालय
20	पुनर्वास में परामर्श पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	9.1.17 13.1.17	39	एनआईईपीआईडी मुख्यालय
21	मानसिक मंदन के मेडिकल तथा साइकियाट्रिक पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	02.01.17 06.01.17	22	एनआईईपीआईडी मुख्यालय
22	प्रारंभिक पहचान तथा अंतराक्षेपण पर बी.एच.एस.सी.,युनवर्सिटी ऑफ अग्रिकल्चरल साईंसेस्, धारवाड के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	30.01.17 26.02.17	12	एनआईईपीआईडी मुख्यालय
23	व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार पर अल्पकालीन कार्यक्रम	5	23.01.17 27.01.17	43	एनआईईपीआईडी मुख्यालय

24	बौद्धिक दिव्यांग छात्रों के लिए अनुदेशात्मक कौशल	5	6.02.17 10.02.17	39	एनआईईपीआईडी मुख्यालय
25	व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार पर अल्पकालीन कार्यक्रम	5	20.02.17 24.02.17	53	एनआईईपीआईडी मुख्यालय
26	अभिभावक प्रशिक्षण पर मास्टर प्रशिक्षक कार्यक्रम	5	13.02.17 17.02.17	50	एनआईईपीआईडी मुख्यालय
27	व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार पर अल्पकालीन कार्यक्रम	5	13.03.17 17.03.17	49	एनआईईपीआईडी मुख्यालय
28	व्यावसायिक पुनर्वास पर अल्पकालीन कार्यक्रम	5	27.3.17 31.3.17	63	एनआईईपीआईडी मुख्यालय
29	विशेष शिक्षकों के लिए कंप्युटर प्रशिक्षण	5	5.12.16 9.12.16	40	एनआईईपीआईडी मुख्यालय
30	अभिभावक शिक्षक संबंध	1	10.05.16 10.05.16	35	एमएसईसी, नोएडा
31	मानसिक मंदन के क्षेत्र में उन्नति	5	13.06.16 17.06.16	32	एमएसईसी, नोएडा
32	बहुविध विकलांगता - मानसिक मंदन सह समस्याओं वाले बच्चों की शिक्षा	5	01.08.16 05.08.16	38	एमएसईसी, नोएडा
33	बौद्धिक दिव्यांग व्यक्ति के स्वजीवन यापन पर सी.आर.ई. कार्यक्रम	5	19.09.16 23.09.16	34	एमएसईसी, नोएडा
34	बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के परिवारों के साथ कार्य करने वाले व्यावसायिकों के लिए अभिमुखी कार्यक्रम	5	14.02.17 18.02.17	34	एमएसईसी, नोएडा
35	ए.एस.डी. का मूल्यांकन, रोगनिदान तथा अंतराक्षेपण	5	8.08.16 12.08.16	30	आर.सी, कोलकाता
36	कंप्युटर सहायक अनुदेशन एवं विशेष शिक्षआ में इसका आशय	5	5.09.16 9.09.16	30	आर.सी, कोलकाता
37	ट्रान्सिशन के लिए स्कूल तत्परता विकसित करना	5	19.09.16 23.09.16	28	आर.सी, कोलकाता
38	आई.एस.डी. बच्चों के लिए पाठचर्या व सह पाठचर्या क्रियाकलापों का अनुकूलन	5	24.10.16 28.10.16	31	आर.सी, कोलकाता
39	मानसिक मंद बच्चों एवं सह स्थितियों वाले व्यक्तियों का मनोवैज्ञानिक / शैक्षणिक मूल्यांकन	5	7.11.16 11.11.16	25	आर.सी, कोलकाता
40	अधिगम समस्या वाले बच्चों के लिए उपचारात्मक अंतराक्षेपण रणनीतियाँ	5	21.11.16 25.11.16	26	आर.सी, कोलकाता
41	विकासात्मक विकलांगता में प्रारंभिक बाल्यवस्था की भूमिका	5	5.12.16 9.12.16	30	आर.सी, कोलकाता
42	विकलांगता के अधिकार एवं भारत में स्थिति, नीति एवं कार्यक्रम	5	26.12.16 30.12.16	30	आर.सी, कोलकाता
43	अधिगम विकलांगता अंतर्वेशन एवं तकनीकी	5	9.01.17 13.01.17	30	आर.सी, कोलकाता
44	प्री स्कूल शिक्षा में अनुभवी अधिगम	5	6.02.17 10.02.17	30	आर.सी, कोलकाता
45	समुदाय आधारिक पुनर्वास	5	20.02.17 24.02.17	27	आर.सी, कोलकाता
46	सी.डबल्यु.आई.डी. प्रबंधन के लिए नियमित व विशेष स्कूलों के केयर गिविंग स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	2	04.07.16 05.07.16	27	आर.सी, कोलकाता
47	सी.डबल्यु.आई.डी. /पी.डबल्यु.आई.डी. के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन तथा रिपोर्ट लेखन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	01.08.16 05.08.16	23	आर.सी, मुम्बई
48	अधिगम के लिए अंतर्वेषन शिक्षा एवं सार्वभौमिक रचना पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	19.09.16 23.09.16	28	आर.सी, मुम्बई

49	लैंगिक शिक्षा, विवाह, प्रौढ़ स्वजीवन याप तथा लम्बे जीवन यापन प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	17.10.16 21.10.16	34	आर.सी, मुम्बई
50	व्यवहार परिवर्तन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	04.11.16 08.11.16	32	आर.सी, मुम्बई
51	सी.डबल्यु.डी.डी. के लिए अंतर्वेशन स्कूल के लिए पूर्व तत्परता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	19.12.16 23.12.16	38	आर.सी, मुम्बई
52	प्रारंभिक अंतराक्षेपण के बहुसंवेदी अभिगम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	09.01.17 13.01.17	66	आर.सी, मुम्बई
53	व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की अनुप्रयुक्तता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	3	06.02.17 08.02.17	20	आर.सी, मुम्बई
54	दिव्यांग व्यक्तियों को संप्रेषण प्रशिक्षण में थियेटर आर्ट्स् का प्रयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	3	20.02.17 23.02.17	32	आर.सी, मुम्बई
55	दिव्यांग व्यक्तियों को संप्रेषण प्रशिक्षण में थियेटर आर्ट्स् का प्रयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	16.05.16 20.05.16	35	आर.सी., नोएडा
56	परामर्श एवं मार्गदर्शन	5	06.06.16 10.06.16	35	आर.सी., नोएडा
57	मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन	5	13.06.16 17.06.16	35	आर.सी., नोएडा
58	सी.डबल्यु.आई.डी. के अभिभावकों के प्रभावी अभिभावकीय कौशल प्रदान करना	4	22.08.16 24.08.16	32	आर.सी., नोएडा
59	प्रौढ़ मानसिक मंद व्यक्तियों से संबंधित आवश्यकताएँ एवं मामले	5	26.09.16 30.09.16	37	आर.सी., नोएडा
60	आटीज्म के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन	3	06.10.16 08.10.16	39	आर.सी., नोएडा
61	आटीज्म के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन	3	27.10.16 29.10.16	33	आर.सी., नोएडा
62	आई.डी. का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन तथा प्रबंधन	5	07.11.16 11.11.16	37	आर.सी., नोएडा
63	सी.पी. का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन तथा प्रबंधन	5	21.11.16 25.11.16	40	आर.सी., नोएडा
64	सी.पी. का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन तथा प्रबंधन	90	28.11.16 28.02.17	30	आर.सी., नोएडा
65	बौद्धिक दिव्यांगताओं के बहुविषयी पहलू	5	02.01.17 06.01.17	41	आर.सी., नोएडा
66	मानसिक मंद व्यक्तियों में मानसिक स्वस्थ्य संबंधी समस्याओं का पहचान तथा प्रबंधन	5	06.3.17 10.03.17	31	आर.सी, कोलकाता
67	ए.एस.डी. तथा ए.डी.एच.डी. बच्चों में सामाजिक कौशल विकसित करना	5	20.03.17 24.03.17	30	आर.सी, कोलकाता
68	व्यवहार परिवर्तन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	25.04.16 29.04.16	22	आर.सी., नोएडा
			कुल	**2321**	

परिशिष्ट-एफ
पूर्वोत्तर क्रियाकलाप

राज्य: अरूणाचल प्रदेश

क्र.सं.	राज्य	कार्यक्रम का नाम	ग्रुप लक्ष्य	दिनांक (एस)	लाभार्थी
1	अरूणाचल प्रदेश	ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू, एस द्वारा अभिमुखीकरण एवं किटों का वितरण	ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू.एस	6-7 जुलाई, 2016	200
2	अरूणाचल प्रदेश	टी.एल.एम. का वितरण	पी.डब्ल्यू.आई.डी.एस	6-7 जुलाई, 2016	48
3	अरूणाचल प्रदेश	टी.एल.एम.का वितरण	पी.डब्ल्यू.आई.डी.एस	6-7 जुलाई, 2016	7
4	अरूणाचल प्रदेश	अभिमुखीकरण कार्यक्रम	ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू,एस सी.डी.पी.ओ.एस	19-20 अक्तूबर, 2016	236
5	अरूणाचल प्रदेश	मूल्यांकन कार्यक्रम	पी.डब्ल्यू.आई.डी.एस	19-20 अक्तूबर, 2016	32
6	अरूणाचल प्रदेश	टी.एल.एम. का वितरण	पी.डब्ल्यू.आई.डी.एस	16-20 जनवरी, 2017	37
7	अरूणाचल प्रदेश	जागरूकता एवं विकलांगता पुनर्वास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू,एस सी.डी.पी.ओ.	23 जनवरी, 2017	121
8	अरूणाचल प्रदेश	जागरूकता एवं विकलांगता पुनर्वास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू,एस सी.डी.पी.ओ.	24 जनवरी, 2017	110
9	अरूणाचल प्रदेश	विकलांगता पर अभिमुखीकरण	स्कूल विद्यार्थी एवं शिक्षक	21 जनवरी, 2017	216
10	अरूणाचल प्रदेश	क्षेत्रीय अभिभावक बैठक	अभिभावक, पी.डब्ल्यू.आई.डी.एस	10 मार्च, 2017	136

राज्य: असम

1	असम	टी.एल.एम. का वितरण	पीडब्ल्यूडी	**19-20** जुलाई, **2016**	**65**
2	असम	मूल्यांकन शिविर	पीडब्ल्यूडी	**13-14** सितम्बर, **2016**	**165**
3	असम	अभिमुखीकरण कार्यक्रम	एस.एस.ए.शिक्षक एवं सी.पी.ओ.	**15-16** सितम्बर, ***2016***	**103**
4	असम	टी.एल.एम. का वितरण	पीडब्ल्यूडी	**20-21** फरवरी, **2017**	**58**
5	असम	अर्ली इंटरवेशन एवं मनचिकित्सा की पहचान	नर्सिंग कालेज के विद्यार्थी	**25** फरवरी, **2017**	**252**

राज्य: मणिपुर

1	मणिपुर	फ्लिपचार्ट वितरण	ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू	18 अप्रैल, 2016	95
2	मणिपुर	टी.एल.एम.का वितरण	पीडब्ल्यूआईडी	19-21 अप्रैल, 2016	129
3	मणिपुर	टी.एल.एम. का वितरण	पीडब्ल्यूआईडी	28 सितम्बर, 2016	30
4	मणिपुर	मूल्यांगन शिविर	पीडब्ल्यूआईडी	3-7 अक्तूबर, 2016	146
5	मणिपुर	अभिमुखीकरण कार्यक्रम	ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू	3-7 अक्तूबर, 2016	94
6	मणिपुर	जागरूकता कार्यक्रमस्कूल	के बच्चे	3-7 अक्तूबर, 2016	140
7	मणिपुर	टी.एल.एम. का वितरण	पीडब्ल्यूआईडी	3-5 नवम्बर, 2016	75
8	मणिपुर	विशेष शिक्षक के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	विशेष शिक्षक	3-5 नवम्बर, 2016	100
9	मणिपुर	जागरूकता कार्यक्रम	विशेष शिक्षक	3-5 नवम्बर, 2016	364

राज्य: मेघालय

1	मेघालय	स्कीमों परअभिमुखीकरण एवं लाभार्थी	ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू, सी.डी.पी.ओ.	23 जुलाई, 2016	10
2	मेघालय	जागरूकता कार्यक्रम	ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू.,सी.बी.आर. वर्कस एवं एम.आर.डब्ल्यू.	19 सितम्बर, 2016	100
3	मेघालय	अभिभावकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	अभिभावक	21-23 सितम्बर, 2016	160
4	मेघालय	लघु अवधि कार्यक्रम	विशेष शिक्षक	26-30 सितम्बर, 2016	72
5	मेघालय	टी.एल.एम. का वितरण	पीडब्ल्यूआईडी	27-31 मार्च, 2017	142
6	मेघालय	जागरूकता/अभिमुखीकरण कार्यक्रम	विशेष शिक्षा प्रशिक्षणार्थी	27.3.17	38
7	मेघालय	अभिमुखीकरण कार्यक्रम	अभिभावक	27.3.17	32
8	मेघालय	अभिमुखीकरण कार्यक्रम	अभिभावक	29.3.17	66
9	मेघालय	अभिमुखीकरण कार्यक्रम	अभिभावक	30.3.17	26
10	मेघालय	अभिमुखीकरण कार्यक्रम	शिक्षक	31.3.17	99
11	मेघालय	जागरूकता कार्यक्रम	विश्वविद्यालय विद्यार्थी	31.3.17	104

राज्य: मिजोरम

1	मिजोरम	टी.एल.एम. का वितरण	पीडब्ल्यूआईडी	27-30 सितम्बर, 2016	60
2	मिजोरम	अभिमुखी कार्यक्रम	ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू.	28 सितम्बर, 2016	108
3	मिजोरम	प्रशिक्षण कार्यक्रम	डी.आई.ई.टी शिक्षक	30 सितम्बर, 2016	160
4	मिजोरम	मूल्यांकन शिविर	पीडब्ल्यूआईडी	3-4 नवम्बर, 2016	24
5	मिजोरम	टी.एल.एम.वितरण	पीडब्ल्यूआईडी	3-4 नवम्बर, 2016	24
6	मिजोरम	क्षेत्रीय अभिभावक बैठक	पीडब्ल्यूआईडी अभिभावक,	24-25 मार्च, 2017	184

राज्य: सिक्किम

1	सिक्किम आर.सी.	ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू. से जागरूकता	ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू.	5 अप्रैल, 2016	54
2	सिक्किम आर.सी.	लपटॉप वितरण	पीडब्ल्यूआईडी	16 अप्रैल, 2016	8
3-7	सिक्किम आर.सी.	जागरूकता/अभिमुखीकरण कार्यक्रम(5)	स्कूल बच्चे/सामान्य जनता/ सी.डी.पी.ओ.	अक्तूबर, 2016	65
8-14	सिक्किम आर.सी.	जागरूकता/अभिमुखीकरण कार्यक्रम (7)	स्कूल बच्चे/सामान्य जनता/ सी.डी.पी.ओ.	नवम्बर, 2016	127
15-20	सिक्किम आर.सी.	जागरूकता/अभिमुखीकरण कार्यक्रम (6)	स्कूल बच्चे/सामान्य जनता/ सी.डी.पी.ओ.	दिसम्बर, 2016	384
21-28	सिक्किम आर.सी.	जागरूकता/अभिमुखीकरण कार्यक्रम (8)	स्कूल बच्चे/सामान्य जनता/ सी.डी.पी.ओ.	जनवरी, 2017	56
29-40	सिक्किम आर.सी.	जागरूकता/अभिमुखीकरण कार्यक्रम (12)	स्कूल बच्चे/सामान्य जनता/ सी.डी.पी.ओ.	फरवरी, 2017	387
41-47	सिक्किम आर.सी.	जागरूकता/अभिमुखीकरण कार्यक्रम(5)	स्कूल बच्चे/सामान्य जनता/ सी.डी.पी.ओ.	मार्च, 2017	34

राज्य: नागालैंड

1	नागालैंड	अभिमुखीकरण कार्यक्रम	एस.एस.ए. शिक्षक	23-24 जनवरी, 2017	81
2	नागालैंड	विकलांगता पर अभिमुखीकरण कार्यक्रम	विद्यार्थी	23-27 जनवरी, 2017	782
3	नागालैंड	टी.एल.एम.वितरण	पीडब्ल्यूआईडी	24-25 जनवरी, 2017	47
4	नागालैंड	जागरूकता कार्यक्रम	इंजिनियरिंग ग्रेजुएट स्टुडेंटस ट्रेनिज	23.3.2017	216

राज्य: त्रिपुरा

1	त्रिपुरा	अभिमुखीकरण कार्यक्रम एवं राज्य अधिकारी	प्रैस सदस्य एवं राज्य अधिकारी	13 सितम्बर, 2016	34
2	त्रिपुरा	टी.एल.एम. वितरण	पीडब्ल्यूआईडी	14 सितम्बर, 2016	108
3	त्रिपुरा	प्रशिक्षण कार्यक्रम	शिक्षक	15 सितम्बर, 2016	91
4	त्रिपुरा	अभिमुखीकरण कार्यक्रम	ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू, सी.डी.पी.ओ.	16 सिततम्बर, 2016	98
5	त्रिपुरा	पीटीपी पर टी.एल.एम. कीट	अभिभावक/ ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू,	17 सितम्बर, 2016	11
6	त्रिपुरा	टी.एल.एम. कीट वितरण	पीडब्ल्यूआईडी	26-28 जनवरी, 2017	44
7	त्रिपुरा	अभिमुखीकरण एवं टी.एल.एम. कीट पर प्रशिक्षण	अभिभावक	27 जनवरी, 2017	64

1	एन.आई.ई.पी. आई.डी. मुख्यालय	पूर्वोत्तर व्यावसायिकों के लिए एस.टी.पी.	चिकित्सक/शिक्षक/ सी.डी.पी.ओ.	1-5 सितम्बर, 2016	21
				कुल	7080

परिशिष्ट-जी
समुदाय आधारित कार्यक्रम
(मूल्यांकन /जागरूकता/अभिमुखीकरण कार्यक्रम)

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	ग्रुप लक्ष्य	संचालित	स्थान	दिनांक(एस)	लाभान्वितों की संख्या
1-3	मूल्यांकन शिविर (3)	पीडब्ल्यूआईडी	क्षेत्रीय केन्द्र, नोएडा	स्पेशल स्कूल दिल्ली	***06-11*** अप्रैल, ***2016***	99
4	मूल्यांकन शिविर	पीडब्ल्यूआईडी	क्षेत्रीय केन्द्र, नोएडा	आस्था, कालका जी, नई दिल्ली	1 दिसम्बर, 2016	32
5	जागरूकता रैली	आम जनता	क्षेत्रीय केन्द्र, नोएडा	नोएडा	02 दिसम्बर, 2016	200
6	दिव्यांगजनों के लिए संवेदीकरण पर कार्यक्रम	स्कूल विद्यार्थी एवं स्टाफ	क्षेत्रीय केन्द्र, नोएडा	शहीदशास्त्री सि.से.स्कूल, नगर, उद्यम नई दिल्ली	13 दिसम्बर, 2016	450
7	मूल्यांकन शिविर	पीडब्ल्यूआईडी	क्षेत्रीय केन्द्र, नोएडा	मदन महोदन मालवीय अस्पताल, मालवीय नगर, नई दिल्ली	15-16 दिसम्बर, 2016	39
8	मूल्यांकन शिविर	पीडब्ल्यूआईडी	क्षेत्रीय केन्द्र, नोएडा	जीवन ज्योति होम जंगपुरा, दिल्ली	17 दिसम्बर, 2016	37
9	दिव्यांगजनों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम	स्कूल विद्यार्थी एवं स्टाफ	क्षेत्रीय केन्द्र, नोएडा	जीजीएसएस, स्कूल न.3, जीब्लॉक, कालका जी नगर, नई दिल्ली	20 दिसम्बर, 2016	1200
10	मूल्यांकन शिविर	पीडब्ल्यूआईडी	क्षेत्रीय केन्द्र, नोएडा	अरूण असफ अली अस्पताल, कश्मीरी गेट, दिल्ली	22-23 दिसम्बर, 2016	11
11	प्रदर्शनी एवं दिव्यांगजनों पर संवेदीकरण कार्यक्रम- पुस्तक मेला	आम जनता	क्षेत्रीय केन्द्र, नोएडा	वर्ड बुक फेयर, इन, एनआईओएस के सहयोग	07-15 जनवरी, 2017	638
12	मूल्यांकन शिविर	पीडब्ल्यूआईडी	क्षेत्रीय केन्द्र, नोएडा	अंनत एलडीए, दिल्ली	17 जनवरी, 2017	30
13	मूल्यांकन शिविर	पीडब्ल्यूआईडी	क्षेत्रीय केन्द्र, नोएडा	सक्षम सेक्टर -30, नोएडा	24 जनवरी, 2017	5
14	जाँच एवं मूल्यांकन शिविर	विशेष बच्चो व प्रौढ विशेष आवश्यकता	क्षेत्रीय केन्द्र, नोएडा	अंनत लर्निंग डेवलपमेंट सेन्टर नई दिल्ली	03-08 फरवरी, 2017	30

15	शिविर लाभार्थियों के लिए स्वावलम्बन हेल्थ इंसुरेंस स्कीम का पंजीकरण	विशेष बच्चो व प्रौढ विशेष आवश्यकता	क्षेत्रीय केन्द्र, नोएडा	क्षेत्रीय केन्द्र, एनआईईपीआईडी नोएडा	03 फरवरी, 2017	41
16	कुशल प्रशिक्षण –वीएपीए मूल्यांकन	पीडब्ल्यूआईडी	क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता	आराम बाग, पं.बंगाल	16 दिसम्बर, 2016	46
17	मूल्यांकन शिविर	पीडब्ल्यूआईडी	क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता	बगनान हावडा, पं.बंगाल	07 जनवरी, 2017	82
18	मूल्यांकन शिविर	पीडब्ल्यूआईडी	क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता	हसनाबाद 24 परगना नार्थ , पं.बंगाल	23 जनवरी, 2017	32
19	पहचान शिविर	पीडब्ल्यूआईडी	क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता	मिनाखान जिला परगना नार्थ , पं.बंगाल	7 फरवरी, 2017	81
20	पहचान शिविर	पीडब्ल्यूआईडी	क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता	कलियागंज, जिला उत्तर दिनाजपुर (पं.बंगाल)	13 फरवरी, 2017	129
21	पहचान शिविर	पीडब्ल्यूआईडी	क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता	रायगंज जिला- उत्तर दिनाजपुर (पं.बंगाल)	14 फरवरी, 2017	121
22	पहचान शिविर	पीडब्ल्यूआईडी	क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता	डे गंगा जिला जिला 24 परागन(एन)	23 मार्च, 2017	67
23-24	पहचान एवं वीएपीए मूल्यांकन शिविर (2)	पीडब्ल्यूआईडी	क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता	मालडा	24-25 मार्च, 2017	100
25	पहचान एवं वीएपीए मूल्यांकन शिविर	पीडब्ल्यूआईडी	क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता	बेहालाबोधयम	27 मार्च, 2017	71
26	मूल्यांकन शिविर कम स्पेशल एजुकेशन	पीडब्ल्यूआईडी	क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई	अनागांव, महाराष्ट्र	08 जुलाई, 2016	31
27	जागरूकता कम मूल्यांकन शिविर	अभिभावक एवं पीडब्ल्यूआईडी	क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई	सावत्री बाई फुले स्पेशल स्कूल भिवांडी, महाराष्ट्र	09 अगस्त, 2016	87
28	जागरूकता कम मूल्यांकन शिविर	पीडब्ल्यूआईडी	क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई,	अनुशक्ति बाल विकास, तारापुर, बॉसर,महाराष्ट्र	27 सितम्बर, 2016	33
29	मूल्यांकन शिविर	पीडब्ल्यूआईडी	क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई	रोहा, महाराष्ट्र	06 जनवरी, 2017	37
30	मूल्यांकन शिविर	पीडब्ल्यूआईडी	क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई	गुहागर, रतनागिरी जिला	16-18 फरवरी, 2017	42
31	जागरूकता कार्यक्रम	अभिभावक एवं पीडब्ल्यूआईडी	क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई	गुहागर, रतनागिरी जिला	17-18 फरवरी, 2017	157
32	जागरूकता कार्यक्रम	अभिभावक एवं पीडब्ल्यूआईडी	क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई	संतक्रुज, मुम्बई	03 मार्च, 2017	42
33-34	जागरूकता कम मूल्यांकन शिविर (2)	अभिभावक एवं पीडब्ल्यूआईडी	क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई	नंदुबार, एवं धुले	04-10 मार्च, 2017	180

35	जागरूकता कार्यक्रम	अभिभावक एवं पीडब्ल्यूआईडी	क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई	बेलापुर, नवी मुम्बई	20 मार्च, 2017	20
36	जागरूकता कार्यक्रम	अभिभावक एवं पीडब्ल्यूआईडी	क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई	बेलापुर, नवी मुम्बई	21 मार्च, 2017	23
37	बौद्धिक दिव्यांगता पर जागरूकता कार्यक्रम	आम जनता	एमएसईसी, नोएडा	नोएडा	02 दिसम्बर, 2016	64
38	बौद्धिक दिव्यांगता पर जागरूकता कार्यक्रम	स्कूल बच्चे	एमएसईसी, नोएडा	न्यू बाल भारती पब्लिक स्कूल, नोएडा	20 दिसम्बर, 2016	93
39	बौद्धिक दिव्यांगजन पर जागरूकता कार्यक्रम	आम जनता	एमएसईसी, नोएडा	आरपीवीवी, लाजपत नगर, नई दिल्ली	18 जनवरी, 2016	75
40	आई.डी. पर जागरूकता कार्यक्रम	स्कूल बच्चे	एमएसईसी, नोएडा	राजकीय स्कूल, लाजपत नगर,नई दिल्ली	19 जनवरी, 2016	262
41	दिव्यांगता पर अभिमुखकरण	एडब्ल्यूडब्ल्यू	एनआईईपीआईडी मुख्यालय	बीड, महाराष्ट्र	26 अप्रैल, 2016	72
42	प्रदर्शनी कम जागरूकता शिविर	आम जनता	एनआईईपीआईडी मुख्यालय	उज्जेन, म.प्र.	08-22 मई, 2016	1481
43	मंत्रालय स्कीम एवं लाभार्थी के लिए जागरूकता कार्यक्रम	राज्य अधिकारी	एनआईईपीआईडी मुख्यालय	वंरगल, तेलंगाना	20 सितम्बर, 2016	125
44	पहचान एवं मूल्यांकन एवं जागरूकता शिविर	पीडब्ल्यूआईडी	एनआईईपीआईडी मुख्यालय	वीवीडीएवी स्कूल, विकास पुरी, नई दिल्ली	01-15 अक्तूबर, 2016	73
45	पहचान एवं मूल्यांकन एवं जागरूकता शिविर	पीडब्ल्यूआईडी	एनआईईपीआईडी मुख्यालय	आसरा (एनजीओ) उत्तम नगर, नईदिल्ली	15 अक्तूबर, 2016	52
46	अभिमुखीकरण कार्यक्रम	अभिभावक व शिक्षक	एनआईईपीआईडी मुख्यालय	वडोदरा, गुजरात	21-22 अक्तूबर, 2016	55
47	प्रशिक्षण कार्यक्रम	अभिभावक	एनआईईपीआईडी मुख्यालय	नगडा, म.प्र.	18-20 अक्तूबर, 2016	162
48	प्रशिक्षण कार्यक्रम	राज्य अधिकारी	एनआईईपीआईडी मुख्यालय	नगडा, म.प्र.	18-20 अक्तूबर, 2016	70
49	दिव्यांगता पर जागरूकता कार्यक्रम	प्रैस / मिडिया, / राज्य अधिकारी	एनआईईपीआईडी मुख्यालय	आ.प्र. एवं नेल्लूर	02 दिसम्बर, 2016	63
50	दिव्यांगता पर जागरूकता कार्यक्रम	इंटरमिडिएट विद्यार्थी	एनआईईपीआईडी मुख्यालय	एनआईईपीआईडी, सिकन्दराबाद	02 दिसम्बर, 2016	40
51	दिव्यांगजनों के लिए विश्वराष्ट्रीय एबिल्टी मेला	विजिटर	एनआईईपीआईडी मुख्यालय	एनआईईपीआईडी, सिकन्दराबाद	03 दिसम्बर, 2016	213
52-60	सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम (10)	आम जनता	एनआईईपीआईडी मुख्यालय	हैदराबाद एवं सिकन्दराबाद	6-28 दिसम्बर, 2016	1361

61	अभिमुखीकरण कार्यक्रम	स्कूल शिक्षक	एनआईईपीआईडी मुख्यालय	दिल्ली पब्लिक स्कूल, सिकन्दराबाद	7 जनवरी, 2017	64
62	जागरूकता कार्यक्रम	नवी व दसवी कक्षा के विद्यार्थी	एनआईईपीआईडी मुख्यालय	एससीसीसी, ऑफंगे हॉई स्कूल, नेल्लूर	27 जनवरी -17	151
63	दिव्यांगता पर जागरूकता	इंटरमिडिएट विद्यार्थी	एनआईईपीआईडी मुख्यालय	जी.वी.ची.आर जूनियर कालेज, नेल्लूर	31जनवरी, 2017	86
64	राष्ट्रीय विशेष कर्मचारियो की बैठक	पीडब्ल्यूआईडी	एनआईईपीआईडी मुख्यालय	एनआईईपीआईडी, सिकन्दराबाद	23-24 मार्च, 2017	147
65-70	एन.पी.एम./आर. पी.एम.(6 कार्यक्रम)	अभिभावक	एनआईईपीआईडी	मुख्यालय एवं क्षेत्रीय केन्द्र	12-13 नवम्बर, 2016	1124
71-225	अभिमुखीकरण के लिए विजिटिंग टीम (155 टीम)	व्यावसायिक/ विद्यार्थी/ चिकित्सा/अन्य	एनआईईपीआईडी	मुख्यालय एवं क्षेत्रीय केन्द्र	16- मार्च, 2016	2108
					कुल	12634

विकलांगता पर नुक्कड नाटक

परिशिष्ट-एच

अकादमिक समिति के सदस्य

1. डॉ. बी.राजशेखर, एम.एएसी, पीएच.डी
   डीन एवं प्रोफेसर, वाक् एवं श्रवण विभाग
   मणिपाल कालेज ऑफ अलाईड हेल्थ सायंसेस
   मणिपाल विश्चविद्यालय, मणिपाल

2. डॉ. उमा एच., एम.फिल., पीएच.डी
   प्रो. चिकित्सा मनोविज्ञान
   चिकित्सा मनोविज्ञान विभाग
   निमहन्स, बैगलूर

3. प्रो. अनिल कुमार टी.वी.
   एमबीबीएस, डीपीएम, डीएनबी, एम.फिल, पीडीएफ
   एसोसिएट प्रोफेसर
   मनोचिकित्सा विभाग
   त्रिवेन्द्रम मेडिकल कालेज
   तिरूअंनतपूरम, केरल

4. डॉ. राधा कृष्णा, एमबीबीएस, डीसीएच
   सहायक निदेशक
   राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद

5. डॉ. ए.ज्योति, एमएस.सी., पीएच.डी.
   निदेशक
   इंस्टिट्यूट ऑफ जेनेटिक एंड हास्पिटल फॉर जेनेटिक डिसआर्डर
   बेगमपेट, हैदराबाद

6. प्रो. एस.पी.के.जैना, एम.फिल, पीएच.डी.
   एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान
   दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

7. डॉ. नीरज जैन
   एमएस.सी.पीएच.डी.
   प्रो. एवं वैज्ञानिक vi
   नेशनल ब्रेइन रीसर्च सेन्टर
   एन.एच.-8, मानेसर, गुडगाँव-122050, हरियाणा

परिशिष्ट आई
कर्मचारी सदस्यों की सूची

वर्ग - क

क्र.सं.	कर्मचारी सं.	नाम	पदनाम
		श्रीमती जान्हवी ए.वर्रा	प्रभारी, निदेशक
1.	1009	श्री टी.सी.शिव कुमार	निदेशक (निलंबित) मंत्रालय में पोस्टिंग
2.	1041	श्री बी.वी.राम कुमार	उप निदेशक (प्रशासन)
3.	1010	श्री बी.अशोक	विभागध्यक्ष, व्यावसायिक प्रशिक्षण में सहायक आचार्य एवं संपर्क अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
4.	1046	डॉ. मेरी अनुरूपा	बाल चिकित्सा में सहायक आचार्य एवं विभागध्यक्ष, आयुर्विज्ञान विभाग
5.	1048	डॉ.वी. श्रवण रेड्डी	मनचिकित्सा में सहायक आचार्य
6.	1022	डॉ. निबेदिता पट्नायक	विशेष शिक्षा में व्याख्याता
7.	1025	डॉ. सुरेन्द्र पाल सिंह	विशेष शिक्षा में व्याख्याता
8.	1028	श्री दशरथ चौधरी	पुनर्वास मनोविज्ञान में व्याख्याता एवं प्रभारी अधिकारी
9.	1031	डॉ. बीनापानी महापात्र	पुनर्वास मनोविज्ञान में व्याख्याता एवं विभागध्यक्ष, पुनर्वास मनोविज्ञान
10.	1034	डॉ.जी. श्रीकृष्णा	पुनर्वास मनोविज्ञान में व्याख्याता
11.	1035	श्री एन.सी. श्रीनिवास	स्पीच पैथोलोजी व आडियोलोजी में व्याख्याता एवं प्रभारी, सामान्य सेवाएँ, प्रभारी, अकादमिक
12.	1036	श्री गणेश शेरेगर	प्रधानाचार्य, स्पेशल एजुकेशन सेन्टर
13.	1040	श्री टी. मुगेश	व्यावसायिक थेरेपी में व्याख्याता
14.	1047	श्री जी. श्रीनिवासुलु	व्यावसायिक परामर्श एवं रोजगार में व्याख्याता
15.	1049	डॉ.आर.शिल्पा मनोज्ञा	विशेष शिक्षा में व्याख्याता

वर्ग - ख

क्र.सं.	कर्मचारी सं.	नाम	पदनाम
1	2014	श्री वेंकटेश्वर राव	लेखा अधिकारी*
2	2015	श्री सी. सिद्धेश्वर	सहायक प्रशासन अधिकारी (निलंबित)
3	2005	श्री पी.समैया	पुनर्वास अधिकारी
4.	2008	श्री के.रविन्दर	पुनर्वास अधिकारी
5.	2019	श्रीमती के.नागरानी	हिन्दी अनुवादक
6.	2017	श्रीमती एम.श्यामा कुमारी	पुस्तकालय सहायक
7.	2016	श्री एस.किग्सली	विशेष शिक्षा शिक्षक
8.	3080	डॉ.के.पद्मावती	विशेष शिक्षा शिक्षक
9.	2020	श्री डी.लक्ष्मैया	स्पीच पैथोलोजिस्ट
10.	2039	सुश्री प्रशांती जक्किडी	स्पीच पैथोलोजिस्ट
11.	2040	श्री जी.हरिबाबू	कार्यालय अधीक्षक
12.	2034	श्रीमती के.अमरावतीम्मा	व्यावसायिक अनुदेशक (एन.आई.ई.पी.आई.डी. एम.एस.ई.सी., नई दिल्ली से एन.आई.ई.पी.आई.डी. अस्थायी तबादला)
13.	2044	श्री ए.जगन मोहन रेड्डी	संपदा अधिकारी

ग्रुप बी

*अकाउन्टेंट तथा ओ.एस. कम अकाटेंट पदधारित अधिकारियों को वर्ष 2009 में क्रमश: लेखा अधिकारी तथा ए.ए.ओ. पद के लिए चयन किया गया था। मंत्रालय के निर्देशानुसार इनके चयन के आदेश रोक दिए गए थे। संप्रति ये अधिकारी, ए.ओ. तथा ए.ए.ओ. पदों को चयन होने से पूर्व ग्रहित पद, अकाउन्टेंट तथा ओ.एस.-कम-अकाउन्टेंट पदों का वेतनमान प्राप्त कर रहें है। अब यह मामला न्यायाधीन है।

मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 02.7.2012 में सूचित किया कि ए.ए.ओ. पदधारित अधिकारी का पदनाम ए. ए.ए.ओ. के स्थान पर ओ.एस.कम-अकाउन्टेंट पढ़ें। पदधारी ने मंत्रालय के आदेशों पर माननीय आँध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से अंतरिम स्टे लगाया है। अब यह मामला न्यायाधीन है।

वर्ग – ग कर्मचारी

क्र.सं.	कर्मचारी सं.	नाम	पदनाम
1.	3001	श्री वी.सूर्यनारायण मूर्ती	सीनयिर बायों-कमिस्ट्री टैकनिशियन
2.	3011	श्रीमती बी.ज्योति	स्टाफ नर्स
3.	3012	श्री बी.सूर्यप्रकाशम	सांख्यिकी सहायक
4.	3013	श्री टी.श्रीधर	सांख्यिकी सहायक
5.	3018	श्रीमती सी.जयन्ती	आशुलिपिक
6.	3020	श्री वी.शंकर कुमार	आशुलिपिक
7.	3025	श्री जड.एल.मूर्ती	यू.डी.सी.कैशियर
8.	3027	श्री ई.डी.शरत	यू.डी.सी. केयर टेकर
9.	3031	श्रीमती एम.नागलक्ष्मी	कनिष्ट विशेष शिक्षा शिक्षक
10.	3034	श्री के.रमेश	व्यावसायिक अनुदेशक
11.	3035	श्री के.वी.सुब्बा रेड्डी	फिजोथेरेपी सहायक
12.	3036	श्रीमती आर.ललिता	यू.डी.सी.
13.	3037	श्रीमती एन.अरूणा	एल.डी.सी./टाईपिस्ट
14.	3038	श्री पी.महावीर सिंह	एल.डी.सी./टाईपिस्ट
15.	3042	श्री जी.रविशंकर	प्रकाशन सहायक
16.	3044	श्री जे.सूर्यप्रकाश	एल.डी.सी./टाईपिस्ट
17.	3045	श्रीमती कोमला वाघरे	रिसेप्सनिष्ट कम टेलीफोन आपरेटर
18.	3046	श्री के.जंगैया	वाहन चालक (ग्रेड-I)
19.	3047	श्री जी.महेन्द्र रेड्डी	वाहन चालक (ग्रेड-I)
20.	3049	श्री एम.किशन	वाहन चालक (ग्रेड-II)
21.	3078	श्री ए.मुरली कृष्णा	आशुलिपिक'
22.	3090	श्री गोपी कुमार	ई.ई.जी. टेकनिसियन
23.	3093	श्रीमती जी.शकुन्तला	कनिष्ट विशेष शिक्षा शिक्षक
24.	3094	श्री सी.अंजी रेड्डी	कनिष्ट विशेष शिक्षा शिक्षक
25.	3102	श्री सुरेश	पुस्तकालय क्लर्क
26.	3103	श्री सम्पत सिंह	हिन्दी टाईपिस्ट
27.	3111	श्री एन.मुत्यालु	एल.डी.सी./टाईपिस्ट
28.	3121	श्री एस.शंकर	एल.डी.सी./टाईपिस्ट
29.	3122	श्रीमती सरीता ससी	आशुलिपिक
30.	3123	श्री ऋषिकेश देशपांडे	पुनर्वास थेपपिस्ट
31.	3126	श्री ए.कृष्णा मूर्ती	एल.डी.सी./टाईपिस्ट
32.	3127	सुश्री सी.स्वपणलता	कनिष्ठ विशेष शिक्षा शिक्षक
33.	3128	सुश्री के.मंजुला	एल.डी.सी./टाईपिस्ट
34.	3129	श्रीमती जी.लक्ष्मी	कनिष्ठ विशेष शिक्षा शिक्षक
35.	3130	श्री जी.सत्यनारायण गौड	पुनर्वास थेरपिस्ट
36.	3131	श्री जी. महेश्वर	एल.डी.सी./टाईपिस्ट

वर्ग – घ कर्मचारी

क्र.सं.	कर्मचारी सं.	नाम	पदनाम
1.	4008	श्री एम.अंजैया	एटेन्टर कम कैन्डक्टर
2.	4010	श्रीमती आर.अरूणा	कुक
3.	4013	श्री पी.किशन राव	हेल्पर
4.	4038	श्री साईनाथ कुमार	एटेन्डर

एन.आई.ई.पी.आई.डी. क्षेत्रीय केन्द्र, नोएडा

क्र.सं.	**कर्मचारी सं.**	**नाम**	**पदनाम**
वर्ग - क			
1.	1044	डॉ.अमृता सहाय	पुनर्वास मनोविज्ञान में सहायक आचार्य
वर्ग – ख			
2.	2033	सुश्री सबरी घोष	वरिष्ठ सोशल वर्कर
3.	2045	श्रीमती अनुपमा खन्ना	सीनीयर आक्युपेशनल थेरपिस्ट
वर्ग - ग			
4.	3023	श्रीमती सुरजीत कौर	आशुलिपिक कम लेखाकार
5.	3050	श्री शिवप्रसाद	वाहन चालक ग्रेड-I
वर्ग – घ			
6.	4017	श्री नीरज	एटेन्डर

एन.आई.ई.पी.आई.डी. क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई

क्र.सं.	**कर्मचारी सं.**	**नाम**	**पदनाम**
वर्ग - क			
1.	1045	डॉ.मौसमी भौमिक	विशेष शिक्षा में व्याख्याता एवं प्रभारी अधिकारी
2.	1051	श्री रवि प्रकाश सिंह	विशेष शिक्षा में व्याख्याता
वर्ग - ग			
3.	3097	श्रीमती अर्पना जे. शर्मा	आशुलिपिक कम लेखाकार
वर्ग – घ			
4.	4019	श्री एम. तोरने	एटेन्डर

एन.आई.ई.पी.आई.डी. क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता

क्र.सं.	कर्मचारी सं.	नाम	पदनाम
वर्ग - क			
1.	1050	डॉ.हेमंत सिंह केशवाल	सहायक प्राचार्य एवं प्रभारी अधिकारी
2.	1020	श्री आर.सी.नितनवरे	फिजियोथरेपी में व्याख्याता
वर्ग - ग			
3.	3022	श्री थापस दत्ता	आशुलिपिक कम लेखाकार
4.	3051	श्री कार्तिक मंडल	वाहन चालक (ग्रेड-II)
वर्ग – घ			
5.	4011	श्रीमती कल्पना रक्षित	आया
6.	4018	श्री रामशरण बाल्मिकी	एटेन्डर

एन.आई.ई.पी.आई.डी. मॉडल स्पेशल एजुकेशन सेन्टर, नई दिल्ली/ नोएडा

क्र.सं.	कर्मचारी सं.	नाम	पदनाम
वर्ग - क			
1.	1038	श्रीमती जान्हवी ए. वर्रा	प्रधानाचार्या
वर्ग - ख			
2.	2027	श्रीमती नजमा सलीम	ट्रैन्ड ग्रेजुएट टीचर
3.	2028	श्रीमती नसरीन अख्तर	ट्रैन्ड ग्रेजुएट टीचर
4.	2030	श्री रामकेश मीना	ट्रैन्ड ग्रेजुएट टीचर
5.	2037	सुश्री सीमा कुमारी	ट्रैन्ड ग्रेजुएट टीचर
6.	2031	सुश्री मीना पहवा	ट्रैन्ड ग्रेजुएट टीचर
7.	2035	श्री मुकट लाल	फिजिकल शिक्षा अनुदेशक
8.	2029	श्री राजेन्द्र सिंह	क्राफ्ट अनुदेशक
9.	2042	श्री जगदीश चन्द्रा	व्यावसायिक अनुदेशक
10.	2036	श्री मुकेश मनोचा	व्यावसायिक अनुदेशक
11.	2043	सुश्री रचना नैन	होम विजिटर/टीचर
12.	2044	श्री टी.राजु	विशेष शिक्षा शिक्षक
13.	2045	श्री सुबेश चौधरी	विशेष शिक्षा शिक्षक
वर्ग - ग			
14.	3124	श्री दत्तात्रेय राय	पुनर्वास थेरेपिस्ट
15.	3074	श्रीमती रक्षा सक्सेना	कनिष्ट विशेष शिक्षा शिक्षक
16.	3107	डॉ.ललिता	कनिष्ट विशेष शिक्षा शिक्षक
17.	3071	श्रीमती उमा वर्मा	हाऊस मदर
18.	3124	श्री अनिल सिंह बोहरा	एल.डी.सी./टाईपिस्ट
19.	4027	सुश्री सरोज बाला	कटरिंग असिस्टेंट
वर्ग - 'घ'			
20.	4037	श्री रवि	एटेन्डर
21	4026	श्रीमती उषा देवी	आया
22	4028	श्रीमती सुषमा देवी	आया
23	4036	श्रीमती बिमला कुमारी	आया
24	4020	श्रीमती मोहन देवी	कुक

परिशिष्ट-जे
सफल कहानी

सुश्री रीना कुमारी, 27 वर्ष की अल्प मानसिक मंद महिला है। इनकी बचपन में बौद्धिक दिव्यांगता के रूप में रोग निदान किया गया और इनकी माँ ने इन्हें घर के पास की विशेष स्कूल में दाखिला कराई। स्कूल के पश्चात् एन.आई.ई.पी.आई.डी. में इन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र को प्रोन्नत किया गया। सुश्री रीना कुमारी का व्यावसायिक मूल्यांक कार्यक्रम के लिए मूल्यांकन किया गया और जेनेरिक कौशल में इनका 80 प्रतिशत निष्पादन रहा और इन्होंने निर्धारित कार्य कौशल प्रशिक्षण में उचित निष्पादन की उपलब्धता प्राप्त की। टेलरिंग कार्य जैसे स्टिचिंग, हेमिंग, मशीन ऑपरेशन, खिलौना बनाना, ग्लास पेंटिंग आदि क्रियाकलापों में प्रशिक्षण दिया गया। इस अवधि में पीयर ग्रूप के साथ एवं पर्यवेक्षकों के साथ भी परस्पर क्रिया में सुधार आया है।

व्यावसायिक अनुदेशक के मदद से इन्हें हसमथपेट, ओल्ड बोवनपल्ली, सिकंदराबाद में खुले रोजगार पर रखा गया। नियोक्ता ने एक हफ्ते के लिए इनकी कार्य कुशलताएँ देखकर इन्हें प्रारंभिक अवधि के दौरान रु.1500/- प्रति माह का पारिश्रमी पर नौकरी दिया।

संप्रति, सुश्री रीना कुमारी नौकरी को बस से जाती है और अपनी कार्य में नियमित रूप से और समय पर उपस्थित होती है। इनकी कार्य में सामग्री को व्यवस्थित रखना, संबंधित औजार, सामग्री व उपकरणों को सही प्रकार रखना, पेपर का पेस्टिंग करना, फाइन फिनिशिंग एवं दूसरे अनुभाग को सही तरीके से सामग्री भेजने के लिए व्यवस्थित रखना। अब ये रु.5000/- प्रति माह से भी ज्यादा कमा रही है। रीना कुमारी के अभिभावक खुश हैं और स्वतंत्र जीवन यापन के लिए इन्हें प्रोत्साहित करते हैं।

अभिमुखी कार्यक्रम, मेघालय

टी.एल.एम. वितरण, अरूणाचल प्रदेश

एन.आई.ई.पी.आई.डी., मुख्यालय में संप्रेषण पहलुओं पर सी.आर.ई.,

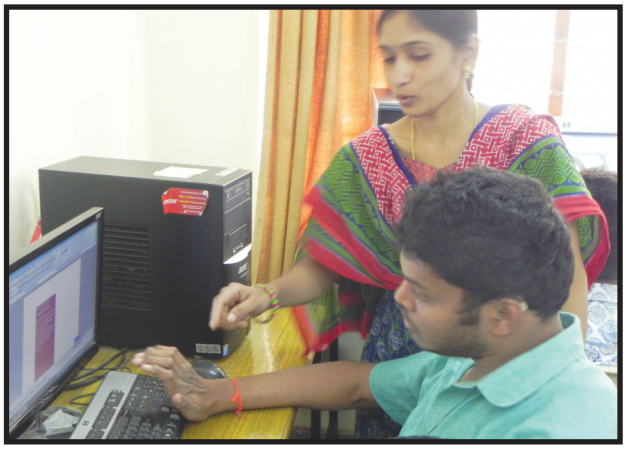

एन.आई.ई.पी.आई.डी., डेयल में कौशल विकास कार्यक्रम

एम.एस.ई.सी., बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए वार्षिक खेल-कूद कार्यक्रम